वर्ष-40 अंक 147 जुलाई-दिसम्बर, 2022

पुलिस विज्ञान

आई एस एस एन 2230-7044 पुलिस विज्ञान

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

पुलिस विज्ञान

अंक-147 (जुलाई - दिसम्बर, 2022)

सलाहकार समिति

बालाजी श्रीवास्तव
महानिदेशक

अनुपमा निलेकर चंद्रा
अपर महानिदेशक

रूचिका ऋषि
निदेशक (एस.पी.डी.)

शशि कान्त उपाध्याय
उप निदेशक (एस.पी.डी.)

संपादक : सतीश चन्द्र डबराल

संपादन सहयोग
मनोज कुमार साव, वरिष्ठ अनुवादक
पिसाल विक्रम आनंदराव, कनिष्ठ अनुवादक

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
राष्ट्रीय राजमार्ग - 48, महिपालपुर, नई दिल्ली – 110 037

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, की सहमति आवश्यक नहीं।

बालाजी श्रीवास्तव, भा.पु.से.
महानिदेशक

Balaji Srivastava, IPS
Director General

Tel. : 91-11-26781312 (O)
Fax : 91-11-26781315
Email : dg@bprd.nic.in

पुलिस अनुसंधान एवम् विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037

Bureau of Police Research & Development
Ministry of Home Affairs, Govt. of India
National Highway-48, Mahipalpur,
New Delhi-110037

संदेश

मेरे लिए बड़े हर्ष की बात है कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की छमाही हिन्दी पत्रिका, पुलिस विज्ञान, का 147वां अंक प्रकाशित हो रहा है। पुलिस व्यवस्था संबंधी लेखों को प्रकाशित कर इस पत्रिका ने अपनी उपयोगिता को सिद्ध किया है।

जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश की पुलिस व्यवस्था का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल से ही शान्ति और न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस किसी न किसी रूप में अस्तित्व में रही है। समय के साथ पुलिस व्यवस्था में परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन होते रहे हैं। आज भारतीय पुलिस न केवल देश में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यरत है बल्कि देश की सीमाओं की भी रक्षा कर रही है। पुलिस का कार्यक्षेत्र अब बहुत बढ़ चुका है। पुलिस देश के कई राज्यों में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ रही है और कई राज्यों में आतंकवाद के विरुद्ध अभियानों में शामिल है। देश के समक्ष आने वाली नित नई समस्याओं, प्राकृतिक आपदाओं और अन्य चुनौतियों का सामना करने के लिए भी पुलिस को सदैव तत्पर रहना पड़ता है।

वर्तमान में, ब्यूरो के अंतर्गत एक केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी और 6 केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत हैं जो देश के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और केंद्रीय पुलिस संगठनों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ब्यूरो देश में समय के साथ उभरती, नई चुनौतियों से लड़ने के लिए शोध कार्य करते हुए पुलिस बलों का मार्गदर्शन कर रहा है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पत्रिका में प्रकाशित विभिन्न विषयों के लेख, पुलिस बलों/संगठनों में कार्यरत कर्मियों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

शुभकामनाओं सहित।

(बालाजी श्रीवास्तव)
महानिदेशक

"उत्तम कार्यप्रणालियों एवं मानकों का प्रोत्साहन"

लेखकों से निवेदन

पाठकों से अनुरोध है कि पुलिस विज्ञान पत्रिका में प्रकाशन के लिए पुलिस से संबंधित विभिन्न विषयों पर लेख लिखकर भेजें और लेख लिखने में सक्षम अपने सहयोगियों को भी लेख लिखकर भेजने के लिए प्रेरित करें। लेख टाइप किया गया हो और कम से कम दस पेज का हो। यदि लेख से संबंधित कोई फोटो हो तो वह भी साथ भेजें। अच्छे लेखों को पुलिस विज्ञान पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाएगा। लेख ई-मेल satishdabral@bprd.nic.in पर भी भेजे जा सकते हैं। पत्रिका में प्रकाशित लेखों के लिए रूपये 3000/- प्रति लेख पारिश्रमिक दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त यदि आपने पुलिस से संबंधित विभिन्न विषयों के हिन्दी के अलावा अन्य भाषा के किसी अच्छे लेख को हिन्दी में अनूदित किया है या करना चाहते हैं, जिसका कॉपीराइट आपके पास हो अथवा जिसके कॉपीराइट की आवश्यकता न हो तो ऐसे लेख भी प्रकाशन के लिए आमंत्रित हैं। प्रकाशित लेखों के लिए समुचित मानदेय दिया जाता है। लेख भेजते समय यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक/अनूदित है और इसका कहीं प्रकाशन नहीं हुआ है तथा इसके लिए कहीं से कोई मानदेय नहीं लिया गया है। इस संबंध में, अधिक जानकारी ब्यूरो की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

संपादक
पुलिस विज्ञान
राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली – 110 037

संपादकीय

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा वर्ष 1982 से प्रकाशित की जा रही छमाही पत्रिका पुलिस विज्ञान के लिए हमारा निरंतर प्रयास रहा है कि पत्रिका के लिए ऐसे लेखों का चयन किया जाए जिनमें अपराध, न्याय व्यवस्था एवं पुलिसिंग संबंधी विषयों की प्रामाणिक व उपयोगी जानकारी हो जो पुलिस कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दे सकें।

पुलिस विज्ञान पत्रिका के लिए अधिकतर लेख उन पुलिस कार्मिकों, शिक्षाविदों एवं शोधकर्ताओं द्वारा भेजे जाते हैं जो अपराध, न्याय व्यवस्था, कारागार और पुलिसिंग के विभिन्न विषयों पर कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा इन लेखों को जमीनी स्तर पर किए गए कार्यों के आधार पर तैयार किया जाता है। अतः इनमें दी गई जानकारी बहुत ही उपयोगी एवं प्रासंगिक होती है। इस अंक में शामिल बाल तस्करी के उन्मूलन हेतु किए गए प्रयासों का अध्ययन विषय में दी गई जानकारी जहाँ समाज की इस बुराई के विरूद्ध कार्य कर रहे संगठनों की मदद करेगी वहीं दूसरी ओर पुलिस कार्मिकों के ज्ञान को भी बढ़ाएगी।

'पुलिस विज्ञान' पत्रिका का अंक 147 पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। पत्रिका के इस अंक में ऐसे लेखों का चयन किया गया है जो वर्तमान समय में पुलिस के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन लेखों में थाने में नवनियुक्त पुलिस कर्मियों से अपेक्षाएं, पुलिस का विभिन्न वर्गों के साथ व्यवहार, पुलिस अन्वेषण के आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके - एक विश्लेषण, चिकित्सीय उपेक्षा, पुलिस नेतृत्व की बारीकियां, सीमा प्रबंधन के विभिन्न आयाम जैसे विषय बहुत ही प्रासंगिक हैं जो इस अंक को निश्चित रूप से उपयोगी बनाएंगे।

हमें विश्वास है कि इस अंक से पुलिस कर्मियों को नागरिकों के प्रति उचित व्यवहार अपनाने, पुलिस अन्वेषण के आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीकों को जानने एवं विशेषीकृत पुलिस व्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त पुलिस अन्वेषण से संबंधित चिकित्सीय उपेक्षा की जानकारी, पुलिस नेतृत्व की बारीकियों से वरिष्ठ अधिकारियों को समझने तथा सीमा प्रबंधन के विभिन्न आयामों की महत्वपूर्ण जानकारी पुलिस बलों को मदद करने में कारगर भूमिका निभाएगी।

पुलिस विज्ञान के आगामी अंकों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुधी पाठकों के सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

सतीश चन्द्र डबराल
संपादक

विषय सूची

लेख	लेखक	पृष्ठ सं.
सीमा प्रबंधन के विभिन्न आयाम	श्री उदय कुमार	1
थाने में नवनियुक्त पुलिस कर्मियों से अपेक्षाएं	सुश्री वीना बंगवाल	9
पुलिस का विभिन्न वर्गों के साथ व्यवहार	श्री संदीप कुमार	19
लोक सेवकों (विद्यालयी शिक्षकों के विशेष संदर्भ) में पोक्सो अधिनियम, 2012 के प्रति जागरुकता और पुलिस की भूमिका	डॉ. जोरावर सिंह राणावत	29
पुलिस अन्वेषण के आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके, एक विश्लेषण	श्री प्रकाश शर्मा	37
चिकित्सीय उपेक्षा-एक अध्ययन	डॉ0 शैलेन्द्र कुमार अवस्थी	46
पुलिस नेतृत्व की बारीकियां	श्री शशिकान्त उपाध्याय	56
बाल तस्करी के उन्मूलन हेतु किए गए प्रयासों का अध्ययन	सब्बल पटेल प्रो.(डॉ.) भावना वर्मा	62

समीक्षा समिति के सदस्य

श्री राजेंद्र कुमार, आईपीएस, श्री राजेश प्रताप सिंह, आईपीएस, डॉ. सत्येंद्र नारायण पांडे, डॉ. शरद, डॉ. अशोक कुमार वर्मा, आईपीएस, श्री नसीरुद्दीन एस. एल., डॉ. अरविंद तिवारी, श्री कमल कांत शर्मा, डॉ. उपनीत लाली, श्री सुनील कुमार गुप्ता

अक्षरांकन एवं पृष्ठ सज्जा : स्मैट फॉर्मस, 3588, जी.टी.रोड़, दिल्ली-110007

सीमा प्रबंधन के विभिन्न आयाम

श्री उदय कुमार
द्वितीय कमान अधिकारी, सीमा सुरक्षा बल, नई दिल्ली।

परिचय

सीमाएँ किसी भी देश की संप्रभुता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक हैं और यह अक्सर राष्ट्रीय प्रतीक के बराबर होती हैं। लेकिन हर देश की सीमा में द्विपक्षीयता होती है क्योंकि इसका अस्तित्व शायद ही कभी पूरी तरह से चुनौती रहित होता है। यह विशेष रूप से हमारे पड़ोसियों, और अधिक विशेष रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाओं के मामले में पूर्णतः सच है।

जुलाई 1947 की शुरुआत में, सर सिरिल रैडक्लिफ (एक ब्रिटिश वकील) ब्रिटिश भारत का विभाजन करने वाले विभिन्न सीमा आयोगों की अध्यक्षता करने के लिए दिल्ली पहुंचे। पांच सप्ताह बाद उन्होंने वायसराय को अपने सीमा निर्धारण की प्रति सौंपी जिसे उस समय रेडक्लिफ अवार्ड के रूप में जाना गया था। रेडक्लिफ अपने द्वारा निर्धारित सीमाओं पर भयंकर और चिरस्थायी विवाद छोड़ते हुए अपने घर इंग्लैंड चले गए। उन्होंने इतिहास के सबसे बड़े जनसंख्या-प्रवासों में से एक को पीछे छोड़ दिया, जिसमें 10-12 मिलियन लोग नई सीमाओं के एक तरफ से दूसरी तरफ शरण के लिए दौड़ पड़े।

सर सिरिल रैडक्लिफ के मानचित्रीय विभाजन ने इस प्रकार वास्तव में हल की तुलना में अधिक समस्याएं पैदा कीं। जम्मू-कश्मीर की समस्या, कई क्षेत्रों में विवादित सीमा, परिक्षेत्र और प्रतिकूल कब्जे, ये सब अंग्रेजों द्वारा उपमहाद्वीप पर थोपे गए विभाजन की विरासत हैं और जो आज सीमा प्रबंधन के लिए एक चुनौती बनकर खड़े हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारे सीमा प्रबंधन के विभिन्न आयाम की रूपरेखा जो आजतक चुनौती बनकर हमारे सामने खड़ा है।

अपने पड़ोसियों के साथ भारत की कुछ सीमाएँ विवादित हैं, और इसलिए सीमांकित नहीं हैं। सीमाओं की अस्थिर प्रकृति न केवल भारत और उसके पड़ोसियों के बीच तनाव का कारण बनता है, बल्कि उनके साथ गश्त करना कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए, वर्तमान भारत और चीन के बीच सीमा 1962 युद्ध के बाद अस्तित्व में आई। इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के रूप में जाना जाता है। और यह एक सैन्य आयोजित लाइन है।

विभिन्न सीमा पार खतरों एवं चुनौतियों की दृढ़ता और अपने पड़ोसी देशों के बीच मजबूत अंतर-क्षेत्रीय व्यापार की अनुपस्थिति ने भारत को सीमा प्रबंधन के लिए एक सुरक्षा-केंद्रित और एकतरफा दृष्टिकोण अपनाने के लिए मजबूर किया। जिसमें सीमा पार व्यापार और यात्रा के लिए सीमाओं को सख्त करने पर जोर दिया गया था। बाहरी पारंपरिक खतरों के खिलाफ बफर के रूप में कार्य करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों को अविकसित रखना। हालाँकि, जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी और देश ने अधिक आत्मविश्वास

और संसाधन प्राप्त किए, भारत ने सीमाओं को बाधाओं के बजाय एक अवसर के रूप में समझना शुरू कर दिया। नतीजतन, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर अधिक जोर दिया जा रहा है और सीमा के भीतर तथा इससे परे, दोनों में परिवहन नेटवर्क के निर्माण हेतु निवेश में वृद्धि के माध्यम से अपने पड़ोसियों के साथ संचार की टूटी हुई लाइनों को बहाल किया जा रहा है ।

भारत ने अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए अपने पड़ोसियों को रचनात्मक रूप से सीमा प्रबंधन में शामिल करना शुरू कर दिया। सीमाओं पर भारत के सामने आने वाले खतरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के अलावा, राजनैतिक प्रयासों का उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों का विश्लेषण करके भारत की सीमा प्रबंधन प्रथाओं की समझ इस तरह विकसित करना है जैसे सीमा सुरक्षा बलों की स्थापना; भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक बाड़ का निर्माण; वैध सीमा-पार यात्रा को सुगम बनाने के लिए आधुनिक सुविधाओं की स्थापना; विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास; और व्यापार तथा कनेक्टिविटी के साथ-साथ अन्य सहकारी द्विपक्षीय तंत्रों को बढ़ाना। इन समस्त प्रयासों का एक मात्र उद्देश्य है सीमा प्रबंधन को दो देशों के बीच एक ऐसे सेतु के रूप में निर्माण करना जो की हमेशा एक सतत् शांति और विकास का रास्ता खोलते रहे हैं ।

हम जानते हैं कि भू-राजनीतिक स्तर पर सीमाएँ किसी देश की संप्रभुता को परिभाषित करती हैं। सीमा प्रबंधन कम से कम एक देश की जिम्मेदारी तो होती ही है भले ही दूसरा देश मुखर रूप से अपना योगदान न दे रहा हो । हालाँकि साझा सीमाओं पर सभी देश सीमाओं से जुड़ी सुरक्षा में योगदान देते हैं पर कुछ देश तो हमेशा अपवाद होते ही हैं । तथ्य यह है कि सभी देश सीमा प्रबंधन में समान योगदान नहीं करते हैं । समान रूप से साझा सीमाओं का प्रबंधन उन देशों के लिए एक समस्या हो सकता है जो प्रबंधन का भार समान रूप से नहीं उठाना चाहते हैं।

व्यापक स्तर पर सीमा प्रबंधन है सीमा से सटे क्षेत्र के मामलों को इस तरह से प्रबंधित करना ताकि इन क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक प्रगति सुनिश्चित हो सके और वहां मौजूद सुरक्षा स्थिति में गुणात्मक वृद्धि हो सके। इस प्रकार सीमाओं की सुरक्षा के अलावा सीमा प्रबंधन में क्षेत्रीय विकास के ढांचे को शामिल किया गया है। सामरिक स्तर पर सीमा प्रबंधन सीमावर्ती भूमि और सीमावर्ती लोगों को मुख्य भूमि और मुख्य भूमि के लोगों के साथ एकीकृत करना है । इसे देश की सुरक्षा व अन्य एजेंसी के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से नागरिक और सैन्य सीमा सुरक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाता है। व्यावहारिक रूप में इसका अर्थ देश के सुरक्षा हितों के समेकन के साथ-साथ सीमावर्ती निवासियों के सामाजिक आर्थिक समृद्धि और भावनात्मक एकीकरण को प्राप्त करना है।

सीमा प्रबंधन भारत देश के संबंध में सुरक्षा का प्रारंभिक मुद्दा है लेकिन जब हम सीमा प्रबंधन अपने पड़ोसी देशों के साथ करते हैं तो इसमें घटनाओं के दौरान बुनियादी संचार से लेकर संयुक्त राजनीतिक संवाद-बातचीत, सीमा अभ्यास और संयुक्त सीमा संचालन के साथ-साथ देशों के बीच व्यापार समझौते से प्रभावित सीमा शुल्क, आवागमन की स्वतंत्रता, पड़ोसी देशों के साथ अन्य बंदोबस्त के अधिकारों पर भी चर्चा होती है ।

दो देशों के बीच सीमाएं खुलीं-व्यापार और क्षेत्रीय सहयोग के तहत लोगों के आवागमन के परिणामस्वरूप आर्थिक विकास के साथ-साथ क्षेत्रीय विकास का द्वार भी खोलता है । एक व्यवस्थित, शांतिपूर्ण, अपेक्षाकृत खुली सीमा-व्यवस्था सुरक्षा और समृद्धि के स्रोत हैं। यही कारण है कि दुनिया के कई क्षेत्रों में व्यापार और मानव यातायात के लिए सीमाओं को अपेक्षाकृत खुली और मुक्त रखने का प्रयास किया जाता है। सीमाएं हमेशा दो पड़ोसी मुल्कों को परिभाषित करती हैं और यह उनके साथ के संबंधों को प्रभावित करती हैं।

भारत एक सभ्यतापरक देश है। इसके सांस्कृतिक पदचिह्न इसकी सीमाओं से बहुत आगे तक जाते हैं। दुर्भाग्य से, भारत के विभाजन के साथ, जो आकार बना, उसने भारत को भौगोलिक रूप से छोटा कर दिया। हालांकि खींची गई सीमाएं बनावटी और अराजक थीं।

सीमाओं की बदलती प्रकृति

सीमाओं की प्रकृति बदल रही है तो लाजमी है हमारी सीमाएं भी उसी अनुरूप प्रबंधन के उत्थान की स्थिति से गुजर रहे हैं । जनसंख्या परिवर्तन, भू-भाग में परिवर्तन और आर्थिक विकास सब मिल कर सीमावर्त्ती क्षेत्रों की प्रकृति को प्रभावित करते हैं। वैश्वीकरण का भी तकाजा है कि सीमा पार की आवाजाही आसान बने। फिर भी, नागरिकों के अवैध पलायन और कोरोना की समस्या के चलते सीमा नियंत्रण के नियम सख्त होते जा रहे हैं।

सीमा प्रबंधन अपने आप में एक बहुआयामी शब्द है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संधि और परस्पर विनियमन तक ही सीमित नहीं है बल्कि अवैध आप्रवास, अधिकृत लोगों और सामानों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना, और सीमा पार के अपराधों की रोकथाम करना शामिल है । सीमा सुरक्षा बलों को सीमा के समुचित प्रबंधन के लिए अपेक्षित सामग्री और वित्तीय संसाधनों, प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता होती है। सीमा प्रबंधन के लिए एक समग्र रणनीति और बहु-हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। करगिल संघर्ष के मद्देनजर, सरकार ने देश में राष्ट्रीय प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा के लिए चार टास्क फोर्स का गठन किया था। इनमें से एक सीमा प्रबंधन पर भी था। यह पहली बार था जब हमने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन के हिस्से के रूप में सीमाओं को समग्र रूप में देखा था। इस टास्क फोर्स द्वारा दी गई सिफारिशों को मंत्रियों के एक समूह द्वारा स्वीकार किया गया था।

आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और माना जाता है कि यह दुनिया की उभरती महाशक्तियों में से एक है । जहाँ एक ओर भारत के केंद्रीय स्थान और ट्रांस-हिंद महासागर मार्गों ने इस वृद्धि में अपना योगदान दिया है, वहीँ दूसरी ओर हमारी बड़ी और जटिल सीमा के सामने अनेक चुनौतियाँ हैं जिनका देश के निरंतर आर्थिक विकास के लिए सुचारू रूप से संचालित करने की आवश्यकता है। भारत सात अलग-अलग देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इनमें से अधिकांश सीमाएँ मानव निर्मित हैं और किसी भी प्राकृतिक बाधा का पालन नहीं करते हैं।

भारत की विशाल तटरेखा और द्वीप तथा सीमावर्त्ती क्षेत्रों को अधिक संपर्क और अधिक सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों की आवश्यकता है। वे जहां रहते हैं, वहीं रहने के लिए उन्हें अधिक सुरक्षा

और ऐसे ही अधिक कारणों को सुलभ किए जाने की आवश्यकता है। सीमावर्त्ती क्षेत्रों से अवैध घुसपैठ अत्यधिक अस्थिर करने वाला कारक हो सकता है। सीमा प्रबंधन की जिम्मेदार संस्थाओं को इसे ध्यान में रखना चाहिए। सीमा प्रबंधन की कुंजी है जन-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा में भागीदार बनाना है। इस काम में पड़ोसियों से भी अच्छा सहयोग जरूरी है। इसके अलावा, हमें बेहतर सीमा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों, आईटी और बुनियादी ढांचे के निर्माण के आधुनिक तरीकों का उपयोग करना चाहिए।

सीमा प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय कानून

देश की सीमाओं के बिना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कल्पना करना कठिन है । किसी देश के क्षेत्र के अधिग्रहण और राजनीतिक सीमाओं का निर्माण, दोनों का इतिहास राजनीतिक संस्थाओं के बीच और भीतर शक्ति संबंधों को दर्शाता है और मजबूत करता है। सीमा शक्तिशाली राजनीतिक विजय और व्यवसाय के आधार पर क्षेत्रीय अधिग्रहण के नियमों के साथ बहुत अच्छी तरह से बनाई गई संस्थाएं है । सदियों से शक्तिशाली अभिजात वर्ग और शासकों ने भी अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने प्रभाव को बढ़ाया । अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रादेशिक अधिग्रहण के नियम और सीमा परिसीमन की प्रथाएं दोनों को मानता है । इन रूढ़िवादी नियमों ने सीमा से जुड़े संभावित विवादों को निपटाने या उससे बचने में मदद की है और कालांतर में यही सीमा प्रबंधन के नींव का काम किया है ।

अच्छी सीमा प्रबंधन नीतियों को विकसित करने में, हमें यह भी पता होना चाहिए कि सीमा प्रबंधन नीतियों को बनाने और लागू करने में, राज्यों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करना होता है । मानवाधिकार सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून पर जिनेवा सम्मेलन, विश्व व्यापार संगठन दोहा विकास एजेंडा और अदीस अबाबा कार्य योजना, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध और प्रोटोकॉल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सभी प्रासंगिक हैं। अच्छे सीमा प्रबंधन...एक दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है, सीमा पार गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने और सुरक्षा बनाए रखने, दोनों में ही राज्यों के हितों को संतुलित करने में मदद करता है। इस संतुलन को प्राप्त करना, सीमा प्रबंधन-नीतियों और कार्य के चार क्षेत्रों पर केंद्रित हस्तक्षेपों पर निर्भर करता है:1) पहचान प्रबंधन, 2) सीमा प्रबंधन सूचना प्रणाली (बीएमआइएस), 3) एकीकृत सीमा प्रबंधन (आइबीएम), और 4) मानवीय सीमा प्रबंधन (एचबीएम)। भारत एक मजबूत और संतुलित सीमा प्रबंधन प्रणाली विकसित करने की प्रक्रिया में है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के साथ सीमा-पार आवाजाही को संतुलित करती है।

कानूनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अर्थव्यवस्थाएं का एक गतिशील या चलित हिमशैल का एक ऊपरी सिरा मात्र हैं। अवैध गतिविधियाँ सीमावर्ती क्षेत्रों के आसपास काफी महत्वपूर्ण रूप से जड़ जमा लेती हैं - और संभवतः बढ़ती भी रहती हैं । और यही एक कारण है कि अंतरराष्ट्रीय कानूनी समझौते द्वारा उत्पादों और सेवाओं की बढ़ती संख्या पर प्रतिबंध लगाएं और अंतर्राष्ट्रीय संधियों के द्वारा सीमा प्रबंधन को सरल बनाया जाता है । संक्षेप में, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ जटिल रहने की जगह हैं जिनमें कई आर्थिक, सामाजिक और सैन्य परस्पर

धाराएं बहती हैं। आर्थिक उदारीकरण ने सीमाओं के प्रबंधन के लिए अवसर के साथ साथ एक चुनौती भी खड़ा कर दिया है।

विभिन्न प्रकार की सीमाएँ- भारत के संदर्भ में

विभिन्न प्रकार की सीमाएँ भारत और इसके पड़ोसी देशों के साथ हैं। ये सीमाएँ विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारणों से अस्तित्व में आई हैं। उदाहरण के लिए, भारत-चीन सीमा को एक *'हार्ड-बॉर्डर'* के रूप में वर्णित किया जा सकता है। क्योंकि इस सीमा पर किसी भी प्रकार की बातचीत, चाहे वह सामाजिक, सांस्कृतिक, या आर्थिक हो, 1962 के सीमा युद्ध के बाद आधिकारिक तौर पर बंद कर दिए गए थे। और आजकल दोनों देशों की इस सीमा पार से अधिक सार्थक बातचीत भी नहीं होती है। वर्तमान में यहाँ केवल सीमित आर्थिक संपर्क ,सीमा व्यापार और मानसरोवर और कैलाश की तीर्थयात्रा की अनुमति है।

दोनों देशों के सीमा प्रश्न का समाधान अभी भी नहीं हो पाया है और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह एक कठिन मुद्दा है। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए अनेक तंत्रों की स्थापना की गई है कि सीमा प्रश्न का अंतिम समाधान होने तक सीमा पर शांति बनी रहे। समाधान के संबंध में भी हम सिद्धांतों, एक रूपरेखा और अंतत: सीमा रेखा पर सहमति व्यक्त करने के तीन चरणों के दूसरे चरण में हैं।

इसी प्रकार मतभेद के अन्य द्विपक्षीय मुद्दों का समाधान करने के लिए भी संवाद एवं संचार के विभिन्न तंत्र विद्यमान हैं। वस्तुत: कुछ सुरक्षा संबंधी चुनौतियां विशेषकर गैर पारंपरिक स्वरूप की चुनौतियां भारत और चीन दोनों ही देशों के समक्ष हैं और इनका समाधान करने के लिए मिलकर कार्य करने के अवसर भी हैं। भारत और चीन दोनों ही देशों के समक्ष आतंकवाद की चुनौती है। आज जब भारत और चीन दोनों में ही त्वरित बदलाव हो रहे हैं तो हमें एक दूसरे के प्रति समझ को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। दोनों देशों के बीच होने वाले कार्यकलापों की गुणवत्ता और स्वरूप में भी तेजी से विस्तार हुआ है और हमें संबंधों का प्रबंधन करने के नए तौर तरीके सीखने की आवश्यकता है।

भारत-म्यांमार सीमा आंशिक रूप से खुली है, लेकिन केवल सीमा पर रहने वाले जनजातियाँ के लिए ही। यह देखते हुए कि इन जनजातियों के पास अपने साथियों के साथ मजबूत पारंपरिक सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, इन जनजातियों को यात्रा करने की अनुमति है और बिना किसी विशेष परमिट के सीमा पार से आपस में मिलजुल सकते हैं।

भारत-बांग्लादेश सीमा एक *'रेगुलेटेड-बॉर्डर'*। *विनियमित सीमा* है - अर्थात, सीमा पार करने के लिए वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता होती है और जन,माल, और वाहन निर्दिष्ट सीमा पर स्थित आव्रजन जांच बिंदु और भूमि कस्टम स्टेशन की अनुमति से यात्रा कर सकते हैं। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि यह सीमा भी अत्यंत पोरस है। लोगों के लिए इसे अपनी इच्छा से पार करना संभव बनाता है। खतरों और प्रबंधन के खिलाफ ऐसी विविध सीमाओं की सुरक्षा वास्तव में एक चुनौती है।

दूसरी ओर, भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाएँ खुले हैं/*ओपन बॉर्डर* - यानी लोग बिना किसी रुकावट या वीसा प्रतिबंध के सीमाओं के पार जा सकते हैं। हालाँकि, इसमें थोड़ा अंतर है इन दोनों देशों की

खुली सीमाओं में । भारत-नेपाल सीमा पर आवाजाही के लिए किसी भी यात्रा दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, जबकि भूटान के मामले में भूटानी अधिकारियों से इंटीरियर परमिट मिलने के बाद भूटान के अन्दर की यात्रा की जा सकती है ।

सीमा अवसंरचना और प्रबंधन योजना

भारत सरकार ने 13,020 करोड़ रुपए की लागत से वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 'सीमा अवसंरचना और प्रबंधन' की केंद्रीय क्षेत्र की समग्र योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गृह मंत्रालय सीमा अवसंरचना और प्रबंधन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। इस निर्णय से सीमा प्रबंधन, पुलिसिंग और सीमाओं की रखवाली को बेहतर बनाने के लिए सीमा अवसंरचना को मजबूती मिलेगी। इस योजना से भारत-पाकिस्तान, भारत-बांग्लादेश, भारत-चीन, भारत-नेपाल, भारत-भूटान और भारत-म्यांमार सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए सीमा बाड़, बॉर्डर फ्लड लाइट, तकनीकी समाधान, सीमा सड़कों और सीमा चौकियों / कंपनी संचालन केंद्रों के निर्माण जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद मिलेगी।

सीमाओं को सुरक्षित करने हेतु की गई अन्य पहलें:

जीवंत ग्राम कार्यक्रम: विरल आबादी वाले सीमावर्ती गाँव सीमित संपर्क एवं बुनियादी ढाँचे के अभाव के कारण प्रायः 'विकास के लाभ' से वंचित रह जाते हैं। उत्तरी सीमा पर ऐसे गाँवों को बजट 2022-23 के तहत घोषित नए जीवंत ग्राम कार्यक्रम' में कवर किया जाएगा। इन गतिविधियों में ग्रामीण बुनियादी ढाँचे का निर्माण, आवास, पर्यटन केंद्र, सड़क संपर्क, विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा का प्रावधान, दूरदर्शन एवं शैक्षिक चैनलों का प्रत्यक्ष प्रसारण और आजीविका सृजन हेतु समर्थन शामिल होगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के करीब चीनी 'मॉडल गाँवों' का मुकाबला करने के लिये यह कदम उठाया गया है। यह मौजूदा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का एक उन्नत संस्करण होगा।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम:

'सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम' (BADP) की शुरुआत सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास और सीमावर्ती आबादी के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने हेतु सीमावर्ती क्षेत्रों के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिये की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष विकास आवश्यकताओं को पूरा करना और केंद्रीय/राज्य/BADP/स्थानीय योजनाओं के अभिसरण तथा भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से आवश्यक बुनियादी ढाँचे के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों को संतृप्त करना है।

भारत में स्मार्ट फेंसिंग (CIBMS):

भारत-पाकिस्तान सीमा (10 किलोमीटर) और भारत-बांग्लादेश सीमा (61 किलोमीटर) पर व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) के तहत 71 किलोमीटर की दो पायलट परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। CIBMS के तहत सीमाओं पर अत्याधुनिक निगरानी तकनीकों की एक शृंखला को तैनात किया जाना शामिल है- थर्मल इमेजर्स, इन्फ्रा-रेड और लेज़र-आधारित घुसपैठ अलार्म, हवाई निगरानी हेतु एयरोस्टेट,

बिना सेंसर वाले ग्राउंड सेंसर जो रडार, सोनार सिस्टम का पता लगाने में मदद कर सकते हैं, फाइबर-ऑप्टिक सेंसर तथा एक कमांड एवं कंट्रोल सिस्टम जो वास्तविक समय (Real Time) में सभी निगरानी उपकरणों से डेटा प्राप्त करने में सक्षम है।

बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्यूआरटी इंटरसेप्शन टेक्नीक (BOLD-QIT) का इस्तेमाल CIBMS के तहत असम के धुबरी ज़िले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर भी किया जा रहा है।

सीमा सड़क संगठन (BRO):

वर्ष 1960 में स्थापित यह संगठन सड़कों, पुलों, राजमार्गों, हवाई अड्डों, सुरंगों, इमारतों और ऐसी अन्य संरचनाओं सहित रक्षा बुनियादी ढांचा प्रदान करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। BRO द्वारा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लोगों के लिये 53,600 किलोमीटर से अधिक की जीवन रेखा (सड़क) का निर्माण किया गया है। यह सीमा प्रबंधन और सीमा क्षेत्र में संचार की महत्त्वपूर्ण कड़ी है ।

निष्कर्ष

सीमा प्रबंधन में सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की भूमिका अग्रणी है । सीमा प्रबंधन के लिए स्थानीय आबादी एक महत्त्वपूर्ण तत्व है । देश की सामरिक संपत्ति और सीमा सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में सीमा आबादी को ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती आबादी को मौसम के हिसाब से सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई पहल की हैं, ताकि वे प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के दौरान पूरे वर्ष वहां रह सकें। सरकार ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे में सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए कि ये लोग सीमावर्ती गांवों में रहना जारी रखें और सीमावर्ती आबादी के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्हें कनेक्टिविटी जैसी सभी सुविधाएं प्रदान करने पर भी जोर दिया गया है। इन क्षेत्रों में स्थायी जीवन सुनिश्चित करने के लिए पेयजल, स्कूल, अस्पताल और अन्य सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर स्थित गांव पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के दुस्साहस पर भी नजर रखते हैं। इन इलाकों में भारत और चीनी सेना अक्सर आमने-सामने की स्थिति में आ जाती हैं, क्योंकि कई जगहों को स्पष्ट रूप से सीमांकित नहीं किया गया है। इस तरह सीमा प्रबंधन केवल सीमा की सुरक्षा से शुरू होकर आर्थिक उदारीकरण के पश्चात् उत्पन्न हुए तमाम तत्त्वों को आत्मसात करता हुआ चला गया । अभी भी यह आदर्श की स्थिति नहीं है बल्कि यह परिस्थिति और आर्थिक पहलुओं को देखते हुए नित नए आयामों को जोड़ते हुए चल रही है ।

संदर्भ

1. सीमा प्रबंधन के लिए भारत का दृष्टिकोण- पुष्पिता दास
2. सीमा प्रबंधन: चुनौतियां और अवसर- अरविंद गुप्ता
3. करुणाकर गुप्ता, "हिडन हिस्ट्री ऑफ द चाइना-इंडियन फ्रंटियर"

4. ''भारत-चीन संबंधों में घटनाक्रमों'' पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का संबोधन

5. वार्षिक रिपोर्ट 2018-19, नई दिल्ली: गृह मंत्रालय, 2019

6. सीमाओं की सुरक्षा में सीमा अवसंरचना और प्रबंधन का महत्त्व- दृष्टि

7. सीमा प्रबंधन, पुलिसिंग और सीमाओं की रखवाली को बेहतर बनाने के लिए सीमा अवसंरचना को मजबूत किया जाएगा- दैनिक भास्कर ,फरवरी-2022

8. सीमा प्रबंधन की अवधारणा- ficci

9. सरकारिया आयोग की रिपोर्ट - सितंबर, 2018

****

थाने में नवनियुक्त पुलिस कर्मियों से अपेक्षाएं

सुश्री वीना बंगवाल
सहायक प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय

पुलिस विभाग में थाना एक ऐसी इकाई है जहां से पुलिस का कार्य आरंभ होता है। थाना पुलिस को विभाग की धुरी कहा जा सकता है। यदि थाना स्तर पर पुलिस के कार्यो का निष्पादन सही ढंग से किया जाए तो पुलिस विभाग समाज के विभिन्न वर्गों की आलोचना से बचने के साथ-साथ आम जनता की प्रशंसा का पात्र बन सकता है। पुलिस विभाग की छवि को अच्छा बनाए रखने के लिए स्थापित मानदंडों के आधार पर कार्य करने की आवश्यकता होती है। यह तभी हो सकता है जब प्रभारी निरीक्षक / थाना प्रभारी, उप निरीक्षक पुलिस, प्रधान लेखक, चौकी के मुख्य आरक्षी व आरक्षी यह जानते हों कि उन्हें करना क्या है? इसी बात को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वह कार्य नीचे लिखे जा रहे हैं जो उन्हें अपनी नई नियुक्ति के स्थान पर जाते ही करने आवश्यक होते हैं।

क) प्रभारी निरीक्षक/थाना प्रभारी द्वारा किसी कोतवाली/थाने का कार्य भार ग्रहण करने के बाद क्या करना आवश्यक है। थाने का भार साधक अधिकारी कहीं पर उप निरीक्षक पुलिस होता है और कहीं पर निरीक्षक पुलिस होता है। यह अपने थाने की सीमा के अदर पुलिस प्रशासन को चलाता है। यह अपने अधीनस्थों की दक्षता, उनके कर्तव्यों का उचित पालन, उनके द्वारा तैयार किए गए सभी रजिस्टरों, अभिलेखों व रिपोर्टों की शुद्धता, थाने में रखे जाने वाले सरकारी धन और मूल्यवान संपत्ति की सुरक्षित अभिरक्षा और रोकड़बड़ी को सही बनाने तथा अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण बनाए रखने और उनके अनुशासन के लिए उत्तरदायी है।

इन सब कार्यो को करने के लिए उसे कार्य भार ग्रहण करने के तत्काल बाद निम्न कार्य करने चाहिए जिससे वह थाने के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके।

1. थाना क्षेत्र की जानकारी करना

नव नियुक्त थाना प्रभारी को अपने थाना क्षेत्र में भ्रमण करके निम्न बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

- थाने की सीमा की जानकारी करना
- थाना क्षेत्र में अपराधियों के आने के मार्ग कौन-कौन से हैं
- थाने के औद्योगिक क्षेत्र की जानकारी करना
- थाना क्षेत्र के स्कूल/कालेजों की जानकारी करना
- थाना क्षेत्र के सिनेमा घरों की जानकारी करना
- थाना क्षेत्र के बैंकों की जानकारी करना
- थाना क्षेत्र में पड़ने वाले बस अड्डों की जानकारी करना
- सरकारी शराब की दुकानों की जानकारी करना
- रेलवे स्टेशन के बाहर के क्षेत्र की स्थिति की जानकारी करना
- थाना क्षेत्र के बाजारों की जानकारी करना

- थाना क्षेत्र के साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील मोहल्लों/चौराहों की जानकारी करना
- थाना क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जानकारी करना
- थाना क्षेत्र की शस्त्र की दुकानों, तेजाब की दुकानों एवं आतिशबाजी की दुकानों की जानकारी करना

2. खुफिया नोट बुक का अध्ययन करना चाहिए

3. अपने अधीनस्थों का सम्मेलन करना चाहिए

4. थाने के मालखाने में मौजूद सरकारी संपत्ति का सत्यापन करना चाहिए

5. थाने के अपराध संबंधी निम्नलिखित अभिलेखों का निरीक्षण कर लेना चाहिए

- अपराध रजिस्टर
- थाने की निरोधात्मक कार्रवाई का आकलन करना
- संपत्ति का रजिस्टर
- ग्राम अपराध पुस्तिका
- पलायित अपराधियों का रजिस्टर
- इंडेक्स प्रथम सूचना रिपोर्ट अहस्तक्षेपीय अपराध
- क्रियाशील अपराधियों का रजिस्टर
- बीट इंफार्मेशन रजिस्टर
- जमानत का रजिस्टर
- त्यौहार रजिस्टर
- पिछले 10 वर्षों के प्रकाश में आए अपराधियों का रजिस्टर
- संभावित झगड़े के प्रकरणों के स्थानों का रजिस्टर
- गैंग रजिस्टर
- आरोप पत्र रजिस्टर
- शस्त्र रजिस्टर

(ख) थाने के अधीनस्थ उप निरीक्षक पुलिस को नई नियुक्ति के समय क्या क्या करना आवश्यक है

थाने पर कार्य भार के अनुसार उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की नियुक्ति होती है। कुछ उप निरीक्षक ना. पु. थाने की विभिन्न चौकियों पर प्रभारी के रूप में नियुक्त होते हैं व कुछ चौकी प्रभारी उप निरीक्षक की सहायता के लिए उनके साथ चौकी पर नियुक्त किए जाते हैं। यदि थाने में ग्रामीण क्षेत्र है, तो बीटवाइज (हलकेवार) उपनिरीक्षक की नियुक्ति की जाती है। सभी उप निरीक्षक पुलिस अपनी चौको या अपनी वोट के क्षेत्र के अपराध नियंत्रण एवं घटित अपराधों की विवेचना के लिए थाना प्रभारी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इन दोनों कार्यों के कुशल संपादन हेतु नव नियुक्त उप निरीक्षक को निम्न कार्य प्रारंभ में ही कर लेने चाहिए जिससे उसे संबंधित 'क्षेत्र के कार्यों के बारे में जानकारी हो जाए और आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

1. अपने प्रभार के क्षेत्र की जानकारी करना उप निरीक्षक पुलिस चाहे चौकी पर नियुक्त हो या देहात की किसी बीट का प्रभारी हो उसे अपने प्रभार के क्षेत्र की जानकारी निम्न बिंदुओं पर कर लेनी चाहिए-

- उसकी चौकी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में कितने मोहल्ले/गांव है।
- उसके क्षेत्र में मुख्य धार्मिक स्थल कहां-कहां हैं।
- उसके क्षेत्र में सिनेमाघर कहां-कहां हैं और उनके दूरभाष नंबर
- उसके क्षेत्र में बाजार कहां-कहां लगते हैं।
- उसके क्षेत्र में बैंक कहां-कहां है और उनके दूरभाष नम्बर
- राजनैतिक पार्टियों का सूचना रजिस्टर
- उसके क्षेत्र में औद्योगिक स्थल कहां-कहां है।

- उसके क्षेत्र में संवेदनशील मौहल्ले/चौराहे अथवा गांव कौन से हैं।
- उसके क्षेत्र में रोडवेज बस स्टैंड / टेक्सी अड्डे कहां-कहां पर स्थित है।
- उसके क्षेत्र में सरकारी शराब की दुकानें कहां-कहां स्थित हैं।
- उसके क्षेत्र में निरीक्षण भवन कहां-कहां हैं और उनके दूरभाष नंबर

2. अपने प्रभार क्षेत्र के अपराध की जानकारी करना

नव नियुक्त उप निरीक्षक को अपनी चोकी/ ग्रामीण क्षेत्र के अपराध की जानकारी निम्न बिंदुओं पर अभिलेखों के आधार पर कर लेनी चाहिए

- किस प्रकार का अपराध क्षेत्र में अधिक हो रहा है।
- क्षेत्र का कौन-सा भाग अपराध से अधिक प्रभावित है।
- किस प्रकार के लोग अपराध में सक्रिय हैं।
- अपराधियों का आयु वर्ग क्या है।
- अपराध घटित होने का समय क्या है।

यह जानकारी करने के बाद उप निरीक्षक पुलिस अपने क्षेत्र में अपराध की रोकथाम हेतु योजना बनाकर थाना प्रभारी से विचार विमर्श करने के उपरान्त आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

3. प्रभार क्षेत्र में साम्प्रदायिक अथवा जातिगत झगड़ों की जानकारी करना

उप निरीक्षक पुलिस को अपने प्रभार क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साम्प्रदायिक/जातिगत झगड़ों की स्थिति की निम्न जानकारी करके उनके समाधान हेतु सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि स्थिति की जानकारी न होने और समय रहते कार्रवाई न करने के कारण यह समस्या विस्फोटक हो सकती है।

- कौन-कौन से मौहल्ले/ गांव साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील हैं।
- किन-किन मौहल्लों/गांवों में पहले साम्प्रदायिक घटना हुई हैं।
- कौन-कौन लोग साम्प्रदायिक/जातिगत झगड़ों में भाग लेते हैं।
- कौन-कौन लोग इस प्रकार के झगड़ों को प्रोत्साहन देते हैं।

क्या इस प्रकार की कोई समस्या वर्तमान में चल रही है । यह जानकारी प्राप्त करने के बाद उ.नि. पुलिस अपने क्षेत्र में होने वाले साम्प्रदायिक/जाति झगड़ों पर नियंत्रण लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई थाना प्रभारी से विचार विमर्श करके कर सकता है।

4. प्रभार क्षेत्र में होने वाली अवैधानिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना

नव नियुक्त उप निरीक्षक पुलिस को अपने प्रभार क्षेत्र में होने वाली निम्न अवैधानिक गतिविधियों की जानकारी प्रारंभ में ही कर लेनी चाहिए जिससे उन पर अंकुश लगाया जा सके।

- प्रभार क्षेत्र में जुआ, सट्टा होने के बारे में
- प्रभार क्षेत्र में अवैध शराब बनाने व बेचने के बारे में
- प्रभार क्षेत्र में मादक पदार्थों की बिक्री के बारे में
- प्रभार क्षेत्र में अवैध शस्त्रों के बनाने व बेचने के बारे में
- प्रभार क्षेत्र में चल रहे वैश्यालयों के बारे में

- प्रभार क्षेत्र में चोरी का माल खरीदने वालों के बारे में

यह जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त उ.नि. पुलिस इन अवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने हेतु थाना प्रभारी से विचार विमर्श करने के उपरांत प्रभावी कार्रवाई अपने क्षेत्र में कर सकता है।

5. अपने प्रभार क्षेत्र के कर्मचारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना

उप निरीक्षक चौकी या देहात क्षेत्र को अपने कर्मचारियों के बारे में निम्न जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जिससे आवश्यक कार्रवाई की जा सके-

- कितने कर्मचारी नियुक्त हैं।
- कितने कर्मचारी चौकी बैरक में रहते हैं।
- कितने कर्मचारी मकान लेकर मौहल्लों में रह रहे हैं उनका पूरा पता और दूरभाष नम्बर ।
- उनको अपनी बीट की जानकारी है या नहीं
- वह अपनी बीट में जा रहे हैं अथवा नहीं।
- उनके पास बीट बुक है या नहीं ?
- उन कर्मचारियों में कोई शराब पीने का आदी तो नहीं है।
- बीट सूचना लाने का कार्य उनके द्वारा किया जा रहा या नहीं।
- उनको शासकीय कार्य में किसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। यदि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध में कोई असामान्य बात ज्ञात होती है, तो उसको थाना प्रभारी के संज्ञान में तत्काल लाई जानी चाहिए जिससे आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

6. अपने प्रभार क्षेत्र के संबंधित अभिलेखों का अवलोकन करना और उनसे संपर्क करना

नव नियुक्त उप निरीक्षक पुलिस को अपने प्रभार क्षेत्र से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन करके यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसके क्षेत्र की सूचना संबंधित अभिलेखों में दर्ज हो रही है या नहीं? चौकी प्रभारी उ.नि. को अपनी चौकी पर रखे जाने वाले निम्न अभिलेखों का निरीक्षण कर लेना चाहिए।

- चौकी क्षेत्र का अपराध रजिस्टर अपडेट है या नहीं।
- चौकी क्षेत्र की बीट सूचना का रजिस्टर बना है या नहीं यदि बना है, तो उसमें सूचनाएं कर्मचारियों द्वारा अंकित कराई जा रही हैं या नहीं।
- कर्मचारियों के ड्यूटी रजिस्टर में यह जांच करने की आवश्यकता है कि कर्मचारियों की ड्यूटी निष्पक्षता से लगाई जा रही है या नहीं।
- सेक्शन बोर्ड पूर्ण है या नहीं यदि पूर्ण नहीं है, तो उसे पूर्ण कराएं जिससे एक दृष्टि में पूरी चौकी क्षेत्र के बीट का और कर्मचारियों की जानकारी हो सकती है।
- यदि चौकी के प्रभारी उ.नि. को चौकी पर रखे जाने वाले अभिलेखों के संबंध में कोई त्रुटि ज्ञात होती है, तो उसको तत्काल अपने स्तर से ठीक करने का प्रयास करना चाहिए।

7. प्रभार क्षेत्र के संभ्रान्त व्यक्तियों की जानकारी करना और उनसे संपर्क करना

उप निरीक्षक पुलिस को अपने प्रभार क्षेत्र में रहने वाले मुख्य संभ्रान्त लोगों से नव नियुक्ति के बाद प्रारंभ में ही समय निकाल कर संपर्क कर लेना चाहिए

और उनके संबंध में निम्न जानकारी प्राप्त करनी चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके।

- चौकी क्षेत्र में रहने वाले प्रमुख राजनीतिज्ञों के नाम पते एवं दूरभाष नम्बर की जानकारी करना
- चौकी क्षेत्र में रहने वाले प्रमुख समाज सेवी व्यक्तियों के नाम, पते एवं उनके दूरभाष नंबर जानकारी करना।
- चौकी क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख समाज सेवा संस्थाओं जैसे रोटरी क्लब/लायंस क्लब आदि के प्रमुख पदाधिकारियों के नाम, पते एवं दूरभाष नम्बर की जानकारी करना।
- चौकी प्रभारी उ.नि. को उक्त सभी जानकारियों के संबंध में थाना प्रभारी को अवगत करा देना चाहिए।

(ग) थाने के प्रधान लेखक को अपनी नव नियुक्ति के थाने पर प्रारंभ में क्या क्या करना आवश्यक है ?

थाने का प्रधान लेखक मुख्य आरक्षी पद का होता है वह थाने के कार्यालय का लिपिक एवं रिकार्ड कीपर होता है। इसका कार्य अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखना, रोकड़ वही लिखना, जनरल डायरी लिखना और थाने पर रखी जाने वाली सरकारी संपत्ति, धन एवं मूल्यवान संपत्ति को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखना होता है। इसके अतिरिक्त वह थाने के सभी अभिलेखों का रख-रखाव करने के लिए उत्तरदायी है।

उक्त कर्तव्यों को दृष्टि में रखकर प्रधान लेखक को निम्न कार्य अपनी नव नियुक्ति के प्रारंभ में ही कर लेने चाहिए-

(1) सरकारी संपत्ति का भौतिक रूप से सत्यापन करके उसको अपनी अभिरक्षा में लेना

प्रधान लेखक जब किसी थाने पर नियुक्त होता है तो वह निवर्तमान प्रधान लेखक से थाने की सरकारी संपत्ति का प्रभार लेता है। प्रायः देखने में आया है कि यह कार्य कागज पर किया जाता है जो सही नहीं है। प्रधान लेखक को प्रत्येक सरकारी संपत्ति व्यक्तिगत रूप से देखकर अपने प्रभार में लेनी चाहिए जिससे बाद में कोई परेशानी न होने पाए। सरकारी संपत्ति में कमी होना न्यास भंग का अपराध है और इस प्रकार की कमी पाए जाने पर **धारा 409 भा.दं.वि**. के अपराध कई थानों पर पंजीकृत हुए हैं। भौतिक रूप से चेक कर संपत्ति प्रभार में लेने पर यदि कोई कमी पाई जाती है, तो नव नियुक्त प्रधान लेखक को इस बात को थाना प्रभारी के संज्ञान में लाना चाहिए जिससे आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

(2) मुकदमों से संबंधित संपत्ति को भी भौतिक रूप से चेक कर प्रभार में लेना चाहिए।

थाने पर पंजीकृत अभियोगों से संबंधित संपत्ति थाने के मालखाने में रहती है। इसका प्रभार भी प्रधान लेखक के पास रहता है। अतः यह आवश्यक है कि निवर्तमान प्रधान लेखक से मुकदमों से संबंधित संपत्ति का प्रभार नव नियुक्त प्रधान लेखक को भौतिक रूप से चेक कर लेना चाहिए। यह बात देखने में आई है कि बहुत से मुकदमों का माल रजिस्टर में इन्दराज होने पर भी मालखाने से गायब मिलता है और इस गायब माल के संबंध में कई प्रधान लेखक के विरुद्ध वैधानिक व विभागीय कार्रवाई की जाती है।

(3) धन का प्रभार रोकड़ बही के अनुसार लिया जाना चाहिए

थाने पर प्राप्त होने वाले सरकारी धन का लेखा जोखा प्रधान लेखक द्वारा रोकड़ बही में रखा जाता है। प्रधान लेखक का पद भार ग्रहण करते समय सरकारी धन को थाने की रोकड़बही के अनुरूप लिखित रूप से प्राप्त करना चाहिए। इसका उल्लेख जनरल डायरी में करना चाहिए। यदि कोई अवितरित धन बहुत समय से किन्हीं कारणों से रोकड़ वही में लम्बित हो, तो उसको वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आंकिक को लौटा देना चाहिए क्योंकि धन को अकारण थाने पर रखना उचित नहीं है।

(4) मालखाने में अभियुक्तों की व्यक्तिगत तलाशी और न्यायालय के आदेश से वापस किए जाने वाले माल को भौतिक रूप से चेक कर प्राप्त करना

थाने पर अभियुक्तों की व्यक्तिगत तलाशी का सामान / धन भी मालखाने पर रखा जाता है और इसका उल्लेख थाने के मालखाना रजिस्टर में किया जाता है। नव नियुक्त प्रधान लेखक को यह माल/धन भौतिक रूप से चेक करके प्राप्त करना चाहिए जिससे कोई कमी हो तो प्रकाश में आ जाए। थाने पर न्यायालय के निर्णय के बाद मुकदमों से संबंधित माल वादी अथवा अभियुक्त को वापस करने हेतु प्राप्त होता है। इस प्रकार के माल को नव-नियुक्त प्रधान लेखक द्वारा थाने पर रखे जाने वाले अभिलेखों से मिलान करके प्राप्त करना चाहिए जिससे आने वाले समय में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े।

(5) थाने पर रखी जाने वाली पुस्तकों का प्रभार थाने के रजिस्टर से मिलान कर लेना चाहिए

प्रत्येक थाने पर विधि एवं विभिन्न अधिनियमों की पुस्तकें जनपद के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से प्राप्त होती हैं और इनका थाने पर रिकार्ड रखा जाता है। प्रायः इन पुस्तकों में कमी पाई जाती है। नव नियुक्त प्रधान लेखक को इन पुस्तकों का प्रभार रजिस्टर से मिलान करके लेना चाहिए। यदि कोई कमी पाई जाए तो थाना प्रभारी के संज्ञान में लाना चाहिए।

(6) हवालात व मालखाने के कक्ष के सुरक्षित होने की जांच कर ली जाए

हवालात व मालखाने की सुरक्षा का भार थाने के प्रधान लेखक पर होता है और इन दोनों कक्षों की चाबी। उसी के पास रहती है। हवालात में रखे जाने वाले अभियुक्तों व मालखाने में रखी जाने वाली संपत्ति को सुरक्षित रखने हेतु नव नियुक्त प्रधान लेखक को इन दोनों कक्षों का निरीक्षण कर लेना चाहिए। यदि कोई कक्ष असुरक्षित प्रतीत होता हो, तो उसे थाना प्रभारी के संज्ञान में लाकर ठीक करवा लेना चाहिए। जिससे कोई अनहोनी घटना न घटने पाए।

(7) थाने पर रखे जाने वाले विभिन्न अभिलेखों का रखरखाव चेक कर लेना चाहिए

थाने पर रखे जाने वाले अपराध संबंधी, धन संबंधी एवं भूमि भवन संबंधी अभिलेख प्रधान लेखक व उसके साथ नियुक्त आरक्षी लेखक द्वारा तैयार किया जाता है। प्रधान लेखक का यह कर्तव्य है कि वह नई नियुक्ति के थाने पर प्रारंभ में ही यह देख लें कि थाने पर रखे जाने वाले अभिलेखों में आवश्यक सूचनाएं अपडेट अंकित है या नहीं ? यदि उसे लगता है, कि अभिलेखों में सूचना अपडेट नहीं है, तो इसकी सूचना थाना प्रभारी को देकर उसे यथा शीघ्र पूर्ण करें।

(घ) चौकी भार के साधक मुख्य आरक्षी को अपनी नव नियुक्ति पर क्या-क्या करना आवश्यक है ?

चौकी का भार साधक मुख्य आरक्षी चौकी पर नियुक्त आरक्षियों के कर्तव्यों का पालन, उनके आचरण व अनुशासन हेतु उत्तरदायी है। वह अपनी चौकी के आरक्षियों की ड्यूटी लगाता है और यह देखता है कि वह अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करें। वह चौकी क्षेत्र में होने वाले अपराधों एवं महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना थाना प्रभारी को देता है। वह अपराध का अन्वेषण नहीं करता, परंतु यदि वह पुलिस अधीक्षक द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कर दिया जाए, तो वह पंचायतनामा भरने की कार्रवाई कर सकता है।

चौकी के भार साधक मुख्य आरक्षी को उक्त कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी नव-नियुक्ति के स्थान पर निम्न कार्य प्रारंभ में ही कर लेने चाहिए।

1. चौकी क्षेत्र की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना

चौकी पर नव नियुक्त मुख्य आरक्षी को चौकी क्षेत्र का भ्रमण करके निम्न स्थानों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए जिससे वह चौकी क्षेत्र से परिचित हो सके और आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई हेतु वहां पहुंच सके।

- चौकी क्षेत्र में कौन-कौन से मौहल्ले हैं।
- उन मौहल्लों में जातिगत अनुपात क्या है।
- किन-किन मौहल्लों में साम्प्रदायिक या जातिगत झगड़ों की संभावना रहती है।
- कौन-कौन से चौराहे कानून व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील है।
- मुख्य-मुख्य धार्मिक स्थल कहां-कहां पर स्थित है।
- स्कूल / कालेज कहां-कहां पर है।
- सिनेमाघर कहां-कहां पर है।
- शराब की दुकानें कहां-कहां पर हैं।
- रोडवेज बस स्टेशन कहां पर है।
- चौकी में कोई औद्योगिक क्षेत्र कहां पर है।
- चौकी क्षेत्र में बैंक कहां-कहां है।
- चौकी क्षेत्र में बाजार कहां-कहां है।
- चौकी क्षेत्र में आतिशबाजी को दुकानें कहां-कहां है।
- चौकी क्षेत्र में तेजाब विक्रेता की दुकानें कहां-कहां हैं।
- चौकी क्षेत्र में शस्त्र विक्रेताओं की दुकानें कहां-कहां है।

2. चौकी पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना

चौकी पर नियुक्त होने के बाद चौकी के मुख्य आरक्षी को वहां नियुक्त कर्मचारियों से बात करके निम्न जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए जिससे अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

- चौकी पर कितने कर्मचारियों का स्वीकृत नियतन है।
- चौकी पर कितने कर्मचारी नियुक्त है।
- चौकी क्षेत्र में कहां-कहां ड्यूटी रोजाना भेजी जाती है।
- कौन-कौन कर्मचारी किस-किस बीट में नियुक्त हैं।
- कितने कर्मचारी चौकी परिसर में रहते हैं और कितने प्राईवेट मकानों में रह रहे हैं ।
- कोई कर्मचारी ऐसा तो नहीं है जिसके शराब पीने या अपराधियों से मिले होने की शिकायत हो । यदि चौकी प्रभारी मुख्य आरक्षी को उक्त बिंदुओं में से किसी बिंदु पर कोई सत्य प्रतीत होता है, तो अपनी चौकी के प्रभारी उ.नि. के संज्ञान में लाकर उसको ठीक किया जाए।

3. चौकी क्षेत्र में रहने वाले प्रमुख व्यक्तियों से संपर्क करना

चौकी प्रभारी मुख्य आरक्षी को अपने चौकी क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों से प्रारंभ में ही समय निकाल कर संपर्क कर लेना चाहिए। उन लोगों से मिल कर चौकी क्षेत्र में हो रही अवैधानिक गतिविधियों की जानकारी कर लेनी चाहिए और उनसे पुलिस कार्यों में सहायता देते रहने की प्रार्थना करनी चाहिए।

4. चौकी क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटरों/सक्रिय अपराधियों की व्यक्तिगत जानकारी कर लेनी चाहिए

नव-नियुक्त मुख्य आरक्षी को अपने चौकी क्षेत्र के सभी हिस्ट्रीशीटरों की व्यक्तिगत रूप से पहचान कर लेनी चाहिए जिससे उन पर निगाह रखी जा सके। इस कार्य हेतु उन्हें चौकी पर बुलाया जा सकता है अथवा उनके घर जाकर उनसे संपर्क किया जा सकता है यदि कोई हिस्ट्रीशीटर मर गया है अथवा शारीरिक रूप से अक्षम है तो इस संबंध में थाना प्रभारी को लिखित में सूचना देकर उसकी हिस्ट्रीशीट में इस बात का नोट लगवाया जाना चाहिए जिससे उसकी हिस्ट्रीशीट नष्ट की जा सके अथवा उसकी निगरानी बंद की जा सके।

5. स्कूल / कालेज के प्रधानाचार्य से संपर्क करना चाहिए

मुख्य आरक्षी को अपनी चौकी क्षेत्र के स्कूल/ कालेज के प्रधानाचार्यों से संपर्क करके उनके स्कूल / कालेज की समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करके अपने चौकी / थाना प्रभारी को सूचित करना चाहिए जिससे उनके स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जा सके। स्कूल/ कालेज के दूरभाष नंबर नोट करके चौकी पर रखने चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर संपर्क स्थापित किया जा सके।

6. आरक्षियों की बीट बुक चेक कर लेनी चाहिए

चौकी के प्रत्येक आरक्षी की नोट बुक होती है जिससे संबंधित गश्त, निगरानी एवं तामोल आदि का कार्य उस आरक्षी को दिया जाता है। मुख्य आरक्षी को यह चैक करना चाहिए कि प्रत्येक आरक्षी के पास बीट से सबंधित बीट बुक है या नहीं। यदि बीट बुक नहीं है तो आरक्षियों की बीट बुक तैयार करा देनी चाहिए क्योंकि बीट बुक में संबंधित बीट के अपराधियों, हिस्ट्रीशीटरों, सक्रिय अपराधियों, शराब की दुकानों एवं भगौड़ा आदि के नाम अंकित होते हैं।

7. चौकी के अभिलेखों को अपडेट रखना चाहिए

नव-नियुक्त मुख्य आरक्षी चौकी के निम्न अभिलेखों को चेक कर लेना चाहिए और उन्हें अपडेट रखा जाना चाहिए।

(1) चौकी का अपराध रजिस्टर

(2) चौकी का बीट इंफार्मेशन रजिस्टर

(3) चौकी के कर्मचारियों का ड्यूटी रजिस्टर

(4) सेक्शन बोर्ड

8. चौकी क्षेत्र की आपराधिक स्थिति का मूल्यांकन कर लेना चाहिए

नव-नियुक्त मुख्य आरक्षी को अपनी चौकी क्षेत्र की अपराध की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करके यह देख लेना चाहिए कि अपराध की स्थिति ठीक है या खराब है। यह भी देखना चाहिए कि चौकी क्षेत्र के

कौन-कौन मौहल्ले अपराध से अधिक प्रभावित हुए हैं और किस प्रकार के अपराध अधिक घटित हुए है। अध्ययन के बाद अपने चौकी प्रभारी उप निरीक्षक से विचार विमर्श करके अपराध नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए।

(ड़) थाने/चौकी पर नव-नियुक्त आरक्षी नागरिक पुलिस को अपनी नियुक्ति के तत्काल बाद क्या-क्या करना आवश्यक है

नागरिक पुलिस के आरक्षियों का मुख्य कार्य अपराध की रोकथाम करना है। इनको इस कार्य हेतु थाना क्षेत्र में गश्त करने, अपराधियों की निगरानी करने, फरार अपराधियों का पता लगाने व अपराधियों के संबंध में सूचना एकत्र कर लाने हेतु निर्देशित किया जाता है। थाना व चौकी पर संतरी ड्यूटी का कार्य भी उन्हीं से लिया जाता है। प्रत्येक नव-नियुक्त आरक्षी को निम्न कार्य प्रारंभ में ही कर लेना चाहिए।

1. अपनी बीट (कार्य क्षेत्र) की भ्रमण कर जानकारी प्राप्त करना

प्रत्येक नव-नियुक्त आरक्षी को अपनी बीट में भ्रमण करके निम्न जानकारी करनी चाहिए।

- बोट के अंतर्गत कितने मोहल्ले या गांव है।
- संवेदनशील मोहल्ले अथवा गांव कौन-कौन से हैं? कौन-कौन से संभ्रान्त व्यक्ति किस-किस मोहल्ले या गांव में निवास करते हैं।
- शस्त्र धारक कौन-कौन हैं।
- मुख्य-मुख्य धार्मिक स्थल कहां-कहां पर हैं।
- उसकी बीट में किस दिन कहाँ बाजार लगता है।

2. अपनी बीट (कार्य क्षेत्र) के अपराधियों की जानकारी करनी चाहिए

नव-नियुक्त आरक्षी को अपनी बीट में प्रारंभ में भ्रमण करके निम्न जानकारी करनी चाहिए:

- कौन-कौन हिस्ट्रीशीटर किस-किस मौहल्ले या गांव में रहते हैं और उनमें कौन-कौन सक्रिय है।
- कौन-कौन सक्रिय अपराधी कहां-कहां निवास करते हैं।
- अपने बीट में निवास करने वाले हिस्ट्रीशीटरों/ सक्रिय अपराधियों को व्यक्तिगत रूप से देख लेना चाहिए जिससे उन पर दृष्टि रखी जा सके।

3. अपनी बीट बुक तैयार करनी चाहिए।

प्रत्येक आरक्षी को अपनी बीट के संबंध में एक बीट बुक रखना आवश्यक है। यदि उसे कोई बीट बुक थाने या चौकी से बीट से संबंधित नहीं मिली हो, तो उसको अपनी बीट बुक निम्न बिंदुओं पर तैयार कर लेनी चाहिए और यदि मिली हो तो निम्न बिंदु उसमें सम्मिलित कर लेना चाहिए।

- बीट आरक्षी का व्यक्तिगत विवरण
- बीट का भौगोलिक विवरण एवं सामान्य जानकारी
- बीट के अंतर्गत रहने वाले मोहल्लों/ग्रामों के प्रमुख व्यक्तियों, पुलिस मित्रों व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों के नाम पते एवं विवरण
- बीट में मौजूद विभिन्न विवाद / शत्रुता की जानकारी
- बीट में अपराधिक ठिकानों के विवरण की जानकारी
- बीट में घटित होने वाले अपराधों की जानकारी
- बीट के अपराधों में गत 10 वर्षों में जेल गए अपराधियों का विवरण
- वरिष्ठ अधिकारियों के टेलीफोन नंबरों की जानकारी

4. बीट आरक्षी को अपनी बीट से अपराध और अपराधियों से संबंधित सूचनाएं निम्न बिंदुओं पर एकत्रित कर बीट इन्फ्रार्मेशन रजिस्टर में दर्ज करानी चाहिए-

- संभावित झगड़ों के संबंध में
- साम्प्रदायिक तनाव के संबंध में
- विद्यार्थियों के भावी झगड़ों के संबंध में
- श्रमिक और उद्योगपतियों के विवाद के संबंध में
- अपराध में सक्रिय अपराधियों के संबंध में
- चोरी की संपत्ति खरीदने वालों के संबंध में
- अवैध शस्त्रों को बनाने व बेचने वालों के संबंध
- अवैध शराब बनाने व बेचने वालों के संबंध में
- जुआ सट्टा कराने वालों के संबंध में
- मादक द्रव्यों की बिक्री के संबंध में
- बीट में किसी बाहरी संदिग्ध व्यक्ति के आकर रहने के संबंध में
- हिस्ट्रीशीटर की घर से अनुपस्थिति के संबंध में
- नए अपराधियों के संबंध में

5. संभ्रान्त लोगों से व्यक्तिगत संपर्क कर लेना चाहिए

बीट आरक्षी को अपनी बीट के संभ्रान्त लोगों से एक-एक कर व्यक्तिगत रूप से मिल कर परिचय प्राप्त करना चाहिए और उनके टेलीफोन नम्बर नोट कर लेने चाहिए। उनके मौहल्ले/गांव की समस्याओं के बारे में बात करके जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए और उन समस्याओं को चौकी प्रभारी/थाना प्रभारी को बताना चाहिए।

6. स्कूल / कालेज की स्थिति की जानकारी व्यक्तिगत रूप से करनी चाहिए

बीट आरक्षी को अपनी बीट के स्कूल / कालेज जाकर यह जानकारी करनी चाहिए कि वह कहां स्थित है और वहां आस-पास किस प्रकार का वातावरण है। लड़कियों के स्कूल / कालेज के बाहर उसे विशेष रूप से यह देखने की आवश्यकता है कि स्कूल कालेज के शुरू होने के समय व छूटने के समय लड़कियों के साथ कोई अभद्र व्यवहार करने की शिकायत है या नहीं।

7. सिनेमाघर और शराब की दुकानों को भी व्यक्तिगत रूप से जाकर देख लेना चाहिए

बीट आरक्षी को अपनी बीट स्थित शराब की दुकान व सिनेमाघरों में जाकर यह देख लेना चाहिए कि इन स्थानों पर कानून व्यवस्था की दृष्टि से किस समय पुलिस रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इन दोनों स्थलों पर लोग आते-जाते रहते हैं, यदि उसे कोई बात महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, तो उसे चौकी प्रभारी/थाना प्रभारी के संज्ञान में लाना चाहिए।

****

पुलिस का विभिन्न वर्गों के साथ व्यवहार

श्री संदीप कुमार
शोधार्थी, जैन विश्वभारती संस्थान, लाडनू

पुलिसकर्मियों के व्यवहार में समानता बनी रहे, पुलिसकर्मियों का व्यवहार मनमाना, असंतुलित, असंयमित तथा असुविधाजनक न हो जाए तथा पुलिस बल में अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा व ईमानदारी के प्रति जागरूकता संस्थापित हो, इस तथ्य को ध्यान में रखकर पुलिसकर्मियों के व्यवहार को लेकर कुछ बातें निश्चित की गई हैं। जिसका पालन करना प्रत्येक पुलिसकर्मी के लिए अनिवार्य है। वस्तुतः ये वे व्यवहार प्रतिमान है जिनके अनुसार पुलिसकर्मी को यह तय करना होता है कि उसको किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, निःशक्तजनों, साक्षियों, छात्रों तथा अपराधियों के साथ पुलिस के व्यवहार के पृथक-पृथक प्रतिमान है। सभी के साथ एक ही व्यवहार प्रतिमान नहीं अपनाया जा सकता।

पुलिस का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है। इसका संपर्क जहां एक और अपराधियों, दुष्चरित्र व्यक्तियों से होता है वहीं उसके संपर्क में सभ्य सुशिक्षित व्यक्ति भी आते हैं। ऐसी अवस्था में सभी प्रकार के व्यक्तियों के साथ एक ही प्रकार का व्यवहार नहीं किया जा सकता। अलग-अलग व्यक्ति के साथ उसको भिन्न-भिन्न प्रकार का व्यवहार करना पड़ता है। प्रस्तुत अध्ययन में साक्षियों के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए तथा अपराधियों के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए तथा अपराधियों के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती है इस पर सर्वेक्षण के आधार पर तथ्यों का संकलन कर वस्तु स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। प्रस्तुत अध्ययन क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित है। इसमें चयनित न्यादर्शों से साक्षात्कार अनुसूची के आधार पर समंक संकलित किए गए तत्पश्चात् संकलित समंकों को वर्गीकृत व सारणीकृत कर यहां विश्लेषित किया गया है।

साक्षियों के साथ पुलिस का व्यवहार

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 327, 327 (3), धारा 273, धारा 299, धारा 173 (6) आदि में साक्षियों के लिए अनेक व्यवस्थाएं की गई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 228 स्पष्ट करती है कि बलात्संग के मामले में अपराध की पीड़िता के नाम तथा पते को प्रकाशित करने से प्रतिबंधित किया गया है। अतः साक्षियों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, किशोर न्याय (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट 2000 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 अनेक प्रावधान प्रावधानित करता है।

साक्षी कौन? साक्षी से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी घटना के संबंध में कुछ जानता है एवं पुलिस के समक्ष या न्यायालय के समक्ष घटना का बयान

करता है। या प्रमाण देने को प्रस्तुत होता है। यह घटना उसकी आँखों देखी हो सकती है, उस व्यक्ति के समक्ष की गई कार्रवाई के संबंध में हो सकती है, यदि कोई दस्तावेज, प्रतिज्ञापत्र या पंचनामा आदि किसी व्यक्ति के समक्ष लिखा जाता है तो वह व्यक्ति उस दस्तावेज की प्रमाणिकता सिद्ध करने वाला हो सकता है वह व्यक्ति जांच अधिकारी या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है या ऐसे व्यक्ति को पुलिस अथवा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने को कहा जाता है।

ऐसे सभी व्यक्ति साक्षी के अंतर्गत आते हैं जो घटना के संबंध में कुछ जानते है तथा जांच अधिकारी के समक्ष बयान देने हेतु प्रस्तुत होते हैं। पुलिस अधिकारी इनका घटनास्थल पर बयान लेते हैं तथा पुष्टि हेतु आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए निर्देश देते हैं। यहां यह स्पष्ट है कि साक्षी के बयान घटनास्थल पर ही लिए जाने चाहिए। घटनास्थल के अतिरिक्त थाने में या अन्यत्र स्थान पर बयान हेतु बुलाकर साक्षी को परेशान नहीं करना चाहिए। एक तथ्य यहां महत्वपूर्ण है वह यह कि पुलिस कार्रवाई की सफलता साक्षी के बयान पर निर्भर करती है, अतः पुलिस साक्षी पर निर्भर है, साक्षी पुलिस पर निर्भर नहीं है। साक्षी साक्ष्य देने के लिए तैयार समाज का कल्याण करता है, पुलिस की मदद करता है, न्यायालय को निर्णय तक पहुंचने में मदद करता है तथा अपना अमूल्य समय नष्ट करता है। साक्ष्य देने के बदले में उसे कुछ नहीं मिलता हां इतना अवश्य है कि जिसके विरुद्ध वह गवाही देता है उससे वैमनस्यता बढ़ जाती है तथा इस कारण कई बार उसे भारी क्षति उठानी पड़ती है। इसी कारण साक्षियों की सुरक्षा व संरक्षण संबंधी अनेक विधिक योजनाएं बनाई गई हैं जो अग्रांकित हैं

(1) आपराधिक घटना के प्रत्यक्षदर्शी या अन्येत्तर संबंद्ध गवाह के निवास को चिन्हित कर अपराधी की पहुंच से दूर रखना।

(2) किसी अज्ञात स्थान पर उसके निवास की व्यवस्था करना।

(3) गवाह के भरण-पोषण तथा जीवन के लिए आवश्यक सुविधाओं को पूर्ण करने के लिए आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था करते रहना।

(4) भारत के विधि आयोग तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों का अध्ययन करना जिसमें गवाहों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है और न्यायालयों के द्वारा न्यायिक कार्यवाही को स्थगित करते रहने तथा गवाह को निराश्रित प्रतीक्षारत करके कई बार आहूत करने से उत्पन्न दुःखद स्थिति के संबंध में चिंता व्यक्त की गई है।

गवाह या साक्षी के साथ पुलिस को कैसा व्यवहार करना चाहिए यह सिद्धांत का प्रश्न है तथा गवाह के साथ पुलिस कैसा बर्ताव करती है यह व्यवहार का प्रश्न है। व्यावहारिक पहलू का परीक्षण करने हेतु अध्ययन क्षेत्र के 600 चयनित न्यादर्शों से प्रश्न किए गए जो तथ्य प्राप्त हुए वे निम्नवत् हैं :

तालिका क्रमांक -1

क्र. सं.	अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1.	साक्षी की खातिरदार करते हैं	54	9
2.	सभ्य व्यवहार करते हैं	96	16
3.	असभ्य व्यवहार करते हैं	64	10.67
4.	बार-बार बुलाते हैं	181	30.17
5.	परेशान करते हैं	201	33.50
6.	उत्तर अप्राप्त	04	0.66
	कुल	**600**	**100.00**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि एक तिहाई 33.50 प्रतिशत (201) न्यादर्श यह स्पष्ट मत व्यक्त करते हैं कि साक्षी को साक्ष्य में नाम लिखाने पर पुलिस द्वारा अनेक प्रकार से परेशान किया जाता है। मसलन थाने पर बुलाया जाता है फिर दरोगा जो या दीवान जी के आने तक बैठने के लिए कहा जाता है। साक्षी अपना काम छोड़कर सारे सारे दिन परेशान होता रहता है। तब उसे यह पश्चाताप होता है कि क्यों वह साक्ष्य देने हेतु तैयार हो गया। लगभग इतने ही 30.17 प्रतिशत (181) चयनित न्यादर्श यह मत व्यक्त करते हैं कि साक्षी के बयान एक ही बार में नहीं लिए जाते उसे बार-बार बुलाया जाता है। घटनास्थल पर बयान लेने के बाद भी थाने पर बुलाया जाता है। फिर न्यायालय में गवाह के बयान एक बार में नहीं लिए जाते। कई बार तारीखें बढ़ती रही हैं और साक्षी न्यायालय के चक्कर लगाता रहता है। ऐसी स्थिति में उसे न केवल कठिनाई आती है अपितु काम का नुकसान भी होता है। 16 प्रतिशत (96) उत्तरदाता (न्यादर्श) यह स्पष्ट मत व्यक्त करते हैं। पुलिस का साक्षी के साथ व्यवहार सभ्य रहता है। 9 प्रतिशत (54) न्यादर्श कहते हैं कि पुलिस साक्षी की खूब खातिरदारी करती है। वहीं 10.67 प्रतिशत (64) न्यादर्श स्पष्ट अभिमत व्यक्त करते हैं कि पुलिस साक्षी के साथ असभ्यता से पेश आती है और कई बार तो साक्षी यह सोचने को विवश हो जाता है कि वह साक्षी है या मुलजिम ।

अतः स्पष्ट है कि 74.34 अर्थात् तीन चौथाई न्यादर्श यह स्पष्ट मत व्यक्त करते हैं कि गवाह या साक्षी के साथ पुलिस का व्यवहार अच्छा नहीं होता या सहयोगात्मक नहीं होता, इसी कारण पुलिस को गवाह मिलने में कठिनाई आती है। पुलिस को न्यायालय में इसी कारण हार का मुंह देखना पड़ता है कि उसके गवाह कमजोर होते हैं। न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही गवाहों पर निर्भर करती है और उपरोक्त व्यवहार के कारण पुलिस को गवाह नहीं मिलते तथा वह काल्पनिक या मिथ्या गवाह (पेशेवर) के आधार पर प्रकरण न्यायालय में दायर करते हैं। जो न्यायालय में सूक्ष्म परीक्षण के दौरान असत्य सिद्ध हो जाते हैं फलतः अपराधी संदेह का लाभ पाकर छूट जाता है और पुनः समाज को क्षति पहुंचाने लगता है।

गवाह के बयान घटनास्थल पर लिए जाने चाहिए किंतु ऐसा नहीं होता। गवाह को बयान देने के लिए कहीं थाने पर बुलाया जाता है तो कभी सरपंच या गांव के गवाह के बयान कहाँ लिए जाते हैं।

तालिका क्रमांक – 2

क्र. सं.	अभिमत	संख्या	प्रतिशत
1.	घटना स्थल पर	137	22.83
2.	पुलिस थाने पर	258	43
3.	गवाह के घर पर	20	3.33
4.	गवाह को जहां सुविधा हो	46	7.67
5.	पुलिस को जहां सुविधा हो	130	21.67
6.	उत्तर अप्राप्त	09	1.50
	कुल	**600**	**100.00**

अन्य किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के दरवाजे पर जहां पर पुलिस कर्मी/ अधिकारी आराम से बैठकर अपनी कार्रवाई संपन्न कर सके। इसमें साक्षी को न केवल संकोच होता. है अपितु कठिनाई भी होती है। साक्षी खुलकर बयान नहीं दे पाता। कई बार साक्षी के घटनास्थल पर बयान ले लिए जाते हैं फिर भी उसकी पुष्टि हेतु उसे थाने पर या अन्य स्थान पर बुलाया जाता है। इससे साक्षी के समय व धन आदि का व्यर्थ नुकसान होता है। इससे पुलिस की परेशानियां ही बढ़ती हैं। कारण यह है कि यदि एक साक्षी परेशान होता है तो अगली घटना घटित होने पर सब कुछ ज्ञात होने पर भी वह या उससे जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए पुलिस के पास नहीं आता और तब पुलिस को अपनी कार्रवाई पेशेवर गवाहों के माध्यम से आगे बढ़ानी पड़ती है जो न्यायालय में कूट परीक्षण के दौरान खरे नहीं उतरते।

उपरोक्त तालिका का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 43 प्रतिशत (258) का कहना है कि साक्षी के बयान थाने पर लिए जाते हैं या साक्षी को थाने पर बुलाया जाता है। 22.83 प्रतिशत (137) न्यादर्श यह मत व्यक्त करते हैं कि बयान घटनास्थल पर लिए जाते हैं। 21.67 प्रतिशत (130) न्यादर्श यह मत व्यक्त करते हैं कि गवाह के बयान वहां लिए जाते हैं जहां पुलिस को सुविधा हो । इसमें गवाह की सुविधा / असुविधा का ध्यान नहीं रखा जाता। 7.67 प्रतिशत (46) न्यादर्शों का मत है कि गवाह के बयान वहां लिए जाते हैं जहां गवाह को सुविधा हो। मात्र 3.33 प्रतिशत (20) न्यादर्श मत व्यक्त करते हैं कि गवाह के बयान गवाह के घर पर लिए जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि जहां एक तिहाई 33.83 प्रतिशत साक्षियों के बयान घटना स्थल पर गवाह के घर या गवाह को जहां सुविधा हो वहां पर लिए जाते हैं वहीं 64.67 प्रतिशत अर्थात् दो तिहाई गवाहों के बयान देने के लिए थाने पर बुलाया जाता है या सरपंच/पटेल या अन्य ऐसे स्थान पर जहां पुलिस को सुविधा हो बयान देने के लिए बुलाया जाता है।

गवाह पर पुलिस की निर्भरता आज भी बनी हुई है। पुलिस के समक्ष दिया गया बयान कानून में ग्राह्य नहीं है।' अतः जो बयान गवाह ने पुलिस के समक्ष दिया है उसी को न्यायालय में दोहराना जरूरी है। साक्ष्य

अधिनियम जो अंग्रेजों के समय बनाया गया था उसमें अद्यतन कोई परिवर्तन व संशोधन नहीं किया गया है। अतः गवाह के न्यायालय में मुकर जाने पर पुलिस के लिए कठिनाई आ जाती है।

यदि कोई गवाह न्यायालय में अपने बयान बदलता है या पक्षद्रोही होता है तो गवाह को दंडित करने का प्रावधान होना चाहिए। कारण यह कि चश्मदीद गवाह को भी पक्षद्रोही होते देखा गया है। माधव महाविद्यालय, उज्जैन में घटित घटना के समस्त चश्मदीद गवाह व अन्य गवाह पक्षद्रोही हो गए यहां तक कि जिन पुलिस कर्मियों के नाम गवाह की सूची में थे वे भी न्यायालय में जाकर पक्षद्रोही हो गए। अतः पक्षद्रोही होने वाले गवाहों को दंडित किए जाने का प्रावधान होना जरूरी है। अपराधी का न्यायालय से छूटने का कारण ही गवाह का अपने बयान से मुकर जाना (पक्षद्रोही हो जाना) होता है।

तालिका क्रमांक-3: गवाह की पुलिस से अपेक्षाएं

क्र. सं.	अपेक्षाएं	संख्या	प्रतिशत
1.	सज्जनता से पेश आए	166	27.67
2.	ब्यान लेकर उसे मुक्त कर दिया जाए	196	32.67
3.	यथा समय भत्ता मिले	30	5
4.	बार-बार न बुलाया जाए	199	33.16
5.	उत्तर अप्राप्त	09	1.50
	योग	**600**	**100**

आज समाज के सभी वर्गों की पुलिस से अनेक अपेक्षाएं हैं। पुलिस अपने पुराने 1861 के अधिनियम के तहत हो जहाँ तक संभव होता है समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करती है। गवाह की भी पुलिस से कुछ अपेक्षाएं होती हैं। इस सर्वेक्षण में यह जानने का प्रयास किया गया कि गवाह की पुलिस से क्या अपेक्षाएं हैं? प्राप्त तथ्य उपरोक्त तालिका में दर्शित हैं :-

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक गवाहों को पुलिस से अपेक्षा यह है कि उन्हें बार-बार न बुलाया जाए। इससे न केवल उनका व्यर्थ में समय नष्ट होता है अपितु मानसिक कष्ट भी होता है। 33.16 प्रतिशत (199) न्यादर्श मानते हैं कि गवाह की पुलिस से अपेक्षा है कि उसे बार-बार न बुलाया जाए। लगभग इतने ही 32.67 प्रतिशत (196) न्यादर्शों का मत है कि गवाह चाहता है कि उसे जल्द से जल्द बयान लेकर मुफ्त कर दिया जाए ताकि उसका समय व्यर्थ में नष्ट न हो। 27.67 प्रतिशत (166) न्यादर्शों का मत है • कि गवाह की पुलिस से अपेक्षा रहती है कि पुलिस उसके साथ सज्जनता से पेश आए, दुर्व्यवहार न करे। मात्र 5 प्रतिशत (30) न्यादर्श मत व्यक्त करते है कि गवाह की पुलिस से अपेक्षा है उसे यथा समय भत्ता मिले।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि 93.5 प्रतिशत न्यादर्शों का स्पष्ट मत है कि गवाह की पुलिस से अपेक्षा है कि उसके साथ सज्जनता से पेश आया जाए, उसके बयान लेकर उसे शीघ्र मुक्त

कर दिया जाए तथा उसे बार-बार न बुलाया जाए। यदि इतना ध्यान रखा जाए तो पुलिस को गवाह मिलने में कठिनाई नहीं आएगी। पुलिस द्वारा गवाह की सुविधा व सुरक्षा का ध्यान रखा जाए तो पुलिस को गवाह न मिलने संबंधी समस्या समाप्त हो सकती है।

दुष्चरित्र व्यक्ति या अपराधियों के साथ पुलिस का व्यवहार

दुष्चरित्र व्यक्ति कौन? दुष्चरित्र व्यक्ति से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो एक या एक से अधिक बार कानून का उल्लंघन करके आरापों या सजाओं को भुगत चुका हो। साक्षी को छोड़कर समस्त गिरफ्तार व्यक्ति दुष्चरित्र व्यक्ति की श्रेणी में आ जाते हैं। इसमें किशोर, महिला तथा प्रौढ़ तीनों प्रकार के व्यक्ति शामिल हैं। दंड संहिता की धारा 356 की परिधि में आने वाले समस्त व्यक्ति तथा ऐसे सजा प्राप्त अपराधी जिन्हें सजा की अवधि समाप्त होने से एक माह पूर्व जेल अधीक्षक उनके संबंधित जिले की जेल में स्थानांतरित करता है, दुष्चरित्र व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। हिस्ट्रीशीटर व्यक्ति दुष्चरित्र व्यक्ति की श्रेणी में आता है। धारा 432 (1-6) के अंतर्गत छोड़े गए हिस्ट्रीशीटर जिनकी निगरानी रखी जाती है दुष्चरित्र व्यक्ति की परिधि में आते हैं। चोरी का माल खरीदने वाले, संपत्ति संबंधी अपराध करने वाले या तस्करी में संलग्न व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं। धारा 109 तथा 110 के अंतर्गत आने वाले सभी अपराधी दुष्चरित्र व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं।

अपराध या दुष्चरित्रता के अनेक कारण हो सकते है। दुराचरण का कोई एक सर्वमान्य कारण नहीं है। यथा विषम परिस्थितियां, आर्थिक विपन्नता एवं विषमता, अशिक्षा एवं अज्ञानता, जनसंख्या की अधिकता, सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नता, शीघ्र धनी बनने की चाह आदि अपराध का कारण बनते हैं। ग्वालियर नगर में गोविंदपुरी (वि. वि. थाना क्षेत्र) में पड़ी डकैती के मुलजिमों से जब पूछा गया कि उन्होंने यह अपराध क्यों किया तो अपराध के मास्टर माइंड घर के नौकर बबलू ने बताया कि वह शीघ्र धनी बनना चाहता था इसी लालच में उसने यह अपराध किया।

जेबकटी, चोरी, रेलगाड़ी से अटैची पार करना, यात्रियों के साथ जहरखुरानी कर या उन्हें बेहोश करके उनका पैसा लूटना, महिलाओं के गले से चैन, मंगलसूत्र खींचना, व्यापारियों को लूटना, बैंक पर खड़े होकर अधिक रकम निकालने वालों पर नजर रखना तथा बैंक से निकलने पर उन्हें लूट लेना, ए.टी.एम. मशीन से छेड़छाड़ कर पैसा निकालना, वाहन चोरी करना, बच्चों का अपहरण कर फिरौती के लिए उनके माता-पिता पर दबाव डालना, किशोरियों को बहला फुसलाकर ले जाना तथा बेच देना, चोरी का माल खरीदना, चोरों या अन्य अपराधियों को प्रश्रय देना आदि अनेक प्रकार के अपराध देखने को मिलते हैं। ये सभी अपराध ग्वालियर नगर में आए दिन घटित हो रहे हैं और इनको अंजाम देने वाले अपराधी हमारे आस-पास ही घूमते रहते हैं। सहज में हम उनको नहीं पहचानते या उनकी ओर ध्यान नहीं देते। यदि सावधान रहा जाए और इनकी गतिविधियों से पुलिस को अवगत करा दिया जाए तो ये सहज ही पकड़े जा सकते हैं। किंतु नगर की व्यस्त दिनचर्या में कोई इनकी ओर ध्यान नहीं देता इसी कारण नगर में अपराध बढ़ रहे हैं तथा जन-जीवन असुरक्षित होता जा रहा है।

अपराधियों के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा हो ? यह विचारणीय बिंदु है। विभिन्न न्यायालयों की पुलिस के संबंध में की गई टिप्पणियों पर यदि दृष्टिपात

करें तो स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आती। अपराधियों को पेशी पर ले जाते समय आरक्षक अपराधियों की सुख- सुविधाओं का विशेष ध्यान रखते हैं। जिससे जनता पुलिस पर व्यंग्य करने से नहीं चूकती कि ये सरकारी मेहमान को ले जा रहे हैं। आरक्षक थोड़े से लाभ के लिए पुलिस की छवि दांव पर लगा देते हैं। जनमानस में इससे पुलिस के प्रति घृणा उत्पन्न होती है। पुलिस अपराध रोकने एवं अपराधों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए है। किंतु कई बार स्वयं पुलिसकर्मी व अधिकारी अपराधों और गंभीर अपराधों में लिप्त हो जाते हैं। हत्या, हत्या के प्रयास, डकैती तथा बलात्कार जैसे मामलों में पुलिसकर्मियों/ अधिकारियों का लिप्त पाया जाना तथा उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पुलिस व्यवस्था पर प्रश्न चिह्न लगाता है।

युग परिवर्तन हुआ। समाज में गतिशीलता बढ़ी। यातायात संचार के साधनों में बेतहाशा वृद्धि हुई। जनसंख्या बढ़ी। भौतिकवाद बढ़ा अपराध भी बढ़े अपराधियों ने यातायात व संचार के आधुनिक साधनों का लाभ लेकर अपराध करके कानून से बचने का तरीका अपनाया। पुलिस की परेशानियों बढ़ी एक अपराधी मोबाइल से अपने दूसरे साथियों को अपनी लोकेशन देता है। अपराध का प्लान बनाता है। उसके साथ मोबाइल से सतत् संपर्क में रहकर बाइक या कार से पहुंचते हैं अपराध को अंजाम देते हैं तथा अपराध घटित कर उसी द्रुतगामी यातायात के साधन बाइक / कार से घटनास्थल से बहुत दूर निकल जाते हैं। पुलिस उन्हें स्थानीय स्तर पर तलाशती है। पुराने अपराधियों को या इस प्रकार के अन्य लोगों को टटोलती है, किंतु सफलता नहीं मिलती। चोरी की अधिकांश वारदातें इसी प्रकार होने लगी हैं तथा चोर अब दूर-दूर चोरियां करने लगे हैं। पुलिस स्थानीय चोरों को पकड़ कर चोरी के बारे में पूछती है जबकि वस्तुतः उनका हाथ उस चोरी में नहीं होता। इसी कारण न तो चोर पकड़ में आते हैं और न ही माल बरामदगी होती है। पुलिस पर ऊपर से दबाव आता है। वह स्थानीय चोरों को हवालात में बंद कर उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर देती है। यद्यपि ग्वालियर नगर के वि. वि. थाना क्षेत्र में घटी डकैती की घटना (गोविंदपुरी कालोनी) का पुलिस ने तत्परता से पता कर न केवल अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की वरन माल भी बरामद कर लिया। यहां संबंधित पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों के बुद्धिमता व कुशलता काबिले तारीफ है। जिस तत्परता से उन्होंने घटना क्रम का विवेचन कर घर के नौकर तथा पड़ोस के घर के नौकर को कब्जे में लिया एवं पूछताछ की उससे संपूर्ण घटना का पर्दाफाश हो गया। यद्यपि अपराधी अपराध करके शीघ्र हो ग्वालियर से निकल कर अपने गांव खनियांधाना जिला शिवपुरी पहुंच चुके थे।

तालिका क्रमांक 4: अपराधियों के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा होना चाहिए

क्र. सं.	अपेक्षित व्यवहार	संख्या	प्रतिशत
1.	चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए	121	20.17
2.	खूब मारपीट करनी चाहिए	51	8.50
3.	कठोर यातना देनी चाहिए	92	15.33

4.	न्यायालय के सुपुर्द कर देना चाहिए	326	54.33
5.	उत्तर अप्राप्त	10	1.67
	योग	600	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 54.33 प्रतिशत न्यादर्श यह स्पष्ट अभिमत व्यक्त करते हैं कि अपराधी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध चार्टशीट तैयार करके उसे न्यायालय के सुपुर्द कर देना चाहिए। दंड देने का कार्य न्यायालय का है पुलिस का नहीं। 15.33 प्रतिशत न्यादर्श यह मत व्यक्त करते हैं कि अपराधी को कठोर यातना देनी चाहिए। न्यायालय से अधिकांश अपराधी साक्ष्य के अभाव में छूट जाते हैं या जेल भी अब यातना केंद्र न होकर सुधारगृह बन गए हैं जहां अपराधियों की सुख-सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता है। अपराधी स्वयं धन व बाहुबल से जेल में पूरी सुविधा हासिल कर अपना राज कायम कर लेते हैं। अतः पुलिस द्वारा प्रारंभ में ही उसे कठोर दंड / यातना देनी चाहिए ताकि वह अपराध करने से डरे । 8.50 प्रतिशत न्यादर्श यह अभिमत व्यक्त करते हैं कि अपराधी की खूब मारपीट की जानी चाहिए। जब से मानव अधिकार आयोग या अन्य इस प्रकार के आयोग बने हैं व राजनैतिक हस्तक्षेप बढ़ा है पुलिस अपराधियों के साथ सख्त व्यवहार अपनाने या मारपीट करने से बचने लगी है। इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। अपराध की घटनाएं बढ़ी है तथा पुलिस का प्रभाव व कानून का भय कम हुआ है। अतः न्यादशों का मत है कि अपराधियों की खूब मारपीट की जानी चाहिए ताकि वे अपराध करने से बचे 20.17 प्रतिशत न्यादर्श यह स्पष्ट अभिमत व्यक्त करते हैं कि प्रथम अपराधी, साधारण अपराधी या इसी किस्म के अन्य छोटे-छोटे अपराधों में अपराधियों को चेतावनी देकर थाना स्तर पर ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जेलों में पहुंचकर यह अन्य अपराधियों के संपर्क में आते हैं और अभ्यस्त अपराधी बन जाते हैं। जेल से कोई व्यक्ति सुधरकर बाहर निकला हो ऐसा उदाहरण अपवाद स्वरूप ही देखने को मिलेगा। ऐसे अनेक अपराधी हैं जो साधारण अपराध में जेल में बंद हुए और वहां दूसरे अपराधियों के संपर्क में आकर वे गंभीर व अभ्यस्त अपराधी बन गए। संगठित गिरोह उन्होंने खड़ा किया। अतः साधारण अपराधियों को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए।

जेल में अब कैदियों की संख्या क्षमता से अधिक बढ़ रही है। अतः अब दो प्रकार के जेलों की आवश्यकता है। पहले प्रकार में वह जेल हो जहां केवल जघन्य अपराध करने वाले एवं पेशेवर व प्रभुता संपन्न (धनबल व बाहुबल) कैदियों को रखा जाए। दूसरी प्रकार की वह जेल हों जहां प्रथम अपराधी या साधारण अपराध करने वाले अपराधियों को रखा जाए। ऐसे कैदी जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और जिनका आचरण बहुत अच्छा रहा है तथा आधी से अधिक सजा काट चुके हैं इनके लिए खुली जेल एवं पुनर्वास केंद्रों की आवश्यकता है। खुली जेल में रहकर यह वहां के स्वतंत्र वातावरण में श्वास ले सकेंगे तथा जघन्य अपराधियों के जुल्मों से भी बच सकेंगे।

अतः यह स्पष्ट है कि जहां आधे से अधिक न्यादर्श, मानते हैं कि पुलिस को दंड देने का अधिकार नहीं है उसे मुलजिम को पकड़ कर न्यायालय के सुपुर्द कर देना चाहिए। वही लगभग एक चौथाई न्यादर्श यह स्पष्ट अभिमत व्यक्त करते हैं कि पुलिस अपराधियों को कठोर यातना दे, उनमें भय उत्पन्न करे तभी अपराधों पर अंकुश लग सकता है।

तालिका क्रमांक - 5: पुलिस अपराधियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है।

क्र. सं.	अपेक्षित व्यवहार	संख्या	प्रतिशत
1.	न्यायालय के सुपुर्द कर देती है	225	37.50
2.	कठोर यातना देती है	143	23.83
3.	अपराधियों को संरक्षण प्रदान करती है	39	6.50
4.	अपराधियों से सद्व्यवहार करती है।	106	17.67
5.	तत्काल छोड़ देती है	78	13
6.	उत्तर अप्राप्त	09	1.50
	योग	**600**	**100.00**

पुलिस को अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तथा पुलिस यथार्थ में अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार करती है यह दोनों पृथक तथ्य है। शोधार्थी द्वारा चयनित न्यादर्शों से इस संबंध में तथ्य संकलित किए गए कि पुलिस यथार्थ में अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार करती है जो तथ्य प्राप्त हुए वे उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए हैं।

उपरोक्त तालिका का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि सर्वाधिक 37.50 प्रतिशत न्यादर्श यह स्पष्ट अभिमत व्यक्त करते हैं कि पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें कानूनी कार्रवाई हेतु न्यायालय के सुपुर्द कर देती है। 23.83 प्रतिशत न्यादर्श अभिमत व्यक्त करते हैं कि पुलिस अपराधियों को कठोर यातना देती है। पुलिस के यातना के तरीके बीभत्स हैं। इसी कारण कई बार पुलिस कस्टडी में मुलजिम को मौत हो जाती है और उसका खामियाजा पुलिस कर्मियों को भुगतना पड़ता है। 17.67 प्रतिशत न्यादर्श यह मत व्यक्त करते हैं कि जो अपराधी पहुंच वाले होते हैं या जो पैसा खर्च कर सकते हैं पुलिस उनके साथ सद्व्यवहार करती है। राजनैतिक संरक्षण प्राप्त जघन्य अपराधियों से भी पुलिस अपराधियों जैसा व्यवहार न करते हुए दोस्ताना लहजे में बात करती है। इसका संदेश जनमानस पर सकारात्मक नहीं पड़ता। 13.00 प्रतिशत न्यादर्श मत व्यक्त करते हैं कि पुलिस कई बार अपराधियों को पकड़कर तत्काल छोड़ देती है या जनता द्वारा अपराधी पकड़कर पुलिस को सौंपा जाता है तो पुलिस उसे थोड़ी देर बाद ही छोड़ देती है, इससे पुलिस की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। कई बार ट्रेन में, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या बाजार में चोर या जेबकतरे को जनता पकड़कर पुलिस को सौंपती है पुलिस थोड़ी देर बाद यदि उसे छोड़ देती है तो पुलिस की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में आ जाती है। 6.50 प्रतिशत ऐसे भी न्यादर्श हैं जो यह स्पष्ट अभिमत व्यक्त करते हैं कि पुलिस अपराधियों को संरक्षण प्रदान करती है। पुलिस के संरक्षण में गंभीर से गंभीर जघन्य व अभ्यस्त अपराधी पलते हैं। कई बार पुलिस एक अपराधी को पकड़ने के लिए दूसरे अपराधी का सहारा लेती है ऐसे में जनता को लगता है कि पुलिस अपराधी को संरक्षण दे रही है। स्थानीय स्तर पर कुछ पुलिसकर्मी अपराधियों से जुड़े रहते हैं। उन्हें विभाग की गतिविधियों, नीतियों या अन्य सूचनाएं पहुंचाते है वस्तुतः ये अपराधियों के मुखबिर होते हैं तथा विभाग के गद्दार । पता चलने पर विभाग द्वारा इनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। संक्षेप में पुलिस

दुष्चरित्र या अपराधी के साथ कैसा व्यवहार करे इस पर चर्चा करना जरूरी है।

(1) अपराधी व्यक्ति भी समाज के ही सदस्य हैं। तथा उसी के अंग हैं। इनकी गाड़ी गलत पटरी पर चली गई है यदि सही दिशा निर्देशन मिल जाता है तो यह सुधरकर सही तथा उपयोगी सदस्य बन सकते हैं। अतः पुलिस को उनके साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे उनको ईमानदारी एवं मेहनत से जीविका कमाने की प्रेरणा मिले।

(2) प्रत्येक व्यक्ति का अपना स्वाभिमान होता है फिर वह अपराधी ही क्यों न हो। अतः बुरी तरह सार्वजनिक स्थान पर दुत्कारना, गालियां देना, अपमानित करना या उत्पीड़न करने से साधारण अपराधी भी जघन्य अपराधी बन जाता है।

(3) अपराधी को गिरफ्तार करने के पश्चात पुलिस को उसके विरुद्ध दृढतापूर्वक विधि सम्मत कार्रवाई करनी चाहिए। उसके विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित करने चाहिए बिना राजनैतिक दबाव में आए निष्पक्ष कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे न्यायालय में उसे अपने किए गए अपराध का दंड मिल सके।

(4) पुलिस को किसी भी अपराधी के साथ अमानवीय व्यवहार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, उत्तेजना या आवेश में आकर किसी भी मुलजिम के साथ अमानवीय या पशुवत व्यवहार करना सर्वथा अनुचित है।

(5) भारतीय दंड विधान की धारा 356 (16) के तहत कतिपय अधिकारियों की निगरानी खोली जाती है। इनकी सक्रिय निगरानी की व्यवस्था होना चाहिए निगरानी सख्ती से की जाए औपचारिक निगरानी ओचित्यहीन है। आरक्षक वर्ग निगरानी करने में ईमानदारी नहीं बरतते। उसे गंभीरता से नहीं लेते। यह प्रवृत्ति गलत है। निगरानी इस प्रकार की जाए कि निगरानीशुदा व्यक्ति को भी किसी किस्म की अड़चन न हो। निगरानी करने का अर्थ बार-बार अपमानित करना नहीं है। बल्कि उसे यह अनुभूति कराना है कि पुलिस अब उसे अपराध नहीं करने देगी।

(6) अपराधी को सकारात्मक शिक्षा देने की आवश्यकता है।

अतः स्पष्ट है कि पुलिस के बारे में लोगों की अलग-अलग धारणाएं हैं। इनके अनुसार पुलिस समाज के प्रत्येक वर्ग से उसके अनुरूप वांछित एवं अपेक्षित व्यवहार नहीं करती है। पुलिस की भाषा, बोली, लहजा आदि भी सामान्यजन को बहुत अच्छा नहीं लगता। अपराधियों के साथ दोस्ताना व्यवहार तथा साक्षियों एवं सामान्यजन के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार लोगों को कष्टप्रद लगता है। इसमें बदलाव की आवश्यकता है किंतु आवश्यक वर्ग इस तथ्य की महत्ता को नहीं समझ रहे हैं। मानव व्यवहार की शिक्षा के बाद भी उनके आचरण में बहुत बदलाव दिखलाई नहीं देता। आरक्षक, प्रधान आरक्षक एवं उपनिरीक्षक स्तर के पुलिस कर्मी अहं के शिकार हैं। इनके पास भाषा का अभाव तो है ही। 'अहं तथा कुंठा के कारण इनका व्यवहार सामान्य जन के साथ अच्छा नहीं रह पाता यदि इसमें कुछ परिवर्तन होता है तो पुलिस की छवि में तो सुधार होगा ही पुलिस को जन सहयोग भी मिलने लगेगा और अपराधों पर नियंत्रण भी लगना संभव होगा।

****

लोक सेवकों (विद्यालयी शिक्षकों के विशेष सन्दर्भ में) में पोक्सो अधिनियम, 2012 के प्रति जागरूकता और पुलिस की भूमिका

डॉ. जोरावर सिंह राणावत
सहायक अधिष्ठाता एवं सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा (राज.)

"यदि हमें विश्व में वास्तविक शांति प्राप्त करनी है, तो हमें इसकी शुरुआत बच्चों से करनी होगी।"

– महात्मा गाँधी

भारत एक स्वस्थ लोकतान्त्रिक देश है जहाँ ना सिर्फ शासन प्रणाली में लोकतंत्र को चुना गया है अपितु सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में यहाँ के नागरिकों के सम्पूर्ण विकास और एक गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए कई प्रावधान किये गए हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा जैसे सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जो कि सम्पूर्ण भारतीय संविधान का निचोड़ है जो कि संविधान के उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 14 से लेकर 35 तक छह मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है जो नागरिकों में समानता एवं स्वतंत्रता स्थापित करने के साथ-साथ उन्हें शोषण से मुक्ति और न्यायिक संरक्षण प्रदान कर एक अच्छे वातावरण में स्वयं के व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास की अवस्था प्रदान करना सुनिश्चित करते हैं। संविधान के भाग-4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है जो नागरिकों के लिए अच्छे वातावरण के विकास के लिए राज्य को निर्देशित करते हैं।

यद्यपि भारतीय संविधान सभी नागरिकों में समानता स्थापित करता है परन्तु कुछ विशेष वर्गों, महिलाओं और बालकों के लिए विशेष अनुबंध करने को इस समानता के उल्लंघन से परे रखा गया है। यह प्रावधान इसलिए किये गए हैं क्योंकि भारत की पूर्व में प्रचलित रही सामाजिक-आर्थिक व्यवस्थाओं के कारण कुछ विशेष वर्गों और महिलाओं को समान अवसर प्राप्त नहीं हो पाए हैं और उनके व्यक्तित्व का वांछित विकास नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी ओर बालकों के लिए विशेष प्रावधान करना राष्ट्र निर्माण की ओर एक कदम है क्योंकि बालक देश का भविष्य होते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 21 एवं 21क तथा अनुच्छेद 24 में किये गये प्रावधान भारत सरकार को बालकों के संरक्षण, शिक्षा और सम्पूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध करते हैं। वहीं दूसरी ओर भाग-4 राज्य की नीति के निदेशक तत्व में अनुच्छेद 39 (ङ) एवं (च), अनुच्छेद 45 तथा भाग-4क मूल कर्त्तव्य में अनुच्छेद 51क (ट) में बालकों को ऐसा वातावरण प्रदान करने, जिसमें बालकों के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास हो सके, के लिए राज्य को निर्देश प्रदान किये गये हैं। परन्तु देश में बालकों की वास्तविक स्थिति आदर्श स्थितियों से अलग है।

भारत में बालकों के विरुद्ध अपराध की स्थिति

भारत में पहली बार वर्ष 1998 में एक गैर सरकारी संगठन राही (RAHI-Recovery and Healing from Incest) द्वारा बालकों के यौन शोषण पर सर्वे किया गया जिसमें पाया गया कि 76 प्रतिशत् उत्तरदाताओं ने अपने बाल्यकाल या किशोरावस्था में किसी ना किसी रूप में यौन शोषण का सामना किया है।[1] वर्ष 2005 में एक एनजीओ Tulin- Center for the Prevention & Healing of Child Sexual Abuse द्वारा चेन्नई के बालक और बालिकाओं पर सर्वे किया गया जिसमें पाया गया कि उत्तरदाताओं में से 87 प्रतिशत् ने यौन शोषण का सामना किया है और इसमें से 15 प्रतिशत् ने गंभीर प्रकार के यौन शोषण का सामना किया है।[2] वर्ष 2007 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 13 राज्यों में बाल यौन शोषण पर एक अध्ययन करवाया गया जिसमें पाया गया कि उत्तरदाताओं में से 53.22 प्रतिशत् ने यौन शोषण का सामना किया है वहीं इनमें से 21 प्रतिशत् ने गंभीर प्रकार के यौन शोषण का सामना किया है। इसके अलावा यौन शोषण के शिकार 52.94 प्रतिशत् बालक थे।[3] राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 'भारत में अपराध' रिपोर्ट के अनुसार भारत में बालकों के विरुद्ध अपराध के कुल मामले वर्ष 2017 में 1,29,032; वर्ष 2018 में 1,41,764; वर्ष 2019 में 1,48,185 एवं वर्ष 2020 में 1,28,531 दर्ज किये गए हैं। पिछले वर्षों की तुलना में सिर्फ वर्ष 2020 में इन मामलों में 13.5 प्रतिशत् कमी दर्ज की गई है। इन मामलों में से वर्ष 2017 में 32,608 (25%); वर्ष 2018 में 39,827 (28%); वर्ष 2019 में 47,335 (32%) एवं वर्ष 2020 में 47,221 (37%) मामले POCSO अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किये गए हैं।[4] इन आँकड़ों से यह निष्कर्ष निकलता है कि यद्यपि बालकों के विरुद्ध अपराधों में कमी आ रही है परन्तु बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों से संरक्षण के लिए विशेष कानून बनाने के बाद भी ऐसे मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अलावा यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था के कारण बदनामी, डर या अन्य कारणों से कई मामले तो दर्ज भी नहीं हो पाते हैं जिससे वास्तविक अपराध के आँकड़े सामने नहीं आ पाते हैं।

शोध का उद्देश्य

लोक सेवकों (विद्यालय शिक्षकों के विशेष सन्दर्भ) में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

यह अध्ययन राजस्थान के विभिन्न जिलों के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के विद्यालयी शिक्षकों पर किया गया है। यद्यपि इसमें निदर्शन 2000 रखने का प्रयास किया गया परन्तु सिर्फ 500 शिक्षकों

1 www.dailyo.in/politics/world-day-for-theprevention-of-child-abuse-sexual-abuserape-pocso-act-special-crimes-cell-policetrauma-7467

2 Chandrasekhar, R. (2015). Child sexual abuse is a priority, so why isn't government acting on it? Daily O. Retrieved from https:// www.dailyo.in/politics/world-day-for-theprevention-of-child-abuse-sexual-abuserape-pocso-act-special-crimes-cell-policetrauma/story/1/7467.html

3 स्टडी ऑन चाइल्ड एब्यूज : इण्डिया 2007, महिला एवं बाल विकास विभाग, भारत सरकार, 2007 (Available from: http://www.indianet.nl/pdf/childabuseIndia.pdf)

4 भारत में अपराध, 2017, 2018, 2019, 2020, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय भारत सरकार

द्वारा ही प्रतिक्रियाएँ दिए जाने के कारण निदर्शन 500 ही रखा गया है। यह एक अनुभवमूलक अध्ययन है और इसमें प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण सामान्य सांख्यिकीय विधियों, यथा- प्रतिशत् आदि, से किया गया है।

अध्ययन की तार्किकता

अध्ययन में विद्यालयी शिक्षकों को शामिल करने का उद्देश्य यह है कि बालक परिजनों के पश्चात् सर्वाधिक समय विद्यालय में व्यतीत करते हैं अतः विद्यालयी शिक्षकों के संपर्क में परिजनों के बाद सर्वाधिक रहते हैं। इसके दो सन्दर्भ हैं एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक सन्दर्भ में हम यह कह सकते हैं कि परिजनों के बाद विद्यालयी शिक्षकों के संपर्क में सर्वाधिक रहने के कारण शिक्षक उनके क्रियाकलापों पर निगरानी रख सकते हैं और बालक भी शिक्षक से अपने मन की बात कह सकते हैं ऐसे में किसी बालक के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार हो रहा है तो वो शिक्षक को बता सकते हैं या शिक्षक उसके व्यवहार में आये बदलावों को पर्यवेक्षित कर उस से पूछ सकते हैं या इस सन्दर्भ में अन्य माध्यमों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

नकारात्मक सन्दर्भ इस अधिनियम में भी संदर्भित किया गया है। ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी जो किसी न किसी रूप में बालक के संपर्क में आते हैं उनके पास बालक को प्रभावित करने के ज्यादा अवसर होते हैं ऐसे में उनके द्वारा बालकों के यौन शोषण करने के अवसर ज्यादा होते हैं अतः इस प्रकार के अपराध को 'गुरुतर अपराध' की श्रेणी में रखा गया है और उसके लिए दण्ड का प्रावधान भी आम नागरिक से ज्यादा रखा गया है। चूँकि विद्यालयी अध्यापक भी इस श्रेणी में आते हैं और बालक उनके संपर्क में सर्वाधिक आते हैं अतः उनके पास इस प्रकार का अपराध करने के अवसर ज्यादा होते हैं।

यह अधिनियम किसी संस्था के कार्मिकों का इस अधिनियम के अंतर्गत होने वाले अपराधों की सूचना देने के लिए कर्त्तव्य सुनिश्चित करता है और ऐसा करने में विफल रहने पर छः माह कारावास या जुर्माना, या दोनों से दण्डित करता है तथा संस्था प्रधान के मामले में यह कारावास एक वर्ष का रखा गया है। अतः विद्यालय भी एक संस्था है तथा विद्यालय को भी इस सन्दर्भ में व्यवहृत किया जा सकता है।

उपर्युक्त सभी कारणों से किसी विद्यालय के शिक्षकों में इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूकता होना अतिआवश्यक है। इसके साथ ही कानून ज्ञात ना होना किसी भी अपराध के दायित्व से संरक्षण प्रदान नहीं करता है जिसे न्यायिक भाषा में *ignorantia legis neminem excusat* कहा जाता है। अतः इसके प्रति जागरूकता होना भी अतिआवश्यक है।

लोक सेवकों की लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के प्रति जागरूकता पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण

कुल 500 उत्तरदाताओं में से 30 प्राचार्य, 260 व्याख्याता, 70 वरिष्ठ अध्यापक, 100 तृतीय श्रेणी अध्यापक, 30 प्रधानाचार्य तथा 10 अन्य शामिल हैं। इनमें से मात्र 90 महिलाएँ हैं जबकि आँकड़ा संग्रहण में प्रयास किया गया था कि दोनों लिंगों से बराबर आँकड़े प्राप्त हो सकें।

पोक्सो अधिनियम के बारे में जानकारी होने के बारे में पूछने पर 440 उत्तरदाताओं ने कहा कि उनको जानकारी है जबकि 60 उत्तरदाताओं का जवाब

'नहीं' था। यह एक सामान्य प्रश्न है जिस पर अधिकांश उत्तरदाता 'हाँ' ही बोलते हैं क्योंकि यह प्रश्न जानकारी का स्तर नहीं पूछ रहा है अतः यदि सामान्य रूप से नाम भी सुना है तो स्वयं को इसी वर्ग में शामिल करेंगे।

अधिनियम की जानकारी के माध्यम के बारे में पूछने पर सर्वाधिक 40 प्रतिशत् ने मीडिया, 18 प्रतिशत् पुस्तक, 06 प्रतिशत् रिश्तेदार, 18 प्रतिशत् प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा बाकि ने अन्य माध्यम को जानकारी का मुख्य स्रोत बताया। इस से यह निष्कर्ष निकलता है कि औपचारिक साधनों द्वारा शिक्षकों तक इस अधिनियम की जानकारी नहीं पहुँच पा रही है। यद्यपि यह अधिनियम अध्यापकों के ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कार्यक्रम के पाठ्यक्रम का हिस्सा है तथापि अध्यापकों को इसकी जानकारी ना होना कहीं न कहीं लापरवाही को दर्शाता है।

अधिनियम में बालक की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है इस कथन के पक्ष में 70 प्रतिशत् उत्तरदाता हाँ, 18 प्रतिशत् नहीं, 10 प्रतिशत् पता नहीं तथा शेष पता नहीं प्रतिक्रिया देते हैं। जहाँ प्रथम प्रश्न में 88 प्रतिशत् अध्यापकों ने इस अधिनियम की जानकारी होने की बात स्वीकार की है वहीं अधिनियम के पहले बिंदु में ही बालकों की आयु का निर्धारण किया गया है जिसके बारे में सिर्फ 70 प्रतिशत् ही जानकारी रखते हैं। इसी प्रकार अपराधों के प्रकार, लैंगिक प्रवेशन हमले और गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमले के मामले में भी क्रमशः 70, 76, 62 प्रतिशत् प्रतिक्रियाएं हाँ की प्राप्त होती है जो कि जानकारी के स्तर को दर्शाती हैं।

अधिनियम के अनुसार लैंगिक हमले के मामले में किसी बालक को 'लैंगिक आशय' से स्पर्श करना आवश्यक है। इस कथन के पक्ष में प्राप्त प्रतिक्रियाओं में 52 प्रतिशत् उत्तरदाताओं ने हाँ, 32 प्रतिशत् ने नहीं तथा 16 प्रतिशत् ने पता नहीं प्रतिक्रिया दी है। इस प्रकार जहाँ प्रथम प्रश्न में 88 प्रतिशत् उत्तरदाता इस अधिनियम की जानकारी होने के बारे में कह रहे थे वहीं एक महत्त्वपूर्ण प्रावधान के बारे में आधे उत्तरदाताओं को पता ही नहीं है। यह स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। अतः यदि किसी बालक के साथ ऐसा होता है या वह स्वयं ऐसा करते हैं तो उन्हें पता ही नहीं है कि यह एक गंभीर अपराध है जिसका दण्ड पांच वर्ष से लेकर सात वर्ष तक का कारावास है। वहीं इस से अगले कथन में इस अपराध के दण्ड के बारे में कहा गया है जिसमें 64 प्रतिशत् उत्तरदाताओं ने गलत जवाब दिया है।

कथन "अधिनियम के अनुसार किसी बालक के लैंगिक उत्पीड़न में लैंगिक आशय से ध्वनि निकालना शामिल नहीं है।", के पक्ष में प्राप्त प्रतिक्रियाओं में 48 प्रतिशत् उत्तरदाताओं ने हाँ, 24 प्रतिशत् ने शायद, 10 प्रतिशत् ने नहीं और 18 प्रतिशत् ने पता नहीं प्रतिक्रिया दी है। जबकि यह लैंगिक उत्पीड़न में शामिल है। इस प्रकार मात्र 10 प्रतिशत् ने ही इसका सही जवाब दिया है। यही स्थिति यह पूछने पर कि "अधिनियम के अनुसार संचार माध्यमों पर बालक का निरंतर पीछा करना लैंगिक उत्पीड़न में शामिल नहीं है" की भी है। इसकी प्रतिक्रिया में 48 प्रतिशत् उत्तरदाताओं ने नहीं, 24 प्रतिशत् ने हाँ, तथा 14-14 प्रतिशत् ने शायद और पता नहीं प्रतिक्रिया दी है अर्थात् आधे से अधिक उत्तरदाताओं को यह नहीं पता है कि आभासी माध्यमों (Virtual Medium) पर भी बालकों का पीछा करना अपराध की श्रेणी में आता है।

उत्तरदाताओं में 88 प्रतिशत् में से 73.5 प्रतिशत् को यह पता है कि यह अधिनियम लोक सेवकों तथा संस्था प्रधानों की बालकों से संबंधित लैंगिक अपराधों के मामलों की रिपोर्ट करने में भूमिका सुनिश्चित करता है

परन्तु वहीं दूसरी ओर मात्र 38 प्रतिशत् को ही यह ज्ञात है कि अधिनियम किसी लोक सेवक या संस्था प्रधानों के लिए बालकों से संबंधित लैंगिक अपराधों की रिपोर्ट करने में विफल रहने पर किसी ना किसी प्रकार के दंड का प्रावधान भी करता है।

चार्ट-01 लैंगिक अपराधों की रिपोर्ट करने सम्बंधित लोक सेवकों की भूमिका पर प्रतिक्रियाएँ

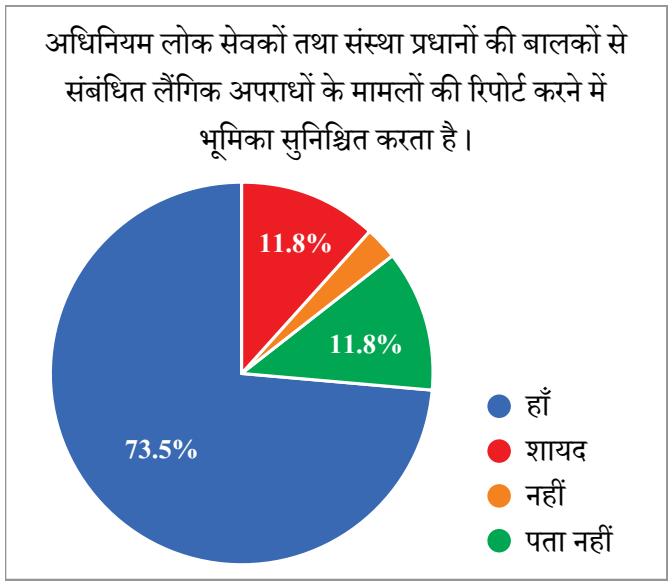

स्रोत:https://docs.google.com/forms/d/1NgLwLIy9YmekEsg9aP_nDTGqDDpF9fzMYeelypEnWk8/edit?no_redirect#responses

अधिनियम बालकों से संबंधित लैंगिक अपराध के मामलों की जानकारी देने वालों पर सिविल या दाण्डिक दायित्व उपगत करता है, इस कथन की प्रतिक्रिया में 58 प्रतिशत् उत्तरदाताओं ने हाँ, 20 प्रतिशत् ने नहीं, 18 प्रतिशत् ने पता नहीं तथा 04 प्रतिशत् ने शायद प्रतिक्रिया दी है।इन प्रतिक्रियाओं से यह ज्ञात होता है कि एक-चौथाई उत्तरदाताओं को भी इस प्रावधान के बारे में जानकारी नहीं है। इस बात की जागरूकता नहीं होने के कारण लोक सेवक कई बार इस प्रकार के अपराध की घटित होने की जानकारी होने के बावजूद भी पुलिस की जाँच प्रक्रियाओं की उलझनों से बचने के कारण पुलिस को सूचित नहीं करते हैं।

चार्ट-02 लोक सेवकों द्वारा लैंगिक अपराधों सम्बंधित रिपोर्ट करने में विफल रहने सम्बंधित प्रावधान पर प्रतिक्रियाएँ

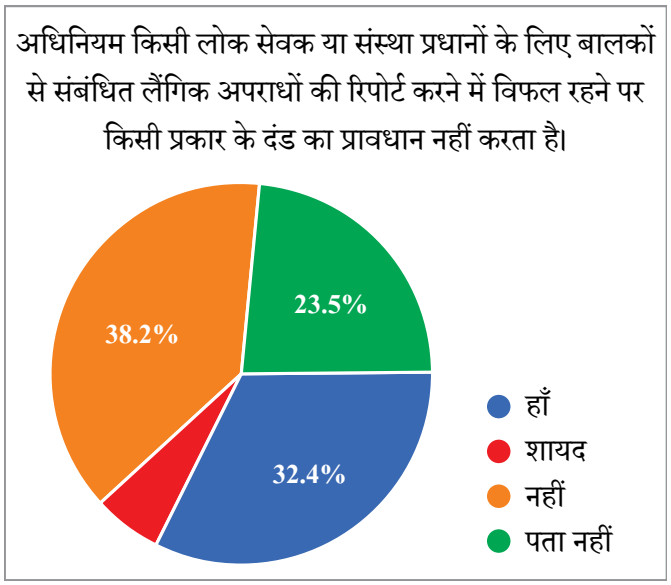

स्रोत:https://docs.google.com/forms/d/1NgLwLIy9YmekEsg9aP_nDTGqDDpF9fzMYeelypEnWk8/edit?no_redirect#responses

निष्कर्ष

जहां एक और वर्ष प्रति वर्ष बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराधों के मामले तीव्र गति से बढ़ रहे हैं वहीं दूसरी और इन अपराधों की वजह से बालक विद्यालयी शिक्षा से भी वंचित हो रहे हैं। ऐसे में इस अधिनियम के बारे में चर्चा पर शोध एक प्रासंगिक विषय है। इसी क्रम में विद्यालयी शिक्षकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के उपर्युक्त विश्लेषण से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं-

1. जागरूकता की कमी

यद्यपि अपनी प्रतिक्रियाओं में लगभग 88

प्रतिशत् शिक्षकों ने इस अधिनियम की जानकारी होना बताया है जो कि बहुत अच्छा आँकड़ा है परन्तु जब इस अधिनियम के प्रावधानों से सम्बंधित कथनों पर प्रतिक्रिया प्राप्त की गई तो यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि आधे से ज्यादा शिक्षकों को इसके महत्त्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में स्पष्ट जानकारी ही नहीं है। इस अधिनियम को इस प्रकार बनाया गया है कि लैंगिक उत्पीड़न का छोटे से छोटा प्रयास भी बड़े दण्ड से दण्डित किया जाये, जिससे इस प्रकार के प्रयासों के लिए उदाहरण स्थापित किये जा सकें। परन्तु यदि शिक्षकों को स्वयं इस प्रकार के प्रावधानों की जानकारी नहीं होगी तो वो ना तो इस प्रकार के उत्पीड़न की पहचान कर पाएंगे और ना ही स्वयं इस प्रकार के कृत्य से बच पाएंगे। इस प्रकार शिक्षक, जो कि किसी बालक के जीवन में द्वितीय महत्त्वपूर्ण स्थान पर आते हैं और बालक परिजनों के बाद सर्वाधिक समय जिनके साथ में व्यतीत करता है, उन्हें बालकों से सम्बंधित इस अतिमहत्त्वपूर्ण अधिनियम की जानकारी ना होना बालकों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न करने तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की उचित सहायता प्रदान ना कर पाने वाला सिद्ध होते हैं।

2. जानकारी के माध्यम

अधिनियम की जानकारी के माध्यम के बारे में प्रतिक्रियों में शिक्षकों ने 18 प्रतिशत् पुस्तक तथा 18 प्रतिशत् प्रशिक्षण माध्यम से जानकारी प्राप्त होना बताया है जो कि एक उचित और विश्वसनीय माध्यम है जबकि 40 प्रतिशत् ने किसी ना किसी मीडिया माध्यम से जानकारी प्राप्त की है जो कि अधिकांशतः अधूरी, भ्रामक और अविश्वसनीय होती है। वहीं दूसरी और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गंभीरता पर भी प्रश्न उठाए जाते हैं क्योंकि यह सभी शिक्षकों के पाठ्यक्रम में शामिल है फिर भी सिर्फ 18 प्रतिशत् उत्तरदाता ही इसको जानकारी का माध्यम स्वीकारते हैं तथा इन 18 प्रतिशत् में से भी कितने शिक्षकों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को गंभीरता से सुना होगा और सक्रियता से उसमें भाग लिया होगा यह संशय का विषय है। शोधकर्ता स्वयं कई शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विषय विशेषज्ञ के रूप में भाग ले चुके हैं जिसमें उन्होंने निष्कर्ष निकला है कि किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में मात्र 10 से 15 प्रतिशत् श्रोता ही सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। इस प्रकार के व्यवहार से जहाँ एक और खानापूर्ति हो जाती है और औपचारिक रूप से आम जानकारी तो पहुँचा दी जाती है परन्तु सक्रिय भागीदारी और रूचि ना लेने के कारण इसके महत्त्वपूर्ण प्रावधानों के प्रति जागरूकता और मामले की गंभीरता की समझ विकसित नहीं हो पाती है।

3. लोक सेवकों के दायित्व

अधिनियम की धारा 5 और 9 में लोक सेवकों और उन सभी को परिभाषित एवं वर्णित किया गया है जो बालकों को प्रभावित करने के विशेष अवसर रखते हैं तथा इनके लिए ऐसे अपराध करने पर धारा 6 और 9 में विशेष दण्ड के प्रावधान किए गए हैं जो कि आम व्यक्ति से ज्यादा हैं। वहीं दूसरी ओर धारा 20 एवं 21 में ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने का दायित्व और रिपोर्ट करने में विफल रहने पर दण्ड के प्रावधान का वर्णन किया गया है। इन प्रावधानों के बारे में जानकारी पर प्राप्त प्रतिक्रियाएँ संतोषजनक नहीं हैं। जहां एक और लोक सेवकों के द्वारा किये जाने वाले अपराधों के लिए दण्ड के प्रावधानों की स्पष्ट जानकारी बहुत कम उत्तरदाताओं को है वहीं दूसरी और लोक सेवकों के इस अपराध की रिपोर्ट करने के दायित्व के बारे में भी तीन चौथाई लोगों

को भी पता नहीं हैं और रिपोर्ट करने में विफल रहने पर दण्ड के प्रावधानों के बारे में तो एक-तिहाई उत्तरदाताओं को भी जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में लोक सेवकों से बालकों के साथ होने वाले ऐसे अपराधों की जानकारी के बावजूद रिपोर्ट करने की उम्मीद कम ही की जा सकती है तथा लोक सेवक अपने इस कर्त्तव्य के बारे में जानते भी हैं यह भी संदेहास्पद है।

लोक सेवकों की जागरूकता में पुलिस की भूमिका

भारतीय पुलिस कानून और प्रशासन का साश्वत रूप है। भारतीय पुलिस का काम अपराधों के घटित होने के बाद दोषियों को सजा दिलवाने के साथ-साथ अपराधों को होने से रोकना भी है। अपराधों को रोकने के लिए आमजन में अपराधों और कानून के प्रति जागरूकता फ़ैलाने के लिए पुलिस द्वारा समय-समय पर जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इसी कड़ी में पुलिस को लोक सेवकों विशेषतः विद्यालयी शिक्षकों को पोक्सो अधिनियम और उसके प्रावधानों के प्रति जागरूक करने और इससे सम्बंधित होने वाले अपराधों को रोकने की महती आवश्यकता है। इसके लिए पुलिस द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं-

1. जागरूकता प्रशिक्षण

पुलिस द्वारा वर्ष में एक बार थाना स्तर पर अपने क्षेत्र के समस्त विद्यालयों के प्राचार्यों, प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों को बुलाकर पोक्सो अधिनियम, अच्छे और बुरे स्पर्श, पीड़ित बालकों के व्यवहार में परिवर्तन का ध्यान रखना, ऐसे बच्चों की काउंसलिंग करना, इनकी पहचान को उजागर ना होने देना, ऐसे अपराधों की रिपोर्ट दर्ज करना आदि विषयों के जानकारी देने के साथ-साथ इन विषयों पर चर्चा भी करनी चाहिए जिससे द्विपक्षीय निष्कर्षों पर पहुंचा जा सके। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए की वे अपने विद्यालय के समस्त अध्यापकों को यह सूचना अग्रेषित करेंगे। इस सम्बन्ध में महिला और पुरुष अध्यापकों को अलग-अलग भी प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके साथ ही कुछ जानकारियों को बच्चों तक भी पहुँचाया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि बच्चे सही-गलत व्यवहार को समझ सकें और शिक्षकों के बात कर सकें। स्थानीय थाना प्रभारी या अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार सभी विद्यालयों में जा कर बच्चों से संवाद स्थापित करना चाहिए ताकि बच्चों में पुलिस के प्रति विश्वास विकसित हो सके और पुलिस की सकारात्मक छवि बन सके अन्यथा मीडिया, समाचार, टीवी सीरियल, फिल्मों आदि में पुलिस की नकारात्मक छवि ही प्रस्तुत की जाती है जो कि जानकारी के अभाव में बालकों द्वारा सही समझ ली जाती है तथा इसका दुष्परिणाम यह निकलता है कि बालक अपने विरुद्द होने वाले अपराधों के बारे में उनको सूचित नहीं कर पता है।

2. शिकायत निवारण तंत्र का विकास

पोक्सो अधिनियम में सबसे बड़ी समस्या रिपोर्ट करने और पहचान उजागर ना होने की है। यद्यपि यह अधिनियम दोनों ही मामलों में विफल होने पर दण्ड का प्रावधान करता है परन्तु स्वयं पीड़ित भी डर, अज्ञान और सामाजिक बदनामी के डर से ऐसे मामलों में रिपोर्ट दर्ज करवाने से बचते हैं। बालिकाओं के अधिकांश मामलों में परिजनों द्वारा पढ़ाई छुडवा दी जाती है और जल्दी शादी करवा दी जाती है जिससे बालिकाओं का भविष्य ख़राब हो जाता है। अतः पोक्सो पीड़ितों के लिए मामलों की रिपोर्ट का तंत्र भी सरल और सुगम

और गुप्त होना अति आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय में स्थानीय थानाधिकारी या बीट कांस्टेबल के व्हाट्सऐप नंबर और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर ऐसी जगह लिखे जाने चाहिए जहां बालको को स्पष्ट रूप दृष्टिगत हो सके, साथ ही यह सन्देश भी लिखा जाना चाहिए कि किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार के लिए सीधे मैसेज कर के संपर्क किया जा सकता है और उसकी पहचान उजागर नहीं की जाएगी और ना ही किसी के सामने पूछताछ की जाएगी। इस प्रकार के प्रयास से बच्चों में डर कुछ कम होगा और बालक अपराधों की शिकायत करने का साहस दिखा पाएँगे।

3. बीट कांस्टेबल स्तर पर प्रयास

किसी भी क्षेत्र में बीट कांस्टेबल वह पहला पुलिस कार्मिक होता है जो जनता के सीधे संपर्क में आता है। अतः उसका यह कर्त्तव्य है कि वह आमजन की पहुँच में हो और उसकी छवि सहायता करने वाले और समझने वाले व्यक्ति की हो। अपने बीट क्षेत्र में आते-जाते छोटे बच्चों से बात करने और उनमें मित्रवत वातावरण स्थापित करना भी बालकों के हौसले बढ़ता है और उनसे किसी भी प्रकार के शोषण के बारे में बताने में सहज महसूस करते हैं। बीट कांस्टेबल के मोबाइल नंबर यद्यपि बीट में कई जगह लिखे मिलते हैं परन्तु सर्वसुलभ नहीं होते हैं अतः उन्हें हर गाँव-चौराहे पर लिखा होना जरुरी है तथा व्हाट्सऐप पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। बीट कांस्टेबल की यह जिम्मेदारी है कि अपने बीट क्षेत्र के प्रत्येक विद्यालय के शिक्षक और बालक उसे आवश्यक रूप से पहचाने। इसके लिए उसे यदा-कदा अपने बीट क्षेत्र के विद्यालयों में भ्रमण अवश्य करना चाहिए। इससे पुलिस के प्रति सकारात्मक छवि और विश्वास पैदा होगा वहीं आपराधिक मानसिकता के लोक सेवकों एवं आम जन में डर बना रहेगा।

4. पाठ्य सामग्री की उपलब्धता

पुलिस अनुसंधान एवं विकास व्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड व्यूरो, शिक्षा मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के सहयोग से सभी लोक सेवकों, जो कि बालकों से किसी भी प्रकार से सम्पर्क में आते है, के लिए एक निर्देशिका तैयार की जानी चाहिए जिसमें बालकों से सम्बंधित अपराध, अपराध के आँकड़े, बालकों सम्बंधित कानून एवं संस्थाएँ तथा बालकों के प्रति व्यवहार हेतु उचित दिशा-निर्देश दिए गए हों तथा इस प्रकार की प्रकाशित निर्देशिका को सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों एवं छात्रावासों में तथा समस्त सरकारी विभागों में उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि इनके प्रति जागरूकता में वृद्धि हो सके। उपर्युक्त संस्थाएँ स्थानीय पुलिस के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी करवा सकती हैं।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि लोक सेवकों में पोक्सो अधिनियम की जानकारी का अभाव इस प्रकार के अपराधों को बढ़ाने और इनके अनावरण में सहायक नहीं होना साबित हो रहा है तथा पुलिस द्वारा इनकी जागरूकता में वृद्धि के छोटे-छोटे प्रयास भी बहुत बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। अतः स्थानीय पुलिस का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह विद्यालय स्तर पर इस प्रकार की जागरूकता के लिए प्रयास करे।

****

पुलिस अन्वेषण के आधुनिक एवं वैज्ञानिक तरीके – एक विश्लेषण

श्री प्रकाश शर्मा
सहायक प्रोफेसर, दून विश्वविद्यालय, देहरादून, उत्तराखण्ड

आधुनिक युग में अपराधी इतने तेज और चालाक हो गए हैं कि वे अपराध के वारदात के मौके पर कुछ भी ऐसा चिह्न नहीं छोड़ना चाहते जिससे पुलिस को अपराधी का पता चल सके। ऐसी स्थिति में गंभीर अपराधों की दशा में पुलिस की स्थिति बहुत हो दयनीय हो जाती है। और उन्हें लोगों के आक्रोश को झेलना पड़ता है। इस विकट परिस्थिति में पुलिस को यदि कोई सुराग अपराधियों के बारे में मिलने की संभावना दिखती है तो वह सिर्फ वैज्ञानिक तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण एवं शव या आहत व्यक्तियों के शरीर का सूक्ष्म परीक्षण ही होता है। इससे निश्चित रूप से सुराग अपराधियों तक पहुंचने का मिल जाता है।

अपराध से अपराधी तक पहुंचने का हर संभव प्रयास एक अन्वेषणकर्ता कुशलता पूर्वक करता है। बीसवीं एवं इकीसवीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण देन अन्वेषण में विधान एवं तकनीक का प्रयोग है तथा आज का अन्वेषण इतना कुशल और सफल सिद्ध हुआ है कि वह अक्सर ईमानदारी और निष्ठा से किए जाने पर चूकनेवाला नहीं होता। एक अच्छे अनुसंधानकर्ता प्राथमिकी दर्ज कर साक्षियों का बयान लेने, घटनास्थल का मानचित्र बनाने, माल एवं वस्तुओं की बरामदगी हेतु तलाशी लेने, जब्ती सूचि बनाने आदि कार्यों तक हो सीमित या संतुष्ट नहीं रहता, बल्कि आवश्यकतानुसार चिकित्सकीय एवं रासायनिक परीक्षण, अंशुलोक, हस्ताक्षर एवं पद चिह्नों को जांच, फोटोग्राफी इत्यादि वैधानिक परीक्षण का भी आज सहारा ले रहा है। अज्ञात कांड का उदभेदन, सही अपराधी का पता लगाने तथा साक्ष्यों को साक्ष्य अधिनियम के निर्धारित प्रावधानों के अधीन सुसंगत पुलिस डायरी में बनाने का हर संभव प्रयास करता है।

अपराध करने की नयी नयी तकनीकियों का अपराधियों द्वारा इस्तेमाल करने के साथ-साथ पुलिस को भी अनुसंधान की नयी नयी तकनीकों का सृजन करना पड़ रहा है। अपराधों के अन्वेषण के लिए क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेन्ट, सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्टेलीजेन्स, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, अपराध अनुसंधान विभाग, फोरेंसिक साइन्स लेबोरेटरी का सृजन कर राज्य एवं केंद्र स्तर पर लगातार प्रयास किया जा रहा है।

अन्वेषण की जिन वैधानिक एवं तकनीकी उपकरणों का प्रयोग आज किया जा रहा है, उनमें से कुछ प्रमुख का जिक्र करना अन्वेषण की दृष्टि से आवश्यक है। ये विधियां निम्नप्रकार हैं:

(1) रासायनिक परीक्षण- अन्वेषण में रासायनिक परीक्षण का एक महत्वपूर्ण स्थान है। रासायनिक परीक्षण से अन्वेषण सरल एवं सुगम ही नहीं हो जाता है, अपितु यह सही निष्कर्ष पर भी पहुंचने पर सहायक होता है। कई अपराध ऐसे हैं जिनमें रासायनिक परीक्षण के बिना। अपराध को साबित करना अत्यंत ही कठिन होता है, जैसे—अफीम, शराब, अन्य नशीली वस्तुएं, विषपान, हत्या, बलात्कार, कूटरचना, आग्नेय अस्त्र, मिलावट

आदि से संबंधित मामले। इसमें अनुसंधानकर्ता को सावधानी से प्रदर्शा को जब्ती के बाद सावधानी से सील कर मुहर बंद लिफाफे में विशेष दूत से लेबोरेट्री भेजना चाहिए। रासायनिक परीक्षण का यह कार्य मुख्य रूप से 'स्टेट एवं सेंन्ट्रल फोरेन्सिक साइन्स लेबोरेट्री' द्वारा किया जाता है।

(2) फोरेन्सिक बेलिस्टिक अन्वेषण के क्षेत्र में 'फोरेन्सिक वैलिस्टिक' विज्ञान की वह शाखा है जो आग्नेय अस्त्र, गोला बारूद आदि से संबंधित समस्याओं का निराकरण करती है।

(3) चिकित्सीय परीक्षण अपराधों का पता लगाने में चिकित्सीय परीक्षण का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। मारपीट, हत्या, आत्महत्या, विषपान, दुर्घटना, बलात्कार, आदि मामलों में चिकित्सीय परीक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया है। चोटों का परीक्षण, पोस्ट मार्टम आदि चिकित्सीय परीक्षण के ही अंग है तथा परीक्षण के तुरंत बाद रिपोर्ट को चिकित्सक से प्राप्त कर लेना चाहिए। देर करने से अभियुक्तों द्वारा प्रभावित करने का खतरा बना रहता है।

शव परीक्षण के कई उद्देश्य होते हैं जो साक्ष्य अधिनियम अंतर्गत सुद्द साक्ष्य बनाते हैं। घटना के शिकार व्यक्ति की शिनाख्त करना, मृत्यु को कितना समय हुआ, मृत्यु का स्थान, कारण, मृत्यु आत्महत्या से हुई या हत्या हुई, इत्यादि का पता सही शव परीक्षण से ही हो पाता है। इससे आरोप निर्धारण में और सही व्यक्ति को सजा दिलाने में पुलिस को मदद मिलती है। 26 अगस्त, 1978 को गीता चोपड़ा एवं संजय चोपड़ा नामक प्रसिद्ध अपहरण कर हत्या के मामले में अपर रिज के पास कई दिन बाद उनके शव प्राप्त हुए थे तथा संदिग्ध व्यक्ति रंगा एवं बिल्ला को गिरफ्तार किया गया था तथा न्यायालय द्वारा दोनों को मृत्युदंड दिया गया था। माननीय जज ने केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला के कार्यों को सराहना की थी तथा चोरी गई कार जिसमें अपराध किया गया था उसके ऊपर प्राप्त रक्त के धब्बों से अभियुक्तों पर अपराध साबित किया जा सका था, क्योंकि चश्मदीद गवाह इस कांड के नहीं थे। वैज्ञानिक चिकित्सीय तरीके का यह अनूठा उदाहरण है।

(4) **फोटोग्राफी-** संपूर्ण घटनास्थल को जीवित रूप में चित्रित करने वाला यह एक महत्वपूर्ण साधन है। निष्पक्ष, विश्वसनीय, सही परिपूर्ण एवं निर्विवाद साक्ष्य के रूप में फोटोग्राफी को ग्राह्यता का प्रचलन किसी से छिपा नहीं है।

(5) अपराधी की धड़कनों को रिकार्ड करने वाली मशीन पूर्ण एवं परिपक्व अन्वेषण के लिए अपराधी के दिल, दिमाग और धड़कनों में होने वाले प्रभाव को रिकार्ड करने वाली यह मशीन इस शताब्दी की एक महत्वपूर्ण देन है। इस मशीन के माध्यम से अब अपराधियों को सच बोलने के लिए आतंकित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत सरकार द्वारा दिल्ली एवं हरियाणा पुलिस के लिए ऐसी दो मशीन 'खरीदी गई है।'

(6) वायर टेपिंग अपराधों को रोकथाम के लिए एक प्रभावकारी साधन के रूप में अमेरिका में इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस पद्धति के अन्तर्गत पुलिस अधिकारियों द्वारा टेलीफोन लाइन से संबंध स्थापित कर लिया जाता है ताकि अपराधियों के बीच होने वाले वार्तालाप को सुना जा सके। अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने इसे संवैधानिक माना है और कहा है कि 'वायर टेपिंग' अयुक्तियुक्त तलाशी एवं जब्ती की कोटि

में नहीं आता है। लेकिन सन् 1934 में यहां की कांग्रेस ने इसके लिए संबंधित पक्षों को समिति को आवश्यक माना है। इससे आपराधिक प्रवृति के प्रतिष्ठानों में भय बना रहता है।

(7) उंगली चिह्न एवं रन्ध्र विज्ञान : आधुनिक न्यायिक विज्ञान में पहचान स्थापित करने का सर्वाधिक विश्वासनीय स्रोत उंगली चिह्न एवं रन्ध्र विज्ञान माना जाता है। उंगली चिह्न के माध्यम से अपराध से अपराधी तक पहुंचने का मार्ग सुगम हो जाता है। यह सुस्थापित धारणा है कि दो व्यक्ति के उंगली चिह्न एक जैसे नहीं होते। उनमें कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य पाई जाती है। (4) फोटोग्राफी संपूर्ण घटना स्थल को जीवित फिर ये उंगली चिह्न जन्म से ही बन जाते हैं और मृत्युपर्यन्त वैसे ही बने रहते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति की पहचान स्थापित करने में उंगली चिह्न को अत्यंत विश्वसनीय माना जाता है। उंगली चिह्नों का इतिहास अत्यंत ही पुराना है। इस विज्ञान को उंगली चिह्न विज्ञान, रन्ध्र विज्ञान अथवा पोरस्कोपी कहा जाता है।

आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व मिस्र के राजा तुतम खुमे की कब्र में चिकनी मिट्टी के चौकोर टुकड़े मिले थे जिन पर उंगलियों के चिह्न अंकित थे। अपराध जगत में उंगली चिह्नों के माध्यम से अभियुक्त की पहचान स्थापित करने का श्रेय गाल्टन प्रणाली को जाता है। उंगलियों तथा अंगूठे के निशानों की विशेषताओं के कारण हस्तरेखा विशेषज्ञ इसे महत्व देने लगे हैं, क्योंकि व्यक्ति के मूल स्वभाव का प्रभाव उसके भाग्य पर पड़ता है। चूंकि उंगलियों के निशान स्थायी होते हैं, इसीलिए इसके आधार पर किसी जातक का स्वभाव और भविष्य भी बताया जा सकता है। उंगली चिह्नों को विभिन्न आकृतियां व्यक्ति के छिपे चरित्र को चुगली करती है। हाथ के हथेलियों और उंगलियों में रेखाओं के रूप में चक्र, सीप एवं शंख जैसी आकृतियाँ बनी होती हैं। आकृति के बाहरी भागों में डेल्टा एवं अन्दर की ओर कोर का निशान पाया जाता है। व्यक्ति की पहचान करने में इन्ही की मदद ली जाती है।

इस प्रकार की एक और तकनीक रन्ध्र विज्ञान अर्थात् पोरस्कोपी की है। यह लोकार्ड की मन और मस्तिष्क की उपज है। लोकार्ड ने उंगलियों के अंतिम पोर पर पाए जाने वाले रधीनों का जब सूक्ष्मदर्शक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया तो उसने यह पाया कि इन रंधोनों के साथ-साथ एक रेखा में छोटे-छोटे रन्ध्र (छिद्र) होते हैं जो एक दूसरे से सामान दूरी रखते हैं। इन्हीं रन्ध्रों के आधार पर व्यक्ति की पहचान आसानी से स्थापित की जा सकती है। उंगली चिह्न की तरह ये रन्ध्र भी जन्म से ही बने होते हैं तथा मृत्युपर्यन्त एक जैसे बने रहते हैं। आयु के साथ इनके आकार में परिवर्तन अवश्य हो सकता है लेकिन ये कभी भी नष्ट नहीं होते। इनमें कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य पाई जाती है।

(8) पद चिह्न- अपराध विधिशास्त्र की यह धारणा है कि अपराधी अपराध स्थल पर कुछ लेकर आता है, वहां से कुछ लेकर जाता है और वहीं कुछ छोड़ जाता है। जो कुछ वहां छोड़ जाता है उनमें पावों के निशान भी हो सकते हैं। इन्हीं पद चिह्नों के आधार पर अन्वेषण अधिकारी कभी-कभी अपने गन्तव्य लक्ष्य को आसानी से पा लेता है। पदचिह्नों से यह पता लगाया जाता है कि अभियुक्त कहां से आया, कहां गया और वह कौन है। उंगली चिह्न की तरह पद चिह्न भी जन्म से ही बन जाते हैं और मृत्युपर्यन्त वैसे ही बने रहते हैं। दो व्यक्तियों के पद चिह्न कभी एक जैसे नहीं होते। पद चिह्न की जांच हेतु पांव को चार भागों में वर्गीकृत किया जाता है— पंजा, फाबा, तली एवं एड़ी फावे में दो प्रकार की रेखाएं

पाई जाती है-कमल रेखा एवं डेड रेखा। पद चिह्न लेने की विभिन्न पद्धतियां है जैसे—ट्रेसिंग प्रणाली, कास्टिंग प्रणाली, फोटो ब्रोमाइड प्रणाली, आदि।

(9) ऑटोमेटिक फिंगर प्रिंट रिकग्नीशन (ए. ए. फ. आर.): अभियुक्त की पहचान का एक और वैज्ञानिक उपकरण आविष्कृत हुआ है जिसे "ऑटोमेटिक फिंगर प्रिन्ट रिकग्नीशन" (ए. एफ. आर.) कहा जाता है। यह उंगली चिह्नों से पहचान का ही एक स्रोत है। इसमें भी उंगली चिह्नों के माध्यम से अपराध से अपराधी तक पहुंचा जाता है। यह कार्य कम्प्यूटर द्वारा किया जाता है। नये अपराध होने पर अपराध स्थल से उठाए गए उंगलियों के चिह्नों का क्षण भर में मिलान करके अपराधी की पहचान करना संभव हो गया है। ब्रिटेन की पुलिस ने पूरे देश के अपराधियों की उंगलियों के निशान कम्प्यूटर में भरकर उनकी शिनाख्त करना प्रारम्भ किया है। लगभग 50 लाख उंगलियों के निशान कम्प्यूटर में भरे गए हैं।

(10) फेशियल एनालीसिस कम्पेरिजन एण्ड एलिमिनेशन सिस्टम" (फेसेज) : अपराधी को पकड़ने के लिए एक और नवीनतम पद्धति लंकाशायर में अविष्कृत की गई है जिसे "फेशियल एनालीसिस कम्पैरिजन एण्ड एलिमिनेशन सिस्टम" (फेसेज) कहा जाता है। इसमें संदिग्ध अपराधियों के चित्रों में से वास्तविक अपराधी को खोज निकालने में घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों की सहायता ली जाती है। साक्षी द्वारा अपराधी का हुलिया बता दिया जाता है। इस हुलिए के आधार पर तथा कथित अपराधी के शक्ल के आंकड़े फेसेज द्वारा कम्प्यूटर प्रणाली में भरे जाते हैं। कम्प्यूटर इससे मिलान करके ऐसे मिलते जुलते 12 चेहरे एक साथ विडियो स्क्रीन पर दिखा देता है। इनमें से वास्तविक अपराधी का चेहरा खोज निकालना आसान हो जाता है। इसकी मेमोरी में सभी अपराधियों के हुलिये दर्ज होते हैं।

(11) डी. एन. ए. इसे जीन प्रणाली भी कहा जाता है। जोनों की पहचान में डी.एन.ए. एक सहायक तत्व है। हर व्यक्ति के शरीर में अरबों कोशिकाएं पाई जाती है। हर कोशिका में एक न्यूक्लियस होता है, जिसमें लाखों डी.एन.ए. अणु पाए जाते हैं। बढ़ते हुए अपराधों को एक आधुनिकतम तकनीक "डी.एन.ए. फिंगर प्रिंट" (डी आक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड) ने काफी निरूत्साहित किया है। इस सफलतम प्रौद्योगिकी का श्रेय डा. जेम्स बी. वाटसन तथा डा. फ्रांसिस एच. किक को संयुक्त रूप से जाता है।

किन्ही दो व्यक्तियों के डी.एन.ए. एक सामान नहीं होते हैं और इसी कारण हर व्यक्ति की शक्ल-सूरत और उनका व्यक्तित्व अलग-अलग होता है। लेकिन जुड़वा बच्चों पर यह बात लागू नहीं होती है। उनमें डी.एन.ए. और जीन एक सामान हो सकते हैं। प्रजनन के माध्यम से माता पिता के विशेष गुण उनकी संतानों में पहुंचते हैं और यह कार्य डी. एन. ए. अणु द्वारा संपन्न होता है। व्यक्तियों को अनुवांशिक स्तर पर पहचानने के लिए सहायता देने वाले डी.एन.ए. को आधार बनाकर 1985 में प्रो. एलेक जैफ्रोस ने एक तकनीक डी.एन.ए. फिंगर प्रिन्ट नाम से विकसित की। भारत में पहली बार पितृत्व सिद्ध करने में 1989 में केरल के एक मामले में इसे मान्यता दी गई। इतना ही नहीं, राजीव गांधी की हत्या के मामले में धनु नामक मानव बम को पहचानने के लिए डी.एन.ए. फिंगर प्रिन्ट का सफल प्रयोग किया गया।

(12) गोदन चिह्न विशेष रूप से अज्ञात स्थानों पर

मृत्यु हो जाने अथवा दुर्घटना के मामले में मृतक एवं दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की पहचान स्थापित करने में गोदन-चिह्न वरदान सिद्ध होते हैं। गोदन चिह्नों से भी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने में काफी मदद मिलती है। विश्व के प्रायः सभी देशों में और विशेष रूप से भारत में गोदने की प्रथा अतीत काल से चली आ रही है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रीयां इसमें ज्यादा रुचि लेती हैं। गोदन-चिह्नों से व्यक्ति के नाम, पिता या पति का नाम, जन्म स्थान, भाषा एवं संस्कृति आदि का पता चल जाता है। मिटे या लुप्त हुए गोदन चिह्नों की तलाश अल्ट्रावाईलेट तथा इंफ्रारेड पद्धतियों से आसानी से की जा सकती है। सिडनी शार्क का इस संबंध में एक महत्वपूर्ण मामला है। इसमें जेम्स स्मिथ नामक व्यक्ति अचानक लापता हो गया था। उसके लापता होने के लगभग दो सप्ताह के भीतर एक शार्क मछली पकड़ी गई जिसे अचानक उल्टी हुई, तो उसमें से एक कटा हुआ हाथ निकला। यह हाथ किसी और का नही जेम्स स्मिथ का ही था। उस पर मुष्टि युद्ध गोदन आकृति थी जिसे स्मिथ की पत्नी और भाई ने पहचान लिया। स्मिथ की हत्या उसके एक मित्र पेट्रिक ब्रेडो द्वारा की गई थी, जिसे पकड़ लिया गया। पानी में डूबकर मरने वाले व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने में गोदन चिह्न अत्यन्त सार्थक सिद्ध हुए है। आजकल लेजर किरणों से इन्हें आसानी से मिटाने की विधि का प्रचलन अधिक बढ़ गया है।

(13) लोकार्ड प्रणाली : इस नियम के अनुसार जब दो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, अथवा दो वस्तुएं परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, तो उसमें कुछ न कुछ विनिमय अर्थात आदान-प्रदान अवश्य होता है। वे एक दूसरे पर अपने चिह्न अवश्य छोड़ते हैं और उन्हीं के आधार पर अपराधी का पता लगा लिया जाता है। अपराधी का पता लगाने के लिए फ्रांस के विख्यात न्यायिक विज्ञानी लोकार्ड ने 'परस्पर विनिमय का सिद्धांत' प्रतिपादित किया है। इसे 'आदान-प्रदान का नियम' भी कहा जाता है।

लोकार्ड का परस्पर विनिमय का यह सिद्धांत बलात्कार, वाहन दुर्घटना, गृह भेदन आदि मामलों में यह अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। बलात्कार के मामलों में स्त्री के पेटीकोट पर पुरुषों के वीर्य के धब्बे पाया जाना, स्त्री की योनी के बाल पुरुष के लिंग पर पाया जाना, दो वाहनों में टक्कर हो जाने पर वाहन के पेंट का छाप-चिह्न टकराने वाले वाहन पर अंकित हो जाना आदि, इसके अच्छे उदाहरण हैं। यह प्रणाली अभी भी कारगर सिद्ध हो रही है।

(14) बर्टिलान प्रणाली यही सिद्धांत भी किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण है इसे "नुमापी" प्रणाली अथवा शारीरि' नाप की प्रणाली भी कहा जाता है। बटिलान की मान्यता थी कि व्यक्ति के शरीर पर तिल मस्से, गोदन-चिह्न, दाग-चिह्न, उसके नाक, कान, गाल केश आदि की आकृति तथा लंबाई एवं चौड़ाई आदि से पहचान स्थापित करना अत्यन्त आसान है। बटिलान फ्रांस का निवासी था तथा उसे वैज्ञानिक जासूसी का जनक समझा जाता था। उसने शारीरिक नाप तथा अन्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर व्यक्ति की पहचान स्थापित करने की 'नुमापी प्रणाली' का आविष्कार किया। उसके अनुसार शारीरिक निशानों, अंगों, नापों आदि के माध्यम से व्यक्ति की पहचान सुगमता से हो जाती है। शारीरिक निशान जैसे तिल मस्से, गोदन चिह्न, आहट (चोट) चिह्न) आदि हो सकते हैं। शारीरिक अंग जैसे आंखें, कान, गाल, केश, नाक, शरीर का रंग इत्यादि घुंघराले बाल, सख्त बाल, मुलायम बाल, भूरी आंखें, काली आंखें, गोरा-सफेद

रंग, काला सांवला रंग इत्यादि से व्यक्ति की पहचान का संकेत मिल सकता है। बटिलान का मानना था कि 21 वर्ष की उम्र के बाद शारीरिक मापों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा दो व्यक्तियों के शारीरिक माप कभी भी एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं।

(15) सम्मोहन विज्ञान यह ज्ञान-विज्ञान की एक नवीनतम शाखा है। यह अचेतन मन में दबी घटनाओं एवं तस्वीरों को स्मृति पटल पर उजागर करने का एक विलक्षण विज्ञान है। अब तक कई मामलों में इस विज्ञान का प्रयोग किया जा चुका है और उसमें आशातीत सफलता मिली है। बात विचित्र किन्तु सच है कि अब सम्मोहन विज्ञान द्वारा अपराधियों को अपनी गिरफ्त में लिया जा सकेगा। एक बार लंदन शहर में एक अबोध बालिका का अपहरण कर लिया गया। काफी लम्बे समय तक अपराधियों का पता नहीं चला। कुछ व्यक्तियों ने इस घटना को आंखों से भी देखा था, लेकिन वे अपराधियों के हुलिया बताने में असमर्थ थे क्योंकि यह सारी घटना एक मिनट में ही घट गई इसीलिए वे अपराधियों का चेहरा न तो स्पष्ट रूप से देख सके और ना ही याद रख सके।

बलात्कार जैसे मामलों में यह विज्ञान और भी सार्थक सिद्ध हुआ है। बलात्कार के मामले में अधिकांश पीड़ित महिलाएं कुछ भी बताने को तैयार नहीं होती है, क्योंकि इससे उनके अपमानित एवं कलंकित होने की आशंका रहती है। ऐसी महिलाओं पर सम्मोहन शक्ति का प्रयोग कर अचेतन मन में दबी अपराधी की तस्वीर एवं घटना के तथ्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। पुलिस ने साक्षियों की याददाश्त ताजा करने के लिए सम्मोहन शक्ति का प्रयोग किया। परिणाम यह हुआ कि साक्षियों ने अपराधियों का हुलिया तथा अपराध कारित करने में प्रयुक्त की गई कार का नम्बर बता दिया और पुलिस अपराधियों तक पहुंचने में कामयाब हो गई।

(16) इलेक्ट्रानिक बंधन : यह यंत्र आकार में माचिस की डिबिया जैसा होता है। इस यंत्र में नवजात शिशुओं से संबंधित सारी जानकारी इकट्ठी कर दी जाती है। यह यंत्र विशेष कोड या रेडियो सिग्नल प्रसारित करता रहता है। ऐसे सिग्नल को अस्पताल, नर्सिंग होम तथा प्रसूति गृह के निकास पर लगी एंटीना ही पकड़ सकते हैं। ज्योंहि यह यंत्र ऐसे निकासों के पास आता है वह एंटिना द्वारा पकड़ लिया जाता है। अस्पतालों, नर्सिंग होमों तथा प्रसूति गृहों से नवजात शिशुओं की चोरी को रोकने के लिए लन्दन के एक अस्पताल में 'इलेक्ट्रानिक 'बंधन' नामक एक यंत्र स्थापित किया गया है। इन यंत्रों को नवजात शिशुओं के हाथ या पैर में इस प्रकार बांध दिया जाता है कि वह आसानी से हटे नहीं। जब भी कोई महिला चोर ऐसे शिशुओं को चुराकर ले जाती है तो निकास पर वह पकड़ में आ जाती है। इस प्रकार शिशु चोरी को रोकने एवं पकड़ने वाला यह एक अद्भुत यंत्र है।

(17) एन.सी.आई.एस. : आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष कम्प्यूटर द्वारा 15000 करोड़ रुपये अधिक की चोरी और जालसाजी हो रही है। जापान के एक फिल्म स्टार के बेटी का अपहरण कर लिया और फिरौती के लिए भारी रकम की मांग की। कम्प्यूटर के माध्यम से पुलिस सुराग पाने में लग गई और सभी बैंकों के खातों को कम्प्यूटर पर डाल दिया गया। अगले दिन निर्धारित राशि बैंक में जैसे ही जमा की गई और अपराधी एक केन्द्र से रकम निकालने लगा वैसे ही कम्प्यूटर ने पुलिस को संकेत दे दिया कि कौन से खाते से रकम निकाली जा रही है। पुलिस ने टोकियो रेलवे स्टेशन के भीतरी

आंगन में स्थापित बैंक के खाते से निकाली जा रही रकम को कम्प्यूटर की मदद से राशि और अपराधी दोनों को पकड़ लिया। इस प्रकार यह कम्प्यूटर भी पुलिस अनुसंधान में अति उपयोगी साबित हो रहा है।

कम्प्यूटर द्वारा व्यक्तियों तथा दर्ज किए गए अपराधों के बीच संबंधों का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रणाली ने सन् 1995 के मध्य में काम करना प्रारम्भ किया है। इस प्रणाली में सर्वप्रथम लन्दन, ब्रिस्टल, वेकफील्ड, मैनचेस्टर और बर्मिंघम स्थित कार्यालयों में उपलब्ध सूचनाओं को इलेक्ट्रॉनिक मेल के जरिये या फिर चार्ट्स के रूप में प्रिन्ट करके संबंधित विभागों को भेजना प्रारम्भ किया। चोरी एवं नशीली वस्तुओं के व्यापार में यह प्रणाली अत्यन्त सफल सिद्ध हुई है।

ब्रिटिश पुलिस की खुफिया ऐजेंसी 'नेशनल क्रिमिनल इंटेलिजेंस सर्विस' (एन.सी.आई.एस.) लगभग 450 पुलिस एवं कस्टम अधिकारियों का एक ऐसा संगठन है जो अत्यन्त शक्तिशाली कम्प्यूटरों के माध्यम से कुख्यात अपराधियों की धरपकड़ एवं पहचान स्थापित कर लेता

(18) जासूसी कुत्ते : आधुनिक अन्वेषण में खोजी कुत्तों की सहायता एक विशिष्ट बात है। अपराधी का पता लगाने में ये कुत्ते अन्वेषणकर्ता का मार्गदर्शन करते हैं। भारत में सन् 1951 में सर्वप्रथम मद्रास में भारतीय पुलिस कुत्ते दल का गठन किया गया था। आज लगभग सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में यह कारगर ढंग से पुलिस अनुसंधान में लगाए जा रहे हैं। जिन कुत्तों की नस्ल इस कार्य में लगाया जाता है उसमें प्रमुख हैं- अलशेसियन, डोवरमेन, लेब्राडोर तथा पिनिस्वर्स। इनके अतिरिक्त मडुहोल हाउंड (कर्नाटक), रामपुरी हाउंड (उत्तरप्रदेश), राजापलायम (मद्रास), बंजारा कुत्ता और तिब्बतन कुत्ता। इन नस्लों को ज्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

कुत्ते ना केवल स्वामीभक्त एवं वफादार होते हैं, अपितु पुलिस एवं सेना में भी उसको महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये ऐसे जीव हैं जिनमें इतनी बुद्धि होती है कि यदि उन्हें प्रशिक्षित किया जाए तो जासूसी जैसे कार्य भी सफलतापूर्वक करके अपराधियों को पकड़ सकते हैं। ऐसे कुत्तों का मुख्य लक्ष्य अपराधियों को खोज निकालना होता है। यह कार्य ये कुत्ते अपनी सूंघने की शक्ति के माध्यम से करते हैं। जासूसी कुत्ते को प्रशिक्षण देने वाली भारत में भी एक ऐसी संस्था है 'राष्ट्रीय कुत्ता प्रशिक्षण केन्द्र, टेकनपुर जहां विशेष रूप से विदेशी कुत्तों को प्रशिक्षित किया जाता है।

(19) फेक मनी डिटेक्टर इसमें एक विशेष प्रकार का रासायनिक द्रव्य भरा होता है जो कागज पर भूरे काले रंग का निशान छोड़ देता है किन्तु करेंसी नोट पर इसका निशान दिखाई नहीं देता है। फेक मनी डिटेक्टर इसी फर्क को पकड़ता है। अमेरिका में हाल ही में नकली नोटों के जांच के लिए 'फेक मनी डिटेक्टर' नामक एक विशेष पैन बनाया गया है जो विश्व भर के लगभग 150 किस्मों के करेंसी नोटों की तत्काल जांच कर सकता है। करेन्सी नोट एक विशेष प्रकार के आयातित कागज पर ही छापे जाते हैं जबकि नकली नोट छापने वाले ठग सामान्य कागज का प्रयोग करते हैं।

(20) लाई डिटेक्टर : मनुष्य के आंतरिक धारणाओं को प्रकट करने वाली मशीन इस शताब्दी का एक आश्चर्य है मानव मन को पहचानने वाली यह मशीन झूठ दर्शक यंत्र कहलाता है। 1926 में इस मंत्र का आविष्कार प्रो. किलर ने किया था। इनके माध्यम से क्रमशः श्वास की दर, रक्तचाप और हृदय को गति तथा मानसिक

भावनाओं में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यह यंत्र व्यक्ति के श्वास, रक्तचाप, नाड़ी की गति एवं त्वचा की संवेदनशीलता को अंकित कर अपराधी के मन तक पहुंच जाता है। मानव मन को पहचानने वाला और मनुष्य की आन्तरिक भावनाओं को प्रकट करने वाला एक और विलक्षण यंत्र है 'लाई डिटेक्टर' अर्थात् झूठ दर्शक यंत्र इसमें मुख्यतः तीन यंत्र होते हैं नेमाग्राफी, कार्डियोस्पोमोग्राफी एवं साइकोगेलवेनोग्राफ। यहां यह भी उल्लेख है कि टेक्सास यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का कहना है कि झूठ बोलने का काम दिमाग करता है, ना कि दिल प्रयोग से यह स्पष्ट हुआ है कि 'फंक्शनल मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग इक्विमेन्ट' नामक उपकरण से यह पता चल जाता है। कि झूठ बोलते समय मस्तिष्क का पेरिएन्टल लोब नामक वह हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो आम तौर पर गणना करने के लिए प्रयुक्त होता है। मैनचेस्टर के वैज्ञानिकों ने हाल ही में झूठ पकड़ने वाली एक सटीक मशीन का आविष्कार किया है। परीक्षण से यह मशीन 80 प्रतिशत तक सटिक साबित हुई है। साइलेंट टाकर नाम यह मशीन यह भी बता देती है कि बोलने वाला व्यक्ति आधा झूठ बोल रहा है या पूरा सफेद झूठ।

(21) पॉलीग्राफ : इस यंत्र के सामने यदि किसी व्यक्ति द्वारा झूठ बोला जाता है तो इस यंत्र के पटल पर झूठ बोलने के संकेत उभर जाते हैं। झूठ को पकड़ने वाला एक और यंत्र पॉलिग्राफ है। पॉलिग्राफ नामक यह यंत्र पूरी संवेदनशीलता के साथ ग्रहण करता है। झूठ बोलते समय मनुष्य की मानसिक उत्तेजना बढ़ जाती है और इस उत्तेजना के कारण कुछ ग्रंथियों से एक विशेष प्रकार का हारमोन निकलने लगता है जिसके कारण दिल को धड़कन बढ़ जाती है और रक्तचाप भी बढ़ जाता है। पॉलीग्राफ नामक यह यंत्र इन सब परिवर्तनों को पूरी संवेदनशीलता के साथ ग्रहण करता है।

(22) आवाज पहचानने वाली मशीन - इस तकनीक को आगे बढ़ाने के लिए चण्डीगढ़ की अपराध विज्ञान प्रयोगशाला में इसका एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इसका लाभ यह है कि इसमें विभिन्न तरीकों से आवाज और उच्चारण का परीक्षण किया जा सकता है और जिसकी आवाज का परीक्षण करना है उससे लिखी हुई सामाग्री पढ़वाने या सवाल पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विगत दिनों संसद पर हमला करने वाले षड्यंत्रकारियों को पकड़ने में आवाज पकड़ने वाली मशीन का सहारा लिया गया था।

(23) इलेक्ट्रॉनिक कैमरे अमेरिका में ओसामा बिन लादेन के पश्चात् वहां असुरक्षा की आशंकाए घर कर गई है। इस शंका से उभरने के लिए अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में इलेक्ट्रॉनिक कैमरों का अविष्कार किया गया है जो पल-पल की खबरें रखते हैं। इस कैमरे से सभी व्यक्ति सुरक्षा कर्मियों की नजर में रहते हैं। इन कैमरों से युक्त निगरानी केंद्र में बैठे सुरक्षा अधिकारी पूरे शहर को देख सकते हैं।

(24) कम्प्यूटर पर अपराधियों का रिकार्ड: देश भर के पुलिस मुख्यालयों को इस कम्प्यूटर स्कीम से जोड़ने के पश्चात् पुलिस की संचार व्यवस्था में काफी सुधार आ जाएगा। इसके लिए एक 'साफ्टवेयर प्राइम क्राइम इन्फोरमेशन सिस्टम' (पी. सी. आई. एस.) तैयार किया गया है। इसके बाद 'पोलनेट' का निर्माण कर कम्प्यूटरों को आपस में जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की पहल पर संपूर्ण देश में एक ऐसी कम्प्यूटराइज्ड सेवा प्रारम्भ की गई है जिसमें 'की' बटन दबाते ही अपराधी का पूरा रिकार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा।

उपरोक्त विधियां अत्यंत वैज्ञानिक हैं तथा पुलिस अनुसंधान में वे अहम भूमिका अदा कर सकती हैं यदि अन्वेषणकर्ता सावधानी से अनुसंधान में इनका प्रयोग करें। पुलिस को विशिष्ट उपलब्धि यह दिला सकती है तथा एक से एक कठिन अज्ञात काण्डों का उद्भेदन में सहायक सिद्ध हो सकता है। पुलिस को अनुसंधान में सदा धैर्य और वैज्ञानिक तरीके ही अपनाने चाहिए क्योंकि बिना किसी दूसरे साक्ष्य के भी, ये न्यायालय में अधिक टिकाऊ और विश्वसनीय माने जाते हैं तथा सही अपराधियों को सजा दिलाने में अत्यंत ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं।

****

चिकित्सीय उपेक्षा – एक अध्ययन

डॉ0 शैलेन्द्र कुमार अवस्थी
अधिवक्ता, प्रयागराज

वर्तमान समय में, भारत वर्ष में चिकित्सीय उपेक्षा एक महत्वपूर्ण समस्या नहीं है जबकि उत्तरी अमेरिका की यह एक ज्वलन्त समस्या है तथा इससे अपेक्षाकृत कम यह यूरोप में स्थान रखती है। इतने पर भी चिकित्सीय उपेक्षा सम्बन्धी समस्याओं का अनुभव अब भारतवर्ष में भी किया जाने लगा है और जैसे-जैसे चिकित्सा सम्बन्धी सेवाओं के विस्तार एवं स्तर में वृद्धि होती है, वैसे-वैसे निरक्षरता एवं साक्षरता तथा आबादी में वृद्धि होने के कारण, चिकित्सा जगत में उपचार और रोगों के होने के कारणों के अन्वेषण में वास्तविक या कल्पित त्रुटियों में वृद्धि का होना अवश्यम्भावी हो जाता है। अतएव रोगियों के बीच असंतोष का व्याप्त होना स्वाभाविक है।

चिकित्सीय उपेक्षा की सर्वाधिक सम्भावनाएँ बड़े-बड़े शहरों में होती है। इसका कारण यह है कि शिक्षित एवं धार्मिक वर्ग के लोग इसके प्रति सामान्य व्यक्तियों की तुलना में अधिक जागरुक होते है और उन्हें उनकी चिकित्सीय उपचार में की गयी कमियों की जानकारी आसानी से हो जाती है जिससे कि वे इसका समाधान प्राप्त करने हेतु न्यायालय की शरण लेने में यथाशीघ्र समर्थ हो जाते है।

अतएव यदि भारतीय ऐसी समस्याओं से बचना चाहते है, तो उन्हें इस समस्या के बारे में अवश्यमेव अपनी जानकारी में वृद्धि करना चाहिए। दूरस्थ तथा ग्रामीण क्षेत्रों के रोगी चिकित्सीय उपचार के प्रति आभारी होने की प्रवृत्ति रखते हैं और उन्हें ज्यादातर इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं होती है कि उनके उपचार में चिकित्सक द्वारा क्या उपेक्षा की गयी और इस प्रकार उनके साथ की जाने वाली उपेक्षा के प्रतिकर के लिए किस ढंग से चिकित्सक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। यही कारण है शल्य चिकित्सक सदृश्य डाक्टरों को उपेक्षावान कार्यवाहियों के विरुद्ध बीमा कराने में हजारों रुपये व्यय करने होते है। यही नहीं बल्कि कतिपय चिकित्सक विधिक परिणामों के भय से अपने रोगी को जोखिम भरा शल्य चिकित्सा करने से भय खाते हैं।

चिकित्सीय उपेक्षा को कभी-कभी "अनाचार या दुराचार' (malpractice or malpraxis) के नाम से सम्बोधित किया जाता है। लेकिन इसे बिल्कुल सही नहीं माना जा सकता है अनियमित चिकित्सीय व्यवसाय के दूसरे प्रारूपों (जैसे कि दाण्डिक गर्भपात) को दुरुपचार होने की संज्ञा दी जा सकती है। लेकिन इसे वह चिकित्सीय उपेक्षा नहीं माना जा सकता है जो कि चिकित्सा की सावधानी के स्तर पर रोगी तथा डाक्टर के बीच एक विवाद होता है।

चिकित्सीय उपेक्षा की परिभाषा

चिकित्सीय उपेक्षा "उस युक्तियुक्त सावधानी एवं कुशलता का अभ्यास करने के लिए अपने रोगी को एक डाक्टर द्वारा ऋणी कर्तव्य का उल्लंघन है जो कि

कुछ शारीरिक, मानसिक या आर्थिक निर्योग्यता का परिणाम देता है।"

चिकित्सीय उपेक्षा, किसी अन्य प्रकार की उपेक्षा से विधि में भिन्न नहीं होता है। उपेक्षा, चिकित्सीय हो या अन्यथा एक अपकृत्य के रूप में ज्ञात एक सिविल दोष है तथा एक उस संकल्प का उल्लेख करना कठिन होता है जिसे संविदा को उद्भूत होने वाले एक सिविल दोष के रूप में समझा जा सकता है। वह बड़ी मुश्किल से चिकित्सीय उपेक्षा को दाण्डिक न्यायालयों के रोगियों तथा डाक्टरों के मध्य एक सिविल कार्यवाही से अलग कर सकते है? जहाँ राज्य "दाण्डिक उपेक्षा" के समान अर्थ रखने वाले बिना सोचे विचारे एक तीक्ष्ण मात्रा में एवं खतरनाक व्यवहार के लिए अभियोजित करता है।

चिकित्सीय उपेक्षा की प्रवृत्ति

किसी भी प्रकार की उपेक्षा को साबित करने के लिए निम्नलिखित बातों को अवश्यमेव दर्शित करना चाहिए-

(1) यह कि चिकित्सक (प्रतिवादी) को रोगी (वादी) के प्रति सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना था।

(2) यह कि प्रतिवादी ने उस कर्तव्य को भंग किया अर्थात् उसको अपने कर्तव्य का अनुपालन करने में असफल पाया गया।

(3) यह कि जिसके परिणामस्वरूप रोगी द्वारा क्षति उठायी गयी।

उपर्युक्त तीनों दशाएँ को अवश्यमेव अभियोजन की कहानी में मौजूद होना चाहिए अन्यथा चिकित्सक के विरुद्ध किसी भी आरोप को पोषणीय नहीं माना जा सकता है। यद्यपि वहाँ भी जहाँ चिकित्सक ने अपने रोगी के प्रति जिस कर्तव्य का निर्वाह किया, उसमें स्पष्टरूपेण कर्तव्य को भंग करने के तत्व मौजूद थे, लेकिन वहाँ भी उपेक्षा करने की कोई भी कार्यवाही उस चिकित्सक के विरुद्ध तब तक प्रारम्भ नहीं की जा सकती है, जब तक रोगी को उसके कर्तव्य के भंग होने से कोई शारीरिक या आर्थिक क्षति न कारित हुई हो उदाहरणार्थ – यदि एक डाक्टर एक मरीज की चर्मरोग का उपचार 'एसिड' से करने के बारे में कहता है और वह मरीज उसे छोड़कर एक दूसरे डाक्टर के पास इलाज के लिए चला जाता है; तो वह मरीज, पहले डाक्टर के विरुद्ध उपेक्षा के लिए एक वाद नहीं दायर कर सकता है क्योंकि उसने उसकी सलाह को स्वीकार नहीं किया और जिसके परिणामस्वरूप प्रश्नगत सलाह से उसकी कोई क्षति नहीं हुई है।

उपेक्षा के निम्नलिखित तीन तत्वों का अध्ययन सविस्तार अवश्यमेव किया जाना चाहिए।

कुशलता एवं सावधानी बरतने का कर्तव्य

जहाँ एक डाक्टर तथा एक रोगी के बीच सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, वहाँ डाक्टर द्वारा उपचार करने के दौरान कुशलता एवं सावधानी बरते जाने के कर्तव्य का प्रादुर्भाव हो जाता है। ऐसे सम्बन्ध की स्थापना बड़ी आसानी से हो जाती है और यह किसी भी दृष्टिकोण से न तो रोगी की औपचारिक स्वीकृति पर निर्भर करता है और नहीं डाक्टर की फीस की अदायगी पर।

यदि कोई डाक्टर किसी ऐसे व्यक्ति का उपचार नहीं करता है जो कि यद्यपि उसका रोगी नहीं है, फिर भी आपत्तिकालीन स्थिति में है, तो यह उपेक्षावान नहीं है। यद्यपि इस कार्यवाही पर नीतिशास्त्र के आधार पर

यह प्रश्न किया जा सकता है कि सभी डाक्टरों का यह नैतिक कर्तव्य होता है कि वे यथासम्भव मानवजाति के सदस्यों की सहायता करे। इतने पर भी यदि वह किसी रोगी का चुनाव उपचार करने के लिए नहीं करता है, तो उस रोगी के प्रति उसका सर्तकता पूर्वक कर्तव्य का निर्वाह करने का कोई कर्तव्य नहीं होता है।

इतने पर भी डाक्टर एवं रोगी का परीक्षण करने हेतु उसको नियोजित करने वाले प्राधिकारी के बीच एक कर्तव्य का प्रादुर्भाव होता है, लेकिन यदि ऐसी दशा में डाक्टर के द्वारा कर्तव्य का निर्वाह किये जाने में कोई अयोग्यता पायी जाती है, तो यह रोगी के सन्दर्भ में कार्यवाही के कारण के साथ एक अपकृत्य नहीं होगा, बल्कि नियोजक के साथ यह एक संविदा भंग होना माना जायेगा।

डाक्टर की योग्यता की मात्रा

किसी भी डाक्टर में एक युक्तियुक्त मात्रा में दक्षता होनी चाहिए और उसे एक रोगी के उपचार करने के दौरान एक समुचित मात्रा में दक्षता के भलीभांति अवश्यमेव तत्परता भी प्रदर्शित करना चाहिए। वहाँ किसी भी उच्चस्तरीय अनुभंग रखने वाले एक चिकित्सक का परामर्श असफल हो सकता है, जहाँ कि वह सावधानी की एक पर्याप्त मात्रा के साथ अपने उच्चतर ज्ञान का प्रयोग करने में असफल हो जाता है। निःसन्देह जब एक अनुभव हीन चिकित्सक एक ऐसी किसी प्रक्रिया का प्रयोग करने का प्रयास करता है जिसके बारे में उसे कोई अनुभव नहीं है, तब वह सिवाय एक आपत्तिकालीन स्थिति में मामले लिये, उपेक्षावान माना जायेगा चाहे उसके द्वारा उस प्रक्रिया में स्वतः उसकी क्षमता का सर्वोत्तम प्रयास क्यों न किया गया हो।

योग्यता की मात्रा एक निर्धारित गुण नहीं होता है लेकिन यह चिकित्सीय व्यवसाय की पंक्ति में डाक्टर के स्तर के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है। यह समस्त डाक्टरों की योग्यता का वह न्यूनतम स्तर होता है, जिसे मेडिकल कालेजों की परीक्षाओं को योग्यता प्राप्त करने एवं राज्य चिकित्सा परिषद् तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् के द्वारा की जाती है जो कि डाक्टरों का पंजीकरण करने के लिए स्वीकृति प्रदान करते हैं। चिकित्सीय व्यवसाय की न्यूनतम स्तर का निर्धारण अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित डाक्टरों से जनता की सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। ऐसी स्थिति में जब एक बार उनकी पंजीकरण हो जाता है, तो जनता यह प्रत्याशा कर सकती है कि वे उनके मरीजों के लिए एक ख़तरे से बचाने की पर्याप्त दक्षता हासिल कर लेते है। ऐसे न्यूनतम बिन्दु से परे, वरिष्ठ विशेषज्ञों के नये स्नातक की उपाधि को प्राप्त किये हुए चिकित्सक से दक्षता के एक सम्पूर्ण वर्णक्रम होता है।

किसी भी डाक्टर से यह प्रत्याशा नहीं की जाती है कि वह सभी प्रचलित चिकित्सीय अनुभव को रखे और न ही उससे सभी ज्ञात रोग के कारण का अन्वेषण करने तथा औषधि सम्बन्धी तकनीकिओं की जानकारी रखने की ही अपेक्षा की जा सकती है। इतने पर भी एक डाक्टर से व्यवसाय में अपनी दशा की तत्संवादी क्षमता एवं डिक्रियों के स्तर के अनुपात में अनुभव रखने की अपेक्षा की जाती है। एक घरेलू शल्य चिकित्सक से परामर्शदाता शल्य चिकित्सक के सदृश्य कुशलता रखने की आशा की जाती है, अतः उससे ऐसे चिकित्सीय सावधानी के एक स्तर (सिवाय आपत्तिकालीन मामले के) अपने क्रियाकलापों को सीमित रखने की प्रत्याशा

की जाती है जो कि उसकी योग्यता के घेरे के अन्दर आता हो। यदि एक घरेलू शल्य चिकित्सक स्वेच्छया एक बड़ी शल्य चिकित्सा सम्बन्धी चीर-फाड़ करता है और यह शल्य चिकित्सा किसी आपत्तिकालीन परिस्थिति में नहीं की जाती है और इससे उसके रोगी की क्षति होती है, तो वह उपेक्षा का दोषी ठहराया जायेगा, कारण कि रोगी उससे यह आशा करने का पर्याप्त कारण रखता है कि वह पर्याप्त योग्यता रखता होगा।

यह शरीर के किसी अंग की चेतना शून्य व्यवसाय निश्चेतन करने वाले सभी विशेषज्ञों के प्रति लागू होता है और यह विश्वास करने हेतु अपने रोगी का नेतृत्व करने के लिए यह किसी भी कनिष्क डाक्टर के लिए खतरनाक होता है। स्वाभाविक तौर पर इस कथन में ऐसी टिप्पणी के आधार पर अवश्यमेव संशोधन किया जाना चाहिए कि यदि डाक्टर इतनी दूरी पर है जहाँ कोई चिकित्सीय सहायता सुलभ नहीं है या आपत्तिकाल में जहां वरिष्ठ साथी के आने के पूर्व उसे कुछ शीघ्रातिशीघ्र करना होता है। यदि यहाँ उपचार से किसी व्यक्ति की कोई क्षति होती है और तदोपरान्त क्षतिपूर्ति का दावा करता है तो उपर्युक्त परिस्थितियों को भी अभिनिर्धारण करने के समय न्यायालय को दृष्टिगत रखना होता है। भारतवर्ष में इन सभी मुद्दों के बारे में सामान्य लोगों की जानकारी में दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है जिससे कि वे सुलभ्य चिकित्सीय सेवाओं के प्रति अपेक्षाकृत अधिक जागरूक होते जा रहे है और जहाँ उनके रोगियों के साथ डाक्टरों द्वारा उपचार में अनियमितता या उपेक्षा बरती जाती है, वहाँ वे उनके विरुद्ध प्रतिकर का दावा करने में चूक नहीं करते हैं।

सावधानी बरतने का कर्तव्य भंग

उपेक्षा के मुद्दे पर एक प्रसिद्ध न्यायाधीश का यह कथन ध्यान देने योग्य है कि "उपेक्षा की श्रेणियाँ कभी समाप्त नहीं होती है अर्थात् उन सभी बातों की एक पूर्ण सूची को तैयार करना असम्भव है जो एक उपेक्षापूर्ण कार्यवाही को जन्म देते है, कारण कि आधुनिक युग में दिन प्रतिदिन चिकित्सीय तकनीक में विकास हो रहा है। ऐसी कोई भी चीज जिसे डाक्टर करता है, वह उस रोगी के लिए एक परिवाद का आधार बन सकता है और रोगी की ओर से उस पर यह दोषारोपण किया जा सकता है कि उसने पर्याप्त मात्रा में सावधानी नहीं बरती थी। यह जटिल स्थिति उस समय पैदा हो सकती है जब एक रोगी डाक्टर से उपचार करने के लिए अनुरोध करता है और शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया में उसे असफलता मिलती है।

इन सभी व्यक्तिवादी कारणों पर विचार करने के पूर्व उपेक्षावान व्यवहार के कुछ लक्षणों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जहाँ एक डाक्टर किसी भी रोग के होने का कारण के अन्वेषण या उपचार में दक्षता के युक्तियुक्त स्तर का उपयोजन करता है, वहाँ वह ऐसे मुद्दे पर निर्णय की त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। उपेक्षा, एक गलती करने वाला डाक्टर का मुद्दा नहीं होता है बल्कि यह परिणामों के लिए कठिन प्रयास न करने वाला, सतर्कता की कमी के माध्यम से या ध्यान या असावधानी से न जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। बिना उपेक्षा किये ही एक डाक्टर एक रोग के होने का कारण का त्रुटिपूर्ण ढंग से अन्वेषण कर सकता है तथा उसका उपचार दोषपूर्ण साबित हो सकता है जबकि एक दूसरा व्यवसायिक डाक्टर के पास अपेक्षाकृत अधिक

योग्यता होने के कारण उसे सफलता प्राप्त हो सकती है एक डाक्टर "एक बीमाकर्ता नहीं' होता है और एक दूसरे प्रसिद्ध न्यायाधीश ने एक बार यह कहा था कि वह एक सम्भव सर्वोत्तम सावधानी बरतने का प्रतिभूति नहीं दे सकता है, बल्कि वह मात्र ऐसी सतर्कता बरतने का वचन दे सकता है जो कि उसके व्यवसायिक स्तर के साथ पर्याप्त युक्तियुक्त ढंग से संगत हो। अतएव यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रत्येक चिकित्सक को अपने विषय में पश्चात्वर्ती विकासों एवं सबसे बाद की सभी दवाओं एवं तकनीकियों के बारे में जानकारी रखना कोई आवश्यक नहीं होता है। उसे सावधानी के एक युक्तियुक्त स्तर को प्रदर्शित करना पड़ेगा। सावधानी का स्तर समान स्तरीय साक्षीगण द्वारा लागू किया जाता है।

साधारणतौर पर उपेक्षा को साबित करने का भार डाक्टर के विरुद्ध करने वाली कार्यवाही को प्रारम्भ करने वाले के ऊपर होता है। "वादी के ऊपर साबित करने का भार होता है" के नियम का एक अपवाद यह उन मामलों में होता है जहाँ कि तथ्य इतने सुस्पष्ट होते कि यह साबित करने का भार डाक्टर के ऊपर चला जाता है कि उसकी उपेक्षा ने मामलों के इस कथन में कोई योगदान नहीं दिया। स्वयं प्रमाण (res ipsa loquitur) के सिद्धान्त का यह अभिप्राय होता है कि "तथ्य स्वयमेव अपनी कहानी कहते है।" उदाहरण के लिए यदि एक रोगी को अस्पताल में उसकी बायें पैर का विच्छेदन करने के लिए भर्ती किया जाता है और निश्चतेक की अवस्था से मुक्ति पाने के पश्चात् वह यह पाता है कि उसके दायें पैर को विच्छेदित कर दिया गया है, तो यहाँ तथ्य इतना स्पष्ट है कि वादी को यह साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि उसके डाक्टर का कार्य उपेक्षापूर्ण था क्योंकि उसकी उपेक्षा स्वयमेव इतना प्रमाणित है कि उसको और स्पष्ट करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। ऐसी स्थिति में शल्य चिकित्सक के पास मात्र यही एक बचाव का आधार शेष है कि वह यह साबित करे कि रोगी के उपचार में उपेक्षा उसकी ओर से कारित नहीं हुई बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कारित की गयी।

स्वीकृति प्राप्त चिकित्सा अभ्यास से प्रयास एक दूसरा खतरा है। उपेक्षा की सामान्य कसौटी प्रतिवादी के रूप में समान स्तर के अन्य डाक्टरों का एक औसत व्यवहार होता है। यदि यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि परम्परागत तरीके का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी ने दक्षता की एक औसत स्तर का प्रयोग किया, तब उसके उपेक्षावान होने को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वाभाविक तौर पर एक चिकित्सक से यह प्रत्याशा की जाती है कि जिन दवाओं के प्रयोग के बारे में वरिष्ठ चिकित्सीय क्षात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है, वह उसके सम्बन्ध में जानकारी रखे तथा उससे सम्भवतः और विवादग्रस्त तकनीकियों के बारे में बिना सबसे बाद की चिकित्सा के सामान्य सिद्धान्तों की भी जानकारी रखने की अपेक्षा की जाती है। वास्तव में विशेषज्ञों से विशेष जानकारी रखने तथा अपने विशेष क्षेत्र के स्तरों को बनाये रखने की प्रत्याशा करना स्वाभाविक ही होता है।

न्यायालय रोग के होने का कारणों का अन्वेषण करने (diagnosis) एवं उपचार के बारे में इन सभी निर्णयों में बड़ी स्वच्छन्दता की स्वीकृती करती है लेकिन वे चिकित्सकगण जो परंपरागत तरीके से उपचार करते हैं और वह दोषपूर्ण हो जाता है तो उन्हें उपेक्षावान होने का खतरा उठाना पड़ सकता है।

चिकित्सीय उपेक्षा के दोषारोपण के लिए सामान्य कारण

ऐसे कारणों की सूची तैयार करना या उनकी गणना करना आसान नहीं होता है जिनके परिणामस्वरूप रोगियों के उपचार में चिकित्सीय उपेक्षाएँ होती है, लेकिन उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं आस्ट्रेलिया में चिकितरीय उपेक्षा के घेरे में कुछ निश्चित मुद्दे आते हैं। निम्नलिखित सूची को किसी भी दृष्टिकोण से व्यापक नहीं कहा जा सकता है और इस नियम का भी स्मरण किया जाना चाहिए कि कोई भी ऐसी बात जो दोषपूर्ण हो सकती है; वह दोषपूर्ण होने जैसी ही होती है।" यह उपकरणों, औषधि तथा स्वयमेव डाक्टर की कार्रवाईयों के साथ-साथ नर्सों एवं तकनीकी स्टाफ के इस प्रकार के सहायक विभाग के प्रति भी लागू होता है।

(क) शल्य चिकित्सा सम्बन्धी दुर्घटना- आपरेशन के पहले या बाद वार्ड या आपरेशन करने वाला प्रांगण में बातों के सभी वर्ग दोषपूर्ण एक सामान्य त्रुटि नामों के मिल जाने के कारण दोषपूर्ण रोगी का चुनाव होता है विशेषकर एक निश्चेतक के दिये जाने के बाद और रोगी का पहचान काफी समय के बीत जाने के बाद हो सकती है। जहाँ उदास बना देने वाली नियमता के साथ सही रोगी के गलत दिशा में हाथ या पैर की गलत अंगुली का और शरीर के किसी भी गलत अंग पर आपरेशन करने का नुस्खा लिखा जाता है। आपरेशन करने को दौरान शरीर के अन्दर बहारी या झाडू, उपकरणों को छोड़ देने की एक सुविख्यात घटना है, और इसके विरुद्ध आपरेशन करने वाले प्रागंण में कठोर सिद्धान्त द्वारा रोगी की सुरक्षा अवश्यमेव की जानी चाहिए। यद्यपि उपकरणों एवं झाडुओं की गणना करने का प्रागंण की बहाने या वरिष्ठ तकनीकी के लिए अभ्यास सामान्य बात होती है, फिर भी जब ऐसी कोई त्रुटि हो जाती है तब यह शल्य चिकित्सक का अन्तिम दायित्व बन जाता है।

(ख) आकस्मिक एवं दुर्घटना विभाग - जैसे यह ज्ञात है कि यह अस्पताल या चिकित्सा केन्द्र के क्षेत्र सर्वाधिक व्यस्त विभाग होती है, शीघ्रता एवं उतावला पन, किसी क्रिया को दोषपूर्ण होने में योगदान दे सकता है। अस्थिभंग होने के कारणों के अन्वेषण में विफलता, सिर की चोटें एवं अन्य दूसरी त्रुटियों को समुचित ढंग से उपचार करने की असफलता आकस्मिक विभाग में बार-बार होती है। दुर्भाग्यवश अनेक वर्षों से आकस्मिक विभाग में ऐसा अभ्यास कनिष्ठ डाक्टरों द्वारा किया जा चुका है। जहाँ तक दुर्घटना के बड़े खतरों का प्रश्न उठता है, तो एक वरिष्ठ डाक्टर को भारसाधक अधिकारी बनाया जाना चाहिए।

(ग) शरीर के किसी अंग की चेतनाशून्य अवस्था - यह स्वयमेव घातक होती है लेकिन वास्तव में जो शरीर के किसी अंग की चेतनाशून्य अवस्था के अधीन दुःखद घटनाओं के अनेक तथ्य प्रोद्भूत होते हैं, वे स्वयमेव निश्चेतक अवस्थों में रोगी को लाने के प्रभाव के कारण नहीं होते बल्कि मानवीय त्रुटि या उपकरण की असफलता के कारण होते हैं। रोगी के शरीर के किसी अंग को निश्चेतन करने के लिए वह निश्चेतना सम्बन्धी अवस्था से पृथक् अन्य मुद्दों का प्रभारी भी होता है।

इस प्रकार से ये सभी मध्यक्षेपी रक्त आघात (transfusion) तथा दुर्घटना की दिशा में भी

अग्रसारित कर सकते है। हवा के मार्ग मध्यक्षेपी मूत्राशय की सलाई तापव्यास (Diathermal) इन्जेक्शन एवं पुनः रूज्जीवन अपने लिए सभी स्वतः वे खतरे मोल लेते हैं जो कि निश्चेतक करने वाले के दायित्व के अन्तर्गत आते हैं।

(घ) हाजिर होने की असफलता - जहाँ रोगी या उसके प्रतिनिधियों द्वारा डाक्टर के विरुद्ध उपेक्षा से सम्बन्धित बहुत सी विधिक कार्यवाहियाँ संस्थित की जाती है, वहाँ वह डाक्टर उस समय उपस्थिति नहीं हो सका जब उसे सहायतार्थ बुलाया गया। विशेषकर बच्चों के मामले में यह परिवादों का एक सर्वाधिक प्रजनक स्रोत का रूप धारण कर सकता है जहाँ कि चिकित्सीय ध्यान देने के पूर्व उनकी मृत्यु हो जाती है, तब नातेदार या रिश्तेदार उस डाक्टर पर दोषारोपण करने हेतु प्रवृत्ति रखने लगते हैं, यदि वास्तव में भी वह डाक्टर हाजिर होता है तो भी इस घातक परिणाम में कोई अन्तर नहीं पड़ता।

(ङ) संसूचना की विफलता - जहाँ एक डाक्टर ने एक रोगी का उपचार किया है और तदोपरान्त वह उसे किसी दूसरे डाक्टर के पास भेज देता है, वहाँ इस प्रकार की संकट कालीन घड़ी में एक उस रोगी का उपचार जिसे बाद में उसके स्वतः अपने चिकित्सक के पास भेज दिया जाता है, तो ऐसी दशा में दोनों डाक्टरों के बीच संसूचना की विफलता की स्थिति में उपेक्षा के दोषरोपणों की ओर कदाचित नहीं ले गया है। यह इस तथ्य के कारण हो सकता है कि उपचार को न तो समुचित ढंग से जारी रखा गया था, दूसरे चिकित्सक को प्रथम चिकित्सक द्वारा मामले की वास्तविक दशा के बारे में सूचित नहीं किया गया, जिसके कारण उस रोगी की मृत्यु हो सकती है या वह स्थायी तौर पर निर्योग्य हो सकता है। जहाँ एक डाक्टर दूसरे डाक्टर के रोगी का उपचार करता है वहाँ उसके लिए यह आवश्यक होता है कि वह उस रोगी के रोग होने के कारणों का अन्वेषण तथा उपचार के वस्तुविषय को दूसरे डाक्टर को भेज दे।

(च) औषधि एवं चिकित्सीय पदार्थ – अधिकांश रोगी कतिपय औषधियों के प्रति संवेदनशील या अतिसंवेदनशील होते हैं और यद्यपि इसकी उसे जानकारी हो सकती है, फिर भी डाक्टर को इसके बारे में जानकारी करने में काफी परेशानी हो सकती है। ऐसी औषधि का उपयोग करने से हानिकारक परिणाम हो सकता है या जिसकी मृत्यु सम्भव है वह बाद में एक उपेक्षापूर्ण कार्यवाही का कारण बन जायेगा ।

(छ) इन्जेक्शन को रोगी के नस में चुभाने से खतरे की आंशका - जहाँ रोगियों को इन्जेक्शन दिये जाते हैं वहाँ उस कार्यवाही के उपेक्षापूर्ण होने की सम्भावना बढ़ जाती है। यहाँ तक एक नस में सामान्य इन्जेक्शन के लगाने में भी त्रुटि हो सकती है और इससे रोगी को लकवा (Paralysis) मार सकता है या उसका नाड़ी संस्थान का कार्य बाधित हो सकता है। निःसंदेह रोगी को किसी भी पदार्थ का इन्जेक्शन लगाना सदा जोखिम भरा होता है। पित्ताशय या वृक्क सम्बन्धी एक्स रेज के अन्वेषण में ...angiograams एवम् आधुनिक दवाओं में प्रयुक्त रोग होने के कारण का अन्वेषण की क्रिया से सम्बन्धित दुतिगामी परीक्षणों में अनेक विकास के माध्यम में ऐसा विभेद हो सकता है। यद्यपि ये

सभी सामान्य तौर पर लागू की गयी प्रतिक्रियाओं के रूप कारण बन सकते हैं तथा इन्हीं कारणों से रोगी की मृत्यु हो सकती है फिर भी रोगी या उस रोगी के प्रतिनिधिगण इसके बारे में भली-भांति विचार कर सकते हैं। इससे भी भयावह स्थिति की वहां पैदा होने की आशंका रहती है, जहाँ रोगी के मेरुदण्ड की नाड़ी (spinal canal) में किसी भी पदार्थ का इन्जेक्शन दिया जाता है। जहाँ अभिलेख पर अनेक मामलों में टीका देने में दोषपूर्ण पदार्थों के इन्जेक्शन लगाने से रोगी को लकवा मार देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, वहाँ उससे अधिक मात्रा में टीका देने के कारण, जितनी खुराक की सलाह दी जानी चाहिए या ऐन्टीसेप्टिक के साथ प्रदूषित होने के कारण स्थानीय निश्चेतक के रूप में ऐसे पदार्थ का प्रयोग करने से मेरुदण्ड की मुख्य नाड़ी या सुपुन्ना (spinal card) को क्षति पहुंचाती है। यह स्मरण करने योग्य बात है कि जब कभी एक सुई चाहे जिस भी प्रयोजन से चमड़े के अन्दर चुभोयी जाती है, तब चिकित्सीय हस्तक्षेप के अनेक दूसरे प्रकारों की तुलना में अधिक खतरा होता है।

(ज) उपेक्षा के विविध कारण - उपेक्षापूर्ण कार्यवाहियों में शरीर के वाह्यागों का अनदेखा किया जाना; इन्जेक्शन या गोलियों (tablets) का दोषपूर्ण खुराक का दिया जाना, टूटी हुई सुई को इन्जेक्शन का दिया जाना, एक्सरेज का अलग हुआ होना, मजबूती से प्लास्टर से माँस का सड़ाव मजबूत कमेठी (splint) से लकवा, परस्पर विरोधी एक शरीर के रक्तकों को दूसरे के शरीर में चढ़ाने (incomptable blood transfusions एवं अनेक सामान्य खतरों को सम्मिलित किया जाता है।

चिकित्सीय उपेक्षा के लिए प्रतिकर

यद्यपि एक रोगी का उपचार करने में चिकित्सक उपेक्षावान हो सकता था लेकिन यदि ऐसी उपेक्षा से रोगी को कोई क्षति नहीं हुई तो रोगी अपने चिकित्सक के विरुद्ध प्रतिकर के लिए दावा बाद संस्थित नहीं कर सकता है। कारण कि एक रोगी को अपने डाक्टर के विरुद्ध प्रतिकर हेतु दावा करने के लिए एक वाद लाने की अनुज्ञा तभी प्रदान की जा सकती है जब कि उसके चिकित्सक द्वारा कारित उपेक्षा से रोगी की कोई क्षति हुई हो। उपचार के दौरान चिकित्सक द्वारा रोगी को पहुँचाई गई निम्नलिखित क्षतियों के लिए प्रतिकर का वाद संस्थित किया जा सकता है।

(i) धनोपार्जन की क्षति चाहे यह निर्योग्यता के कारण कार्य से अनुपस्थिति के कारण हुई हो या पश्चात्वत्ती व्यवसाय को चलाने में उसकी क्षमता की शक्ति-क्षय होने के कारण एक व्यक्ति को निम्नलिखित स्तर पर रोजगार प्राप्त करने के लिए विवश किया जा सकता है।

आधुनिक युग में किसी भी सामान्य व्यक्ति की कमाई में क्षति हो सकती है; चाहे वह निर्योग्यता के कारण हुई हो या मृत्यु होने के कारण। इसके बावजूद भी सेवा निवृत्ति के पश्चात् शेष जीवन के वर्षों में एक व्यक्ति द्वारा जितना उपार्जन किया जा सकता है, उसकी भी गणना एक प्रतिकर के लिए दावा- वाद में की जाती है।

(ii) उपेक्षा के परिणामस्वरूप रोगी द्वारा जो व्यय किया गया, उसमें चिकित्सीय उपचार, निर्योग्यता, परिचारिका द्वारा देख रेख, अस्पताल का खर्चा, विशेष उपचार तथा विशेष भोजन आदि को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

(iii) जीवन की प्रत्याशा में कमी- जिस समय एक मुआवजे के मामले का निर्धारण किया जाता है, उसमें क्षतिपूर्ति का निर्धारण करते समय जीवन की प्रत्याक्षा में कमी तथा जीवन की सुख-सुविधा को भी अन्तर्विष्ट किया जा सकता है। आँख की दृष्टि की हानि, श्रवण करने या अन्य प्रकार की हानियाँ जीवन के गुण में स्वाभाविक तौर पर कमियाँ पैदा कर सकती है और यह स्वयमेव क्षति पूर्ति द्वारा मुआवजे का संदाय करने योग्य होती है। विशेष मामलों में कतिपय निरूपता या क्रिया कलाप की हानि एक महिला को ऐसा बना सकती है कि उसके जीवन में एक अच्छी शादी करने या एक नायिका बनने का एक अच्छी संविदा करने की प्रत्याशा समाप्त हो जाती है और इन सभी बातों का भी मूल्य निर्धारण न्यायालय द्वारा उस समय किया जायेगा जब प्रतिकर का अभिनिर्धारण होगा।

(iv) पीड़ा एवं परेशानी निर्योग्यता के प्रभाव के कारण पीड़ा एवं परेशानी के लिये भी न्यायालय द्वारा कुछ प्रतिकर का अभिनिर्धारित किया जा सकता है लेकिन यह उपार्जन की हानि की तुलना में वास्तव में कोई विशेष महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखता है।

(v) मृत्यु आश्रित नातेदारों के लाभ के लिए अनुयोज्य हो सकता है और मृत्यु के प्रभाव का प्राक्कलन करने हेतु प्रयोग किये गये प्रमुख आकड़ा वर्षों के दौरान उपार्जन क्षमता की हानि होती है। जिसमें मृतक सम्भवतः अपना रोजगार चालू रखने की प्रत्याशा रख रहा होता है। एक बच्चे की मृत्यु के मामले में इसकी गणना करना असम्भव है और इसीलिए एक बच्चे के मृत्यु सम्बन्धी मामले में प्रतिकर की धनराशि बहुत छोटी होती है।

पीड़ा एवं परेशानी, जीवन के प्रत्याशा की हानि तथा उपार्जन आदि के हानि के लिए जिस धनराशि का क्षतिपूर्ति हेतु अधिनिर्णय किया जाता है, उसे सामान्य क्षतिपूर्ति के नाम से पुकारा जाता है और जिस धनराशि का अधिनिर्णय, चिकित्सा एवं यात्री के आशय आदि के खर्चे के लिए किया जाता है उसे "विशेष क्षतिपूर्ति" का नाम दिया जाता है।

इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि "एक हाथ की हानि के लिए एक हजार रुपये' जैसी कोई निर्धारित की गयी धनराशि नहीं होती है। यह आदमी के स्तर पर निर्भर करता है जिसका वह हाथ था और उसके स्तर की अनुसार ही न्यायालय द्वारा आर्थिक क्षतिपूर्ति करने का अधिनिर्णय किया जाता है। उदाहरणार्थ दक्ष घड़ी बनाने वाले का हाथ और शिल्पकार का हाथ एक साधारण किसान के हाथ से अपेक्षाकृत अधिक मूल्यवान होता है। शल्यचिकित्सा में आपरेशन कतिपय असावधानी के कारण वरिष्ठ मृतक नेता का हाथ एक सफाई करने वाले नौकर से बहुत ज्यादा कीमती एवं महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से एक युवक व्यक्ति का हाथ एक वृद्ध आदमी की तुलना में अधिक कीमती होता है।

उपेक्षा का दायित्व

जहाँ एक रोगी का उपचार किसी डाक्टर द्वारा किया गया और उसके उपचार से वह निर्योग्य हो गया, तो वहाँ उस डाक्टर के विरुद्ध एक क्षतिपूर्ति करने का वाद दायर कर सकता है। लेकिन यदि किसी रोगी का उपचार अस्पताल में अनके डाक्टरों द्वारा सम्मिलित रूप में किया गया है और वह तदोपरान्त निर्योग्य हो गया हो, तो उसकी ऐसी निर्योग्यता के लिए उनमें से वरिष्ठ डाक्टर को ही उपेक्षा का उत्तरदायी माना जायेगा, कारण कि वही योग्यता के अनुसार कनिष्ठ डाक्टरों का सहायतार्थ चुनाव करता है। विधितः वरिष्ठ डाक्टर से यह अपेक्षा की जाती है कि किसी भी रोगी का उपचार करने के लिए वह सुयोग्य डाक्टरों का चुनाव करे तथा समय-समय पर उन्हें कार्य करने के ढंग के बारे में शिक्षा देता रहे। अतः यदि कोई दुर्घटना होती है तो इसकी अधिकांशतः जिम्मेदारी वरिष्ठ डाक्टर के ऊपर ही मानी जाती है; इसका दूसरा कारण यह भी है कि उसकी आय अन्य कनिष्ठ डाक्टरों की तुलना में बहुत अधिक होती है और उसके पास व्यवसायिक ज्ञान एवं अनुभव भी अधिक होता है यदि उपेक्षापूर्ण कार्यवाही से रोगी की क्षति किसी अस्पताल में होती है। तो मुआवजा प्राप्त करने की विधिक कार्यवाही में उन व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जा सकता है जो प्राधिकारी की हैसियत रखते थे या जिनके प्रभार में रोगी की चिकित्सीय सेवा सम्पन्न हुई। जहाँ एक-एक व्यक्तिगत व्यवसायकर्ता एक उपेक्षापूर्ण कार्य करता है, वहाँ वह स्वाभाविक तौर पर क्षतिपूर्ति करने हेतु पूर्णरूपेण उत्तरदायी माना जायेगा, लेकिन जहाँ एक रोगी का उपचार एक डाक्टर द्वारा सम्मिलित तौर पर किया जाता है और उनकी उपेक्षापूर्ण कार्य करने के परिणामस्वरूप रोगी की क्षति हुई हो, तो ऐसी क्षति की क्षतिपूर्ति करने हेतु सम्मिलित तौर पर सभी डाक्टरों को उत्तरदायी माना जायेगा।

उपर्युक्त प्रसंग में जिस डाक्टर की उपेक्षा के कारण रोगी की क्षति हुई उससे शेष अन्य निर्दोष डाक्टर प्रश्नगत क्षतिपूर्ति की वसूली करने का अधिकार रखेंगे लेकिन ऐसा तभी सम्भव है जब वे रोगी के उपचार के पूर्व परस्पर एक दूसरे को क्षतिपूर्ति करने के सन्दर्भ में किसी अधिवक्ता की मदद से पूर्ववर्ती सृजित विलेख रखते हों। जहाँ एक डाक्टर उस एक सहायक डाक्टर या प्रशिक्षु की सहायता लेता है जो कि उसके अधीन शिक्षा प्राप्त कर रहा है, वहाँ उसे "अपने नौकर की उपेक्षा हेतु स्वामी होने के कारण के विधिक सिद्धान्त के अन्तर्गत उत्तरदायी माना जायेगा।

एक चिकित्सक अपने रोगी की मृत्यु कारित होने के लिए तब तक दाण्डिक रूप में उत्तरदायी नहीं होता है, जब तक उसकी उपेक्षा राज्य के विरुद्ध के एक अपराध के बराबर अभिप्राय रखने के रूप में जीवन या सुरक्षा हेतु इस प्रकार के सन्दर्भ में प्रदर्शित न की गयी हो तथा प्रतिकर के मात्र एक मुद्दे के परे अयोग्य न निर्णीत किया गया हो।

****

पुलिस नेतृत्व की बारीकियां

श्री शशिकान्त उपाध्याय
उप निदेशक, बीपीआरडी मुख्यालय, नई दिल्ली

सार

यह लेख पुलिस नेतृत्व और एक पुलिस लीडर के विभिन्न कार्यों पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है। लेख में यह समझने का प्रयास किया गया है कि एक पुलिस अधिकारी को एक लीडर के रूप में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और वह उन चुनौतियों से कैसे पार पाता है।

मुख्य शब्द: *पुलिस, पुलिस नेतृत्व, लीडर*

परिचय

लीडर किसी भी संगठन में प्रेरक शक्ति होते हैं। पुलिस विभाग अलग नहीं है और उसे भी प्रभावी लीडर की आवश्यकता है। एक पुलिस लीडर को विभिन्न भूमिकाएँ निभानी होती हैं और इसके लिए उसे अपने में कई कौशल और क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता होती है। एक पुलिस लीडर को एक कठिन सामाजिक, राजनीतिक और संगठनात्मक वातावरण (केसी और मिशेल, 2007) में प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद के लिए जटिल परिस्थितियों की समझ विकसित करनी होती है। अपराध तकनीकों, प्रौद्योगिकी, उन्नत गैजेट्स की प्रगति के साथ पुलिस लीडर के लिए चुनौतियाँ कई गुना बढ़ गई हैं, इस प्रकार से पुलिस में प्रभावी लीडर की आवश्यकता केंद्रीय स्तर पर है (मेक्लिम एंड सिम्स, 2011)। इतनी सारी चुनौतियों के साथ, संगठन को प्रभावी ढंग से चलाने में लीडर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि संगठन अच्छी तरह से कार्य करे; इसलिए लीडर संगठन की सफलता के सबसे महत्वपूर्ण प्रीडिक्टर्स में से एक है।

लेख में उन चुनौतियों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है जिनका सामना एक पुलिस लीडर को करना पड़ता है और वह उन चुनौतियों से कैसे निपटता है। लेख में पिछले कुछ अध्ययनों के साथ-साथ कुछ हालिया उदाहरणों का संदर्भ लिया गया है जो पुलिस लीडर की बारीकियों को समझाने में मदद करेंगे।

रचना की समीक्षा

महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करते हुए संगठन को सफलतापूर्वक आगे ले जाने के लिए पुलिस सेवाओं में एक लीडर के पास कुछ आवश्यक गुण होने चाहिए। अतीत में किए गए शोध अध्ययनों ने कुछ आवश्यक विशेषताओं की पहचान की है जो एक पुलिस लीडर के पास अवश्य होनी चाहिए, उनमें से कुछ 'नैतिक' हैं, जो सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को बताती है, परिणामस्वरूप यह अधीनस्थों के मध्य भरोसेमंदता की भावना उत्पन्न करने में सक्षम है। रचनाओं से सिद्ध होता है कि लीडर और अधीनस्थों के बीच विश्वसनीयता सभी स्तरों पर

होनी चाहिए। यह पाया गया कि न केवल अधीनस्थों को लीडर पर भरोसा करना चाहिए, बल्कि लीडर को भी अपने अधीनस्थों पर भरोसा करना चाहिए। अपने कर्मचारियों की नजर में सच्चाई एक अन्य आवश्यक विशेषता है जिससे अधीनस्थों को यह विश्वास होता है कि उनका लीडर सामने से उनका नेतृत्व करेगा और जरूरत होने पर बैटन को हाथों में ले लेगा। इसके अलावा, अधीनस्थ यह अच्छी तरह से जानते हैं कि वरिष्ठ या लीडर ने अतीत में विभिन्न रैंकों पर रहते हुए विभिन्न कर्तव्यों का पालन किया है और इस प्रकार कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का एक अच्छा ज्ञान रखते हैं, उनके लिए नेतृत्व करने के लिए एक मजबूत आधार बनाते हैं, साथ ही साथ उन्हें एक 'रोल मॉडल' माना जा रहा है। रचना यह बताती है कि रणनीतिक रूप से सोचने और सफल रणनीतिक निर्णय लेने में सक्षम होना, सबसे आवश्यक गुणों में से एक है जो एक पुलिस लीडर के पास होना चाहिए। इसके अलावा, एक असाधारण संचारक होना एक और विशेषता है जो पुलिस लीडर के पास होनी चाहिए जिससे वह सबसे प्रभावी और स्पष्ट रूप से संवाद कर सकता है। साथ ही न केवल अधीनस्थों के साथ बल्कि सरकार और समुदाय के महत्वपूर्ण हितधारकों के साथ एक पुलिस लीडर के प्रभावी होने के लिए, उसके पास सोचने की क्षमता होनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद करे, जबकि रचनात्मक सोच को सफल लीडर की एक प्रमुख विशेषता माना जाता।

क्रियाविधि

एक पुलिस लीडर की जटिल भूमिका को समझने के लिए, मूल शोध पत्रों के लिए वेबसाइटों पर खोज की गई। EBSCO Host और गूगल स्कॉलर जैसी वेबसाइटों को देखा गया। सर्च किए गए कीवर्ड पुलिस, नेतृत्व, पुलिस नेतृत्व, जटिल नेतृत्व की भूमिकाएं, पुलिस लीडर के लिए चुनौतियां और कोविड-19 के बाद पुलिस नेतृत्व थे। प्राप्त परिणामों में से, 168 लेखों का चयन किया गया था, हालांकि, उनके शोध की गुणवत्ता या मानदंडों से मेल नहीं न होने कारण, उनमें से केवल 48 पर विचार किया गया।

पुलिस नेतृत्व की बारीकियों की चुनौती

पुलिस नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण पहलू वे गतिविधियाँ हैं जो एक लीडर को करनी होती हैं, विशेष रूप से एक पुलिस लीडर के रूप में।

रचना की एक व्यवस्थित समीक्षा ने कुछ ऐसी गतिविधियों की पहचान की जो पुलिस में नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये संगठन के हित में अधीनस्थों के साथ साझा दृष्टिकोण रखते हैं। संगठनात्मक प्रतिबद्धता बनाना एक लीडर के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चूंकि पुलिसकर्मी और महिलाएं विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, इसलिए अपने अधीनस्थों के प्रति जिम्मेदारी का रवैया रखना आवश्यक है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए, एक पुलिस लीडर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस लीडर में निम्नलिखित गुणों का समावेश होना चाहिए:-

आत्म जागरूकता

एक पुलिस लीडर के आवश्यक गुणों में से एक आत्म-जागरूकता है। उसे लगातार इस बात से अवगत रहने की आवश्यकता है कि वह कैसे कार्य कर रहा है,

वह क्या कह रहा है, और कौन से गैर-मौखिक संदेश वे अपने इशारों और मुद्राओं से संप्रेषित कर रहा है। कभी-कभी लीडर अनजाने में नकारात्मकता प्रदर्शित करता है जिसका अधीनस्थों द्वारा आँख बंद करके पालन किया जाता है जो उन्हें अपना आदर्श मानते हैं और इस तरह समान परिस्थितियों में उसका अनुकरण करते हैं।

विश्वसनीयता उत्पन्न करें

जेम्स एम कौजेस और बैरी जेड पॉस्नर के शोध से पता चलता है कि विश्वसनीयता या भरोसेमंद होने की क्षमता एक अच्छे लीडर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। यह कहने की बात नहीं है कि यह गुण पुलिस नेतृत्व में बेहतर कार्य करता है। लोग अपने लीडर के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं अगर उन्हें उनके नेतृत्व में विश्वास है। इसलिए, पुलिस लीडर को अपने अधीनस्थों / टीम की विश्वसनीयता और विश्वास हासिल करना चाहिए।

संबंध मजबूत करना

अधीनस्थों, साथियों और वरिष्ठों से जुड़ने के लिए श्रेष्ठ मानव संसाधन प्रबंधन कौशल की आवश्यकता होती है । कहा जाता है कि अगर आप लोगों के दिलों को छू लेंगे तो वो अपना हाथ दे देंगे। उसे अपनी कमान के तहत लोगों या संगठन के लोगों के साथ गहरा संबंध बनाने की जरूरत है।

कार्य-उन्मुख लीडर

पुलिस, राज्य की सबसे अधिक दिखाई देने वाली शाखा होने के नाते, पुलिस नेतृत्व हमेशा कार्रवाई-उन्मुख होता है। कुछ लीडर अच्छी बात करते हैं लेकिन कभी कुछ नहीं करते । पुलिस संगठन में ऐसी बात नहीं चलती। यह एक कार्य-उन्मुख संगठन है और पुलिस नेतृत्व 24 x 7 किसी न किसी प्रकार के संकट का सामना करता है, जिससे सावधानीपूर्वक निपटना पड़ता है।

विनम्रता

संविधान और कानून व्यवस्था पुलिस के हाथों में भारी शक्तियाँ प्रदान करती है, और कहावत है, ताकत मनुष्य को भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। इसलिए, पुलिस लीडर को सभी हितधारकों के जीवन में चीजों को अच्छा बनाने के लिए पूरी विनम्रता के साथ अपनी शक्ति को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता है, चाहे वह संगठन के अंदर हो या समुदाय के अंदर। लीडर को अपने काम, शक्ति और अधिकार पर घमंड नहीं होता है, बल्कि, वे विनम्रता के साथ एक टीम के सदस्य के रूप में काम करते हैं, अपने साथ स्थिति की आभा लेकर, दूसरों के बारे में अधिक सोचते हैं और विकास के मामले में असाधारण कार्य या लाभों का श्रेय अपने अधीनस्थों को देते हैं। वे आगे इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि टीम कैसे बेहतर कर सकती है, अधीनस्थों का विश्वास हासिल कर सकती है और उन्हें अपने बारे में जो संभव हो सकता है उससे आगे बढ़ने और विकसित करने में मदद करते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि स्तर 5 के लीडर की पुलिस बल में किसी अन्य स्थान की अपेक्षा अधिक आवश्यकता होती है। स्तर 5 का लीडर एक मजबूत संयोजन है जो विनम्रता की जीत का जश्न मनाता है और एक उग्र संकल्प रखता है ।

टीम को मजबूत करना

पुलिस लीडर हर जगह मौजूद नहीं हो सकता; इसलिए, उसे संगठन में विभिन्न स्तरों पर कई लीडरों को विकसित करना और बनाना है ताकि लोग चुनौतियों का सामना कर सकें। पुलिस लीडर जो ऐसे लीडर को सशक्त बनाता है, कनिष्ठों को चुनौतियों का सामना करने के लिए बढ़ावा देता है, उनके कार्य क्षेत्र में कार्य करने की उनकी क्षमता को उजागर करता है और उन्हें बढ़ने और सुधार करने का अवसर भी प्रदान करता है। यह पुलिस नेतृत्व को पुलिस के कामकाज को विकेंद्रीकृत करने में मदद करता है और अधीनस्थों द्वारा विभिन्न स्तरों पर त्वरित और तेज निर्णय लेने का अधिकार देता है। यह स्तर 5 के नेतृत्व का एक और गुण है जिसमें लीडर अधीनस्थों की क्षमता को सर्वोत्तम संभव सीमा तक विकसित करता है ताकि वह खुद को अतिरिक्त बना सके और संगठन को उनके स्थानांतरित या सेवानिवृत्त होने पर नुकसान न हो।

विश्वसनीय

एक लीडर को अपने दिमाग और दिल के साथ एक इकाई के रूप में कार्य करने की आवश्यक्ता है। पुलिस में नेतृत्व को अपने कार्यों में प्रामाणिक होना चाहिए। अधीनस्थ उन्हें देखते हैं, धारणा बनाते हैं और आपस में संवाद करते हैं। पुलिस लीडर जिनके शब्द और कार्य समान परिस्थितियों में समान होते हैं, अधीनस्थों को अनुमान लगाने और कार्य करने में सक्षम बनाते हैं और उन्हें आश्चर्य या चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है कि लीडर को कैसे प्रतिक्रिया देनी है। अधीनस्थ ऐसे लीडर पर निर्भर होते हैं, जो विश्वास बनाने और कार्यस्थल के तनाव और चिंता को दूर करने में मदद करता है।

अधीनस्थों के लिए रोल मॉडल

हालांकि इसका एहसास नहीं हो पाता है, पुलिस लीडर को उनके अधीनस्थों द्वारा लगातार देखा जाता है। पुलिस संस्कृति में, अधीनस्थ ऊपर की ओर देखने के लिए उन्मुख होते हैं और देखते हैं कि उनका लीडर घटनाओं, संकटों और उपलब्धियों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करता है। एक अच्छा पुलिस लीडर जो जानता है कि अधीनस्थ उनका पालन कर रहे हैं, एक उदाहरण स्थापित करता है और अधीनस्थों में कर्तव्यपरायणता की भावना पैदा करता है।

हमेशा उपस्थित रहना

पुलिस को अत्यधिक चुनौतीपूर्ण नौकरियों में से एक माना जाता है और पुलिस अधिकारी और उनके लीडर को अनेक प्रकार के संकटों से निपटना पड़ता है, नागरिक पुलिस को पहले उत्तरदाता के रूप में देखते हैं, इसलिए, उसे हर समय शारीरिक और मानसिक रूप से ड्यूटी पर मौजूद रहना होता है। जब लीडर मौजूद होता है, तो वह अपने अधीनस्थों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करता है। अधीनस्थ के लिए पूरी तरह से उपस्थित होने का मतलब है कि पुलिस लीडर अपने भीतर और आसपास क्या हो रहा है और तदनुसार अधीनस्थों के लिए अपनी कार्रवाई और दिशा को कैलिब्रेट कर रहा है । जो लीडर मौजूद नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, या विचलित प्रतीत होते हैं, वे अपनी टीम को पूरा ध्यान और उचित दिशा नहीं दे सकते हैं।

संप्रेषण

संवाद करें, संवाद करें, संवाद करें । संवाद के अलावा किसी अन्य गुण पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता है, जहां एक पुलिस लीडर को अपने अधीनस्थों,

वरिष्ठों और नागरिकों के साथ संवाद करने में बहुत समय व्यतीत करना पड़ता है। स्थानीय संबंध बनाने के लिए उसे स्थानीय संस्कृति और रीति-रिवाजों, त्योहारों और स्थानीय समुदाय और उसके आदमियों की भाषा को समझने की जरूरत है।

सक्रिय होकर सुनना

असाधारण संचार कौशल का एक महत्वपूर्ण पहलू न केवल संचार करना है, बल्कि प्रभावी ढंग से सुनना भी है। पुलिस लीडर को कभी-कभी कम बोलना पड़ता है, अधिक सुनना पड़ता है और संगठन तथा समुदाय की आंतरिक गतिशीलता को देखने के लिए अपनी आंखें हमेशा खुली रखनी पड़ती हैं।

साहस

पुलिस लीडर के इस गुण को कभी भी कम नहीं आंका जा सकता है, हालांकि, इसके अपवाद हैं। साहसी पुलिस लीडर का मतलब यह नहीं है कि वह किसी भी चीज से नहीं डरता है, लेकिन प्रतिकूल स्थिति से उबरने के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को चतुराई से नियोजित और तैनात कर सकता है। अगर कुछ गलत होता है, तो अपनी गलतियों को भी स्वीकार करने की हिम्मत रखता है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता

भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा को वर्ष 1997 में डेनियल गोलमेन ने अपने प्रकाशन इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से प्रस्तुत किया, लेकिन पुलिस साहित्य में इसकी बहुत सराहना नहीं की गई। पुलिस लीडर को भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होना चाहिए क्योंकि उसे हर समय इंसानों के साथ व्यवहार करना पड़ता है, चाहे वह उसके अधीनस्थ हो या आम जनता। एक अच्छे पुलिस लीडर का मतलब यह नहीं है कि वह गुस्सा नहीं करता या हमेशा खुश रहता है; इसके बजाय, उसका कार्य हमेशा परिपक्व होता है, और वह हमेशा उसी के अनुसार स्थिति का जवाब देता है। वह अपनी भावनाओं के साथ-साथ दूसरों की भावनाओं से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, वह जानता है कि रिश्तों को कैसे संभालना है और संकट के दौरान कैसे प्रेरित रहना है और कैसे सहानुभूति पूर्वक कार्य करना है।

व्यावसायिकता

पुलिस को कानून एवं व्यवस्था, व्यक्तिगत अपराध, सार्वजनिक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों जैसी कई स्थितियों से निपटना पड़ता है। इसलिए, उसे अपनी धार तेज करनी होगी, क्योंकि जनता उम्मीद करती है कि पुलिस सर्जिकल सटीकता के साथ कार्रवाई करेगी। ऐसी सटीकता तभी आएगी जब पुलिस बल उच्च प्रशिक्षित होगा। हालाँकि, अत्यधिक तैनाती और मानव शक्ति की कमी के कारण प्रशिक्षण कई बार एक चुनौती बन जाता है, ऐसी स्थिति में, लीडर को अपने अधीनस्थों को प्रशिक्षित रखने के लिए अपने रचनात्मक कौशल का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार, पुलिस लीडरों को नई चुनौतियों या आने वाली घटनाओं के लिए अपने कमजोर क्षेत्र में अत्याधुनिक , विशेष और विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता है ताकि अधीनस्थों को सीखने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जा सके। कार्यस्थलों पर प्रशिक्षण, सलाह, परामर्श, अभ्यास, डेमो, सिमुलेटर और ऑनलाइन प्रशिक्षण अच्छे विकल्प हो सकते हैं जो पुलिस बलों को कहीं भी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित और लैस करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग

अब, नागरिक केंद्रित पुलिसिंग और पुलिस बलों को नागरिक-केंद्रित पुलिसिंग में परिवर्तित करने पर बहुत जोर दिया जाता है। यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बीपीआरडी के स्वर्ण जयंती के अवसर पर अपने संदेश में इस बात पर जोर दिया कि "प्रौद्योगिकी और मानव संसाधनों का उपयोग करने के लिए नवाचार और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। नागरिक समाज संगठनों, सामाजिक, धार्मिक समूहों के साथ बैठक और विभिन्न पेशेवर संगठन एक अच्छे सामुदायिक संबंध बनाने के लिए पुलिस की सामाजिक पहुंच को बढ़ाते हैं। समाज के रीति-रिवाजों और उनके प्रति उचित संवेदनशीलता को जानने से पुलिस बलों की स्वीकार्यता और भी बढ़ जाती है। किसी भी तरह के संकट में मदद करने से पुलिस छवि में सुधार होता है जिसके लिए कर्तव्य से आगे जाने की जरूरत है। कोविड-19 में ऐसी मदद एक अच्छा उदाहरण है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक पुलिस लीडर को एक लीडर के रूप में विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अधिकांश समय उसे यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी सीमा से आगे बढ़ना पड़ता है जिससे बल प्रेरित रहता है और कानून और व्यवस्था के संदर्भ में वांछित परिणाम प्राप्त होते हैं, मुख्य रूप से जिम्मेदारियों की अधिकता के साथ।

संदर्भ

1. एंड्रीस्कु , वी। और वीटो, जी। (2010)। 'आदर्श नेतृत्व व्यवहार पर एक खोजपूर्ण अध्ययन: अमेरिकी पुलिस प्रबंधकों की राय।' इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ पुलिस साइंस मैनेजमेंट 12(4): 567-583।

2. एटवाटर, एल।, वाल्डमैन, डी।, एटवाटर, डी। और कार्टियर, पी। (2000)। 'एन अपवर्ड फीडबैक फील्ड एक्सपेरिमेंट: सुपरवाइजर्स' सनकवाद, प्रतिक्रियाएं, और अधीनस्थों के प्रति प्रतिबद्धता।' कार्मिक मनोविज्ञान 53 (2): 275-297।

3. बटरफ़ील्ड, आर., एडवर्ड्स, सी. और वुडल, जे. (2004)। 'द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड द यूके पुलिस सर्विस।' लोक प्रबंधन समीक्षा 6(3): 395-415।

4. बटरफ़ील्ड, आर., एडवर्ड्स, सी. और वुडल, जे. (2005)। 'द न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड मैनेजरियल रोल्स: द केस ऑफ द पुलिस सार्जेंट'। ब्रिटिश जर्नल ऑफ मैनेजमेंट 16: 329-341।

5. केसी, जे। और मिशेल, एम। (2007)। 'पुलिस प्रबंधकों और पुलिस सार्जेंट से लेकर आयुक्त तक के लीडरओं की आवश्यकताएं।' मिशेल में, एम. और केसी, जे. (संस्करण), पुलिस नेतृत्व और प्रबंधन। सिडनी: द फेडरेशन प्रेस.

6. कोलिन्स, जिम (2001)। स्तर 5 नेतृत्व: विनम्रता और भयंकर संकल्प की विजय, नेतृत्व गुण, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, 2001।

****

बाल तस्करी के उन्मूलन हेतु किए गए प्रयासों का अध्ययन

सब्बल पटेल
शोधार्थी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
प्रो. (डॉ.) भावना वर्मा
प्रोफेसर,महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

सारांश:

भारत सरकार ने बाल तस्करी की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए, बहुत सारे कड़े कदम उठाएं हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बच्चें देश का भविष्य होते हैं। लेकिन इस वाक्य को शायद ही कोई गभीरता से लेता होगा। शायद यही वजह है कि बीते कुछ वर्षों के दौरान बाल-तस्करी के लगातार बढ़ते मामलों की हकीकत एक बार नहीं, बार-बार सामने आने के बावजूद भी हमारी सरकारें इस मुद्दे को संजीदगी से नहीं ले रही हैं। बाल तस्करी अर्थात् बच्चों का अवैध व्यापार, वर्तमान समय में भारत की सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है। भारत में बाल तस्करी होना अब एक आम बात हो गई है आए दिन हमें बच्चों के गायब होने की सूचना मिलती रहती है।

प्रमुख शब्द: *बाल तस्करी, यौन-शोषण, कानूनी प्रावधान, पुनर्वसन, बंधुआ मजदूरी*

भूमिका

वर्ष 2021 में लगभग 1049 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें से सबसे ज्यादा बच्चें तो सिर्फ पश्चिम बंगाल से थे। हमारे देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता होता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल औसतन 44500 बच्चे गुम हो जाते हैं। उनमें से कई बच्चों को यौन-शोषण के लिए, कई को बस अड्डों या रेलवे स्टेशनों पर भीख मंगवाने के लिए और कई को मानव अंगों की तस्करी करने वाले गिरोहों के पास पहुँचा दिया जाता है। इसके अलावा यह माना जाता है कि ऐसे मामलों में से केवल 30 प्रतिशत मामलों की ही रिपार्ट दर्ज करवाई जाती है जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। बाल-तस्करी का मुख्य केंद्र बिंदु तीन स्तंभों पर टिका है। पहला, पैसे के लिए यौन शोषण, दूसरा, मजदूरी कराने के लिए शोषण और तीसरा, अंगों की तस्करी। भारत में बच्चों की तस्करी के पीछे सामाजिक-आर्थिक कारण ही मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।[1]

देश में बाल तस्करी की बढ़ती घटनायें

1. देश में हर साल बड़ी मात्रा में बाल तस्करी की घटनायें बढ़ रही है। वर्ष 2020 में 1741 बच्चे जबकि वर्ष 2021 में 2189 बच्चों की तस्करी की घटना सामने आयी ।
2. राजस्थान में 2009 से 2017 के बीच 956 बच्चो की तस्करी हो चुकी है।

3. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2015 में 6500 बच्चों की तस्करी की गयी। इसमें में अधिकांश देह व्यापार, अश्लील चित्रण, फैक्ट्री में मजदूरी जैसे कामो का शिकार बने।

4. 2015 में हैदराबाद में एक चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री से 87 बाल मजदूरों को मुक्त करवाया गया। ये बच्चे बिहार राज्य के रहने वाले थे।

5. 2016 में कुल 9000 से अधिक बच्चो की तस्करी की गयी। लुधियाना की एक कपड़ा फैक्ट्री से 79 बच्चो को बाल मजदूरी से मुक्त करवाया गया।

6. 2016 में ही इंदौर में एक बैग बनाने वाली फैक्ट्री से 50 से अधिक बाल मजदूरों को आजाद करवाया गया। बच्चों से रोज 16 घंटे काम करवाया जाता था। बच्चो की उम्र 6 से 13 साल पायी गयी। उनको 500 से 4000 रूपये प्रतिमाह का न्यूनतम वेतन दिया जाता था।

ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी गैरकानूनी है, यह हमारे समाज की गंभीर समस्या बनी हुई है। शारीरिक शोषण और देह व्यापार से लेकर बंधुआ मजदूरी तक के लिए मानव तस्कारी की जाती है। मादक पदार्थ और हथियारों के बाद मानव तस्करी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है। 80 प्रतिशत मानव तस्करी जिस्मफरोशी के लिए होती है। एशिया की अगर बात करें, तो भारत इस तरह के अपराध का गढ़ माना जाता है। ऐसे में हमारे लिए यह सोचने का विषय है कि किस तरह से हमें इस समस्या से निपटना है। मानव तस्करी में अधिकांश बच्चे बेहद गरीब इलाकों के होते हैं।[3]

मानव तस्करी में सबसे ज्यादा बच्चियां भारत के पूर्वी इलाकों के अंदरूनी गांवों से आती हैं। अत्यधिक गरीबी, शिक्षा की कमी और सरकारी नीतियों का ठीक से लागू न होना ही बच्चियों को मानव तस्करी का शिकार बनने की सबसे बड़ी वजह बनता है। इस कड़ी में स्थानीय बिचौलिये बड़ी भूमिका निभाते हैं ये एजेंट गांवों के बेहद गरीब परिवारों की कम उम्र की बच्चियों पर नजर रखकर उनके परिवार को शहर में अच्छी नौकरी के नाम पर झांसा देते हैं। ये एजेंट इन बच्चियों को घरेलू नौकर उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं को बेच देते हैं। आगे चलकर ये संस्थाएं और अधिक दामों में इन बच्चियों को घरों में नौकर के रूप में बेचकर मुनाफा कमाती हैं। गरीब परिवार व गांव-कस्बों की लड़कियों व उनके परिवारों को बहला-फुसलाकर, बड़े सपने दिखाकर या शहर में अच्छी नौकरी का झांसा देकर बड़े दामों में बेच दिया जाता है या घरेलू नौकर बना दिया जाता है, जहां उनका अन्य तरह से और भी शोषण किया जाता है।[4]

वर्ष 2016-2020 के बीच गायब होने वाले बच्चों के राज्यवार आँकड़ें

क्र.सं.	राज्य	2016	2017	2018	2019	2020
1	आंध्र प्रदेश	2155	2204	2406	245	171
2	अरुणाचल प्रदेश	38	41	08	0	2
3	असम	1381	1162	1639	201	124

4	बिहार	4817	5547	6950	106	75
5	छत्तीसगढ़	2262	2269	3074	50	38
6	गोवा	26	13	16	38	17
7	गुजरात	1315	1412	1898	11	13
8	हरियाणा	1768	1934	2142	15	14
9	झारखंड	479	420	359	177	140
10	कर्नाटक	1943	1704	1623	32	13
11	केरल	1524	1568	1991	180	166
12	मध्य प्रदेश	8503	10110	10038	73	80
13	महाराष्ट्र	4388	2956	1711	282	184
14	मणिपुर	146	83	85	9	6
15	मेघालय	124	119	118	22	1
16	मिजोरम	0	1	3	7	0
17	नगालैंड	71	89	95	3	0
18	ओडिशा	1901	2244	2326	147	103
19	पंजाब	597	758	735	19	17
20	राजस्थान	1980	2416	2571	141	128
21	सिक्किम	109	48	54	0	1
22	तमिलनाडु	4632	4196	4271	16	11
23	तेलंगाना	3679	3018	3090	137	184
24	त्रिपुरा	169	140	182	1	1
25	उत्तर प्रदेश	2903	2959	3306	48	90
26	उत्तराखंड	435	607	633	20	9
27	पश्चिम बंगाल	8335	8178	8205	120	59
28	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	47	38	48	0	0
29	दमन और दीव	29	22	25	0	0
30	दादरा और नगर हवेली	2	2	0	0	0
31	दिल्ली	6921	6454	6541	93	53
32	लक्षद्वीप	0	0	0	-	0
33	पांडिचेरी	53	34	49	2	4
	योग	**63407**	**63349**	**67134**	**2195**	**1704**

स्रोत:एन.सी.आर.बी 2020

नई दिल्ली के पश्चिमी इलाकों में घरेलू नौकर उपलब्ध कराने वाली लगभग 5000 एजेंसियां मानव तस्करी के भरोसे ही फल-फूल रही हैं। इनके जरिए अधिकतर छोटी बच्चियों को ही बेचा जाता है, जहां उन्हें घरों में 16 घंटों तक काम करना पड़ता है साथ ही वहां न सिर्फ उनके साथ मार-पीट की जाती है, बल्कि अन्य तरह के शारीरिक व मानसिक शोषण का भी वे शिकार होती हैं न सिर्फ घरेलू नौकर, बल्कि जिस्मफरोशी के जाल में भी ये बच्चियां फंस जाती हैं और हर स्तर व हर तरह से इनका शोषण होने का क्रम जारी रहता है। नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो के नए आंकड़ों के अनुसार तस्करी में यह दूसरा सबसे बड़ा अपराध है, जो पिछले 10 सालों में 14 गुणा बढ़ा है और वर्ष 2014 में 65 प्रतिशत तक बढ़ा है। लड़कियां और महिलाएं तस्करों के निशाने पर रहती हैं, जो पिछले दस सालों में देशभर के मानव तस्करी मामलों का 76 प्रतिशत है। मानव तस्करी के अंतर्गत ही अन्य जो मामले पंजीकृत होते हैं, उनमें वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों को बेचना, विदेशों से लड़कियों को खरीदना और वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद-फरोख्त आदि आते हैं। यदि भारत की बात की जाए, तो मानव तस्करी का जाल लगभग हर राज्य में फैला हुआ है। इसमें तमिलनाडु 9701 मामलों के साथ सबसे ऊपर है। उसके बाद 5861 मामलों के साथ आंध्र प्रदेश, 5443 मामलों के साथ कर्नाटक, 4190 मामलों के साथ पश्चिम बंगाल और 3628 मामलों के साथ महाराष्ट्र का नंबर आता है। ये 5 राज्य मानव तस्करी के मुख्य स्रोत और गढ़ भी हैं, जहां लड़कियों को रेड लाइट एरिया के लिए खरीदा व बेचा जाता है। मानव तस्करी के पंजीकृत मामलों में 70 प्रतिशत इन्हीं राज्यों से आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु युवा लड़कियों की तस्करी मुंबई व दिल्ली के रेड लाइट इलाकों में करता है, हालांकि पिछले कुछ समय से तमिलनाडु में इस तरह के मामलों की कमी देखी गई है, जबकि पश्चिम बंगाल में ये बढ़ रहे हैं। वर्ष 2009 से लेकर 2014 के बीच ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों में 92 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि यह बहुत अधिक मुनाफे का धंधा है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने का लालच इस तरह के अपराधों के फलने-फूलने की बड़ी वजह बन रहा है। वर्ष 2014 में देशभर में मानव तस्करी के पंजीकृत मामले में 39 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देखी गई। जैसा कि पहले भी हमने बताया है कि पिछले 6 वर्षों में 92 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देखी गई है, जबकि वर्ष 2005 से लेकर 2009 के बीच इस तरह के मामलों में 55 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई थी।[5]

बाल तस्करी के कारण[6]

देश में बाल तस्करी के अनेक कारण है जैसे- गरीबी, अशिक्षा, बच्चों की अधिक संख्या, बेरोजगारी।

- पैसे कमाने के लिए कई लोग बाल तस्करी के व्यापार में लग गये है। वो गरीब लोगों को बहका कर उनके बच्चों को काम दिलवाने, अच्छी नौकरी दिलवाने का झांसा देकर शहर ले जाते हैं। अति निर्धन माँ-बाप उनके बहकावे में आसानी से आ जाते हैं। तस्कर उन बच्चों को शहरो में ले जाकर बेच देते हैं। कई बार गरीब माँ-बाप खुद ही अपने बच्चो को पैसे के लालच में बेच देते हैं। इसके अलावा जो बच्चे खो जाते हैं उनको अपराधी अगवा करके बेच देते हैं। लड़कियों को वेश्यालयों में देह-व्यापार के लिए विवश किया

जाता है। बेरोजगारी के कारण कई लोग इस धंधे में लगे हुए है। बच्चों को 15000 से 50000 में बेच दिया जाता है। तस्कर अच्छा पैसा बना लेते है। ऐसे काम के लिए अपराधी गिरोह में काम करते हैं।

- बाल-तस्करी भारत में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। बाल तस्करी के पनपने के पीछे का सबसे प्रमुख कारण गरीबी है। हमारे देश में भारी आर्थिक विषमता के कारण भारत में आधी से अधिक आबादी गरीबी का शिकार हैं। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी का अभाव और भविष्य के लिए सुरक्षा व्यवस्था का न होना आदि कारकों से ही बच्चे कई बार स्वयं मजबूर होकर निकलते हैं या फिर उनके अभिभावक उन्हें बाहर भेजते हैं और वे किसी ना किसी तरह से वह तस्करों के जाल में फंस जाते हैं।

बंधुआ मजदूर[7]

भारत में आज भी बंधुआ मजदूरी एक बड़ी समस्या बनी हुई है जिसके सबसे ज्यादा शिकार बच्चें हो रहे हैं। बाल श्रम आमतौर पर मजदूरी के भुगतान के बिना या भुगतान के साथ बच्चों से शारीरिक कार्य कराना है। बाल श्रम केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, ये एक वैश्विक समस्या है। बंधुआ मजदूरी भारत में गैर कानूनी है, लेकिन इसके बाबजूद यह आज भी समाज में प्रचलित है। पैसों से तंगी झेल रहे लोग पैसों के बदले में अक्सर अपने बच्चों को बेच देते हैं। बाल मजदूर बनाने के बाद उनसे हर तरह का काम करवाया जाता है। उन्हें ना तो सही से खाने को दिया जाता है और ना ही पहनने को कपड़े और ना ही रहने को कोई अच्छी जगह। इन बच्चों को चाय की दुकानों, ढाबों, होटलों में काम करने के लिए तथा सड़क किनारे खान-पान के ठिकानों और घरों में किए जाने वाले कामों के अलावा कई अन्य खतरनाक व्यवसायों में भी लगाया जाता है, घरेलू नौकरियों के साथ-साथ इन बच्चों के साथ मारपीट, खाना न देना, बंद करके रखना और शारीरिक शोषण करना आदि सब भी किया जाता है। इस प्रकार बंधुआ मजदूरी के माध्यम से बच्चों का शारीरिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है।

बच्चों के अधिकार[8]

हर बच्चे को एक अच्छा जीवन व शिक्षा पाने का अधिकार है। जिसमें उसका पर्याप्त मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक विकास हो सके। सभी बच्चों के लिए बेहतर जरुरी चिकित्सा सुविधा, साफ-पानी, पौष्टिक आहार साफ वातावरण आवश्यक है। सभी बच्चों को 14 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो। स्कूलों में बच्चों का शारीरिक व बौद्धिक विकास करने के अलावा ऐसा कुछ न किया जाए जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंचे। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखानों, खदानों और अन्य किसी भी खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है। अधिकार संरक्षण के लिए हर तरह की हिंसा से उनकी रक्षा हो। विकास का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जानने का अधिकार, आराम करने और खेलने का अधिकार, आदि ये सब मिलना चाहिए।

सरकार द्वारा किये गये प्रयास

सरकार द्वारा बच्चों का अवैध व्यापार करने वालों के लिए सात साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास की सजा तय की गई है। भारत में बंधुआ

मजदूर उन्मूलन अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम, बंधुआ और जबरन मजदूरी को रोकने के लिए बनाए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि लापता बच्चों के सम्बन्ध में एफ.आइ. आर पंजीकरण के साथ ही साथ राज्य में विशेष किशोर पुलिस इकाई स्थापित की जाए। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि कम से कम पुलिस स्टेशन में तैनात एक अधिकारी को यह शक्ति दी जाए कि वह विशेष किशोर इकाई के रूप में कार्य करे। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से आग्रह किया गया कि वह देखे कि इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई हो रही है। इस दिशा में सोशल मीडिया का उपयोग भी एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। बच्चे किसी देश और समाज की बुनियाद होते हैं और उनके प्रति संवेदनहीनता, देश के भविष्य के लिए घातक है। इसलिए यह जरूरी है कि बच्चों के संरक्षण व उनके अधिकारों की रक्षा को पहली प्राथमिकता दें।[9]

कैलाश सत्यार्थी

इन्होंने देश में "बाल तस्करी और बाल यौन शोषण" रोकने के लिए उल्लेखनीय काम किया है। इन्होने "बचपन बचाओ आंदोलन" चलाकर 144 देशों में 80000 से अधिक बच्चो को गुलामी से मुक्त करवाया है। आपको 2014 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। आज देश में "बाल तस्करी" को रोकने के लिए समाज और सरकार जागरूक हो रहा है।नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने 11 सितंबर 2017 को "बाल तस्करी और बच्चो के यौन शोषण" के खिलाफ एक महारैली निकाली। इसमें "सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भारत" का नारा दिया गया। कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि "आज मैं बाल यौन उत्पीड़न और बाल तस्करी के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता हूं। आज मैं इतिहास के सबसे बड़े सामाजिक जागरूकता आंदोलन की घोषणा करता हूं।"[10]

कानूनी प्रावधान[11]

इम्मारल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट (आईटीपीए) के अनुसार अगर व्यापार के इरादे से मानव तस्करी होती है, तो 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसी तरह से बंधुआ मंजदूरी से लेकर बाल- मजदूर तक के लिए विभिन्न कानून व सजा का प्रावधान है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कानून को क्रियान्वित करने की ही है। बात अगर सजा की जाए, तो पिछले 5 सालों में मानव तस्करी के पंजीकृत मुकदमों में 23 प्रतिशत में दोष सिद्ध हुआ.इस मामले में लगभग 45375 लोगों की गिरफ्तारी हुई और 10134 लोगों को दोषी करार दिया गया, जिसमें जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा दी गई। पिछले 5 सालों में आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक गिरफ्तारियां हुईं, लगभग 7450 के करीब महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है, उसके बाद कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल हैं । इन बढ़ते मामलों की एक वजह यह भी हो सकती है कि अब मामले अधिक दर्ज होने लगे हैं।

प्रशासनिक प्रयास

केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों को अनुदान प्रदान करती है और वेब पोर्टल भी लान्च किया गया है, ताकि मानव तस्करी का यह अमानवीय व्यापार रुक सके या कम हो सके इसके अलावा महिला व बाल विकास विभाग ने भी पीड़ितों के बचाव व पुनर्वसन के लिए अपने प्रयास तेज किए हैं।

स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका

कैथरिन क्लार्क, फाउंडर और सीईओ, ए सेलिब्रेशन आफ वुमेनः यह संस्था महिलाओं की विभिन्न समस्याओं पर काम करती है। कैथरिन क्लार्क कनाडा में रहती हैं, लेकिन संस्था के विभिन्न सदस्य विभिन्न देशों में काम करते हैं। कैथरिन के अनुसार मानव तस्करी न सिर्फ विकासशील, बल्कि विकसित देशों की भी बड़ी समस्या है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस समस्या से हम किस तरह से जूझते हैं और पुनर्वसन के लिए किस तरह की योजनाएं हैं। हमारे पास, क्योंकि भले ही हम लड़कियों को या बच्चों को इस कड़ी से बाहर निकाल लें, लेकिन सही तरीके से पुनर्वसन के अभाव में वे फिर से इस कड़ी का हिस्सा बन जाते हैं। हमारी संस्था इस तरह के लोगों के लिए सेलिब्रेशन हाउसेस बनाती है और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की दिशा में काम करती है। बच्चों को भी मानसिक रूप से मजबूत किया जाता है, उनकी परामर्श होती है, ताकि उनके मन से वो खौफ व बुरी यादें निकल सकें। इसी तरह के काम कई देशों में किए जाते हैं, जिन्हें काफी सफलता भी मिली है। 'ए सेलिब्रेशन आफ वुमेन' से जुड़ी मितिका श्रीवास्तव भारत में एडवायजर टू एशिया के तौर पर काम करती हैं। मानव तस्करी के संदर्भ में उन्होंने काफी जानकारी दी है- दरअसल, मानव तस्करी को अक्सर यौन तस्करी ही समझ लिया जाता है, जबकि मानव तस्करी काफी विस्तृत है और यौन तस्करी, मानव तस्करी का ही हिस्सा हैं । सस्ते मजदूर के चक्कर में काफी बड़े पैमाने पर मानव तस्करी की जाती है। बच्चे इसका शिकार जल्दी होते हैं, क्योंकि उनका शोषण करना आसान होता है। यौन तस्करी भी बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है, जिसमें कम उम्र के बच्चों और खासतौर से लड़कियों को निशाना बनाया जाता है ।

भारत में भी कई संस्थाएं हैं, जो यौन तस्करी से पीड़ित लोगों के लिए काम करती हैं, इसमें प्रमुख है- डा.सुनीता कृष्णन की प्रज्वला नाम की गैर सरकारी संस्था, डा. सुनीता खुद एक बलात्कार पीड़ित रह चुकी हैं और उनकी यह संस्था तस्करी की शिकार महिलाओं और बच्चियों के पुनर्वसन का काम करती है। यह संस्था पीड़ितों की शिक्षा व उनमें से जो एचआईवी से संक्रमित होते हैं, उन बच्चों की भी सहायता करती है। प्रज्वला जिस्मफरोशी में लिप्त महिलाओं के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए भी काम करती है, ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। सुनीता कहती हैं कि चकला घरों से महिलाओं को बचाकर लाना बेहद मुश्किल काम होता है। इस दौरान अक्सर उन पर अटैक भी किया गया. इस वजह से वो अपने दाहिने कान से सुनने की क्षमता तक खो बैठीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और न हारेंगी।

केस स्टडी

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के छोटे-से गांव के गरीब परिवार में जन्मी भवानी अपने माता-पिता के साथ ही मजदूरी का काम करती थी। भवानी के परिवार में कुल 11 सदस्य थे, जिनमें 6 लड़कियां और 3 लड़के थे। भवानी की मां के किसी रिश्तेदार के कहने पर 12 वर्षीया भवानी की शादी दिल्ली में रहने वाले अमर नाम के एक व्यक्ति से करवा दी गई। भवानी के अनुसार, "हालांकि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मैं इस बात से बेहद खुश थी, क्योंकि शादी का पूरा खर्च भी उन्हीं लोगों ने उठाया था और मेरे माता-पिता को काफी पैसा भी दिया था ।"शादी के बाद भवानी,

उसका रिश्तेदार और अमर दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां पहुंचकर अमर ने भवानी को कुछ समय तक उसके रिश्तेदार के साथ रहने को कहा, ताकि वो उनके रहने का बंदोबस्त कर सके. भवानी के रिश्तेदार का घर दरअसल दिल्ली के रेड लाइट एरिया- जी.बी रोड पर स्थित एक वेश्यालय था और भवानी की परीक्षा अगले ही दिन से शुरू हो गई थी, जहां उसे ग्राहकों की देखभाल करने को कहा गया। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि दरअसल उसे 45000 में बेचा गया था। वहां मौजूद अन्य लड़कियों से बातचीत करने पर पता चला कि उसके पति अमर ने उस एक वर्ष में 12 शादियां की थीं। विरोध करने पर भवानी को काफी पीटा गया व भूखा रखा गया। 7 दिनों तक संघर्ष के बाद भवानी ने हथियार डाल दिए। 5 गर्भपात के बाद 17 साल की आयु में भवानी को बचाया किया गया और तब वो यौन रोग से संक्रमित थी।

कभी काम दिलाने के नाम पर, कभी फिल्मों या माडलिंग में काम दिलाने के लालच में, तो कभी शादी के नाम पर लाखों लड़कियों को जिस्मफरोशी के धंधे में धोखे से व जबरन धकेल दिया जाता है। प्रज्वला की स्थापना का उद्देश्य था उन महिलाओं और बच्चों की मदद करना, जो तस्करी का शिकार होते हैं। ऐसे में यह संस्था तस्करी विरोधी यानी एंटी तस्करी के रूप में उभरी है, जो महिलाओं और बच्चों को वेश्यावृत्ति में जाने से रोकने में विश्वास करती है, क्योंकि यह यौन गुलामी/ दासता का सबसे भयावह रूप होता है।

पुनर्वसन

तस्करी का अर्थ होता है बहुत-से मानवाधिकारों का उल्लंघन, ऐसे में उनका पुनर्वसन बहुत ही संवदेनशील मुद्दा होता है। चूंकि पीड़ित न सिर्फ शारीरिक, बल्कि बहुत-से मानसिक शोषण और प्रताड़ना से गुजरते हैं, इसके अलावा उन्हें ढेरों यौन संक्रमण भी हो जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि परिवार भी इन्हें अपनाने से कतराते हैं, क्योंकि इसे वो समाज में बदनामी से जोड़कर देखते हैं, वहीं दूसरी ओर एक संभावना यह भी होती है कि परिवार खुद ही इस धंधे में लिप्त होता है। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की होती है कि पीड़ित को सुरक्षा मिले। मानसिक रूप से भी उसे सामान्य किया जाए, उसे बेहतर भविष्य की ओर आशान्वित किया जाए, तब कहीं जाकर पूरी तरह से कामयाबी मिल पाएगी।

निष्कर्ष

पुनर्वसन में एक और बड़ी समस्या यह भी होती है कि पीड़ित हर स्तर पर इतना अधिक शोषण का शिकार हो चुका होता है कि उसका विश्वास सभी पर से उठ जाता है, उसे बचाव की प्रक्रिया पर भी अधिक भरोसा नहीं रहता और न ही वो अधिक सकारात्मक होता है। अपने भविष्य के प्रति उसमें फिर से आशा जगाना बेहद चुनौती भरा काम है। यही वजह है कि जहां पहले प्रज्वला जैसी संस्थाएं बचाव/पुनर्वसन का काम करती थीं, वहीं वे अब पुलिस की अधिक मदद लेती हैं और अधिक ध्यान पुनर्वसन की प्रक्रिया पर देती हैं, ताकि पीड़ितों को पूरी तरह से इससे बाहर निकाला जा सके।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. **आर.एल.बर्गर(1979)** "चाइल्ड अब्यूज ए सोशल इन्टर एक्शनल एनालिसिस इन एडवान्सेस इन क्लीनिकल चाइल्ड साइकोलाजी, वाल्यूम 2, प्लेनम प्रस, न्यूयार्क, पृष्ठ 106.

2. **बोल्टन, एम.जी. एण्ड बोल्टर, एस. आर.(2017)** वर्किंग विथ वाइयोलेण्ट फेमिलीस सेज पब्लिकेशन्स न्यूयार्क, पृष्ठ 66.

3. **केवलरमानी, जी.एस. (2017),** चाइल्ड एब्यूज, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर चाइल्ड लेबर एन ओव्हव्यू, पेज 5, औद्योगिक संगठन मासिक, भोपाल (म.प्र.)।

4. **प्रो. मार्यन वेनर (2010),** फ्रंटलाइन, मार्च 2010 दैनिक भास्कर, भोपाल 06 अक्टूबर 2010.

5. **मेकाब वाइनर (2017),** इकोनामिक एण्ड पालिटिकल वीकली, नवंबर 9 सितम्बर 2017.

6. **जगजीत सिंह,तमीम हाशमी(2015),** दूसरों को नसीहत देने वाले अमरीका में बालश्रमिकों की फजीहत, दैनिक भास्कर, भोपाल 04 सितम्बर 2015.

7. **शमार्, योगेचंद्र (2015),** बाल श्रमिक समय की भीड़ में खोता हुआ बचपन, पृष्ठ 56. समाज कल्याण(2017), मासिक पत्रिका नई दिल्ली, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड नवबर, पृष्ठ 6.

8. विकासशील देश के 25 करोड़ मासूम के कंधों पर मजदूरी का जुआ - नवभारत, भोपाल 13 जनवरी, 2017, पृष्ठ 3.

9. आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य बाल श्रम की स्थिति पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त 1996, पृष्ठ 25.

10. **गुप्ता, गणेश(2013),** करोड़ों बाल मजदूरों की घिसटती जिंदगियाँ नवभारत, भोपाल, 23 नवंबर, 2013, पृष्ठ 04.

11. **बड़वाल, डा. विजय (2016),** भारत में बालश्रमिक एक अध्ययन प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त 2016, पृष्ठ 58.

****

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली - 110 037 द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित

BPRDIndia bprdindia officialBPRDIndia
Bureau of Police Research & Development India www.bprd.nic.in